



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 29 जून, 2017 / 8 आषाढ़, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

आदेश

शिमला-171002, 17 जून, 2017

संख्या: एफ0डी0एस-ए(3)-6/2016-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ईन्ट (नियन्त्रण) अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम संख्याक 29) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या 13/2/69-सी एस एण्ड टी

तारीख 14-10-1970 द्वारा अधिसूचित और तारीख 31-10-1970 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश ब्रिक्स (कंट्रोल), आर्डर, 1970 का संशोधन करने के आदेश देते हैं, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम, और प्रारम्भ.**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ब्रिक्स (कंट्रोल) संशोधन आर्डर, 2017 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. **खण्ड 3 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश ब्रिक्स (कंट्रोल) आर्डर, 1970 की क्लॉज 3 के प्रवाइजो में, एक्सप्लैनेशन के पश्चात, निम्नलिखित नया प्रवाइजो अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

“Provided further that license shall not be granted to a dealer unless he has his own manufacturing unit/kiln within Himachal Pradesh.”

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
अति० मु० सचिव (खा०, ना० आ० एवं उ० मा०)।

[Authoritative English text of this Department Order No. FDS-A(3)-6/2016 dated the 17th June, 2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

ORDER

Shimla-2, the 17th June, 2017

No. FDS-A(3)-6/2016—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Himachal Pradesh Bricks (Control) Act, 1969 (Act No. 29 of 1969), and all other powers enabling him in this behalf, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to amend the Himachal Pradesh Bricks (Control), Order, 1970, notified vide Notification No. 13/2/69-CS&T dated on 14-10-1970 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 31-10-1970, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Himachal Pradesh Bricks (Control) Amendment Order, 2017.

(2) It shall come into force from the date of Publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of clause 3**—In clause 3 of the Himachal Pradesh Bricks (Control) Order, 1970, in the proviso, after explanation, the following new proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that license shall not be granted to a dealer unless he has his own manufacturing unit/kiln within Himachal Pradesh.”

By order,
TARUN KAPOOR.
Addl. Chief Secretary (FCS&CA).

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

आदेश

शिमला-171002, 24 जून, 2017

संख्या: एफ0डी0एस-ए (06)-1/2016—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले विभाग) मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी और भारत सरकार के राजपत्र, (असाधारण) में तारीख 25-04-2017 को प्रकाशित का0 आ0 1288 (अ), तारीख 25-04-2017 और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले विभाग) मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी और भारत के राजपत्र (असाधारण) में तारीख 28-4-2017 को प्रकाशित का0 आ0 1346 (अ), तारीख 28-04-2017 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 के खण्ड 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 से संलग्न शेड्यूल-I का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम, और प्रारम्भ.**—(1) इस आर्डर का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) अमेंडमेंट आर्डर, 2017 है।

(2) यह आर्डर राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा और 28-10-2017 तक भारत सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किसी और आदेश तक, जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त रहेगा।

2. **शेड्यूल-I का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 से संलग्न शेड्यूल-I में पार्ट-"ई" के अधीन "28-04-2017" अंको और चिन्हों के स्थान पर "28-10-2017" अंक और चिन्ह रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अति0 मु0 सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले)।

[Authoritative English text of this Department Notification No FDS-A (6)-1/2016 dated 24th June, 2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT**ORDER***Shimla-2, the 24th June, 2017*

No. FDS-A(6)-1/2016—In exercise of the powers conferred by clause 18 of the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981, read with S.O. 1288 (E), dated 25-04-2017 issued by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), Government of India and published in the Extra-Ordinary Gazette of India dated 25-04-2017 and S.O. No. 1346 (E) dated 28-04-2017 issued by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food & Public Distribution), Govt. of India and published in the Extra-Ordinary Gazette of India dated 28-04-2017, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following Order further to amend the SCHEDULE-I appended to the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981, namely:—

1. Short title, and commencement—(1) This Order may be called the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Amendment Order, 2017.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh and shall remain in force till 28-10-2017 or till any further order issued by the Govt. of India in his behalf, whichever is earlier.

2. Amendment of SCHEDULE-I—In SCHEDULE-I appended to the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981, under Part-“E”, for the signs and figures “28-04-2017” the signs and figures “28-10-2017”, shall be substituted.

By order,
TARUN KAPOOR,
Principal Secretary (FCS&CA).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला—2 27 जून, 2017

संख्या: ई0 एक्स0 एन0—एफ(10)—13/2017.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 है ।

(2) ये 24 जून, 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. परिभाषाएँ.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) अभिप्रेत है ;

(ख) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ग) “धारा” से इस अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ;

(घ) “विशेष आर्थिक जोन” का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (य क) में है ;

(ङ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

प्रशमन

3. प्रशमन उद्ग्रहण के लिए सूचना.—(1) कोई व्यक्ति, जिसे नियम 24 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है और जो धारा 10 के अधीन कर के संदाय का विकल्प देता है, नियत दिन से पहले किन्तु उक्त दिन के उपरान्त तीस दिन के अपश्चात् या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त बढ़ा दी जाए या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्रों के माध्यम से समान पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी-01 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना फाइल करेगा :

परंतु यह कि जहां प्ररूप जीएसटी सीएमपी-01 में की सूचना नियत दिन के पश्चात् फाइल की जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन से कोई भी कर संगृहीत नहीं करेगा किन्तु उक्त दिन के पश्चात् की गई पूर्तियों के लिए पूर्ति का बिल जारी करेगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग ख में धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प दे सकेगा, जिसे उक्त धारा के अधीन कर संदाय करने की सूचना के रूप में समझा जाएगा ।

(3) कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प देता है, उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पहले, जिसके लिए पूर्वोक्त धारा के अधीन कर संदाय के विकल्प का प्रयोग किया गया है या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से समान पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में सूचना फाइल करेगा और नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से साठ दिन की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आईटीसी-3 में विवरण देगा ।

(4) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए उपनियम (1) के अधीन सूचना फाइल करता है, स्टॉक के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत उस तारीख से पूर्ववर्ती दिन को, जिससे वह उक्त धारा के अधीन कर संदाय करने का विकल्प देता है, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त उसके द्वारा धारित माल की आवक पूर्ति भी है, उस तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, जिससे प्रशमन उद्ग्रहण के विकल्प का प्रयोग किया जाता है या ऐसी और अवधि के भीतर, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त बढ़ा दी जाए या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्रों के माध्यम से समान पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी सीएमपी-03 में देगा ।

(5) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कारबार के किसी स्थान की बाबत उपनियम (1) या उपनियम (3) के अधीन किसी भी सूचना को उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकृत कारबार के सभी अन्यन स्थानों की बाबत सूचना समझा जाएगा ।

4. प्रशमन उद्ग्रहण की प्रभावी तारीख.—(1) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प जहाँ नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन सूचना फाइल की गई है, वित्तीय वर्ष के आरंभ से और जहाँ उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन सूचना फाइल की गई है, नियत दिन से प्रभावी होगा ।

(2) नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन सूचना पर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् ही विचार किया जाएगा और धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए उसका विकल्प नियम 10 के उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन नियत तारीख से प्रभावी होगा ।

5. प्रशमन उद्ग्रहण की शर्तें और निर्बंधन.—(1) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए विकल्प का प्रयोग करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :—

(क) वह न तो नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही अनिवासी कराधेय व्यक्ति है ;

- (ख) जहां विकल्प का प्रयोग नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन किया गया है, वहां उसके द्वारा नियत दिन को स्टॉक में धारित माल का अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान क्रय नहीं किया गया है या भारत से बाहर किसी स्थान से आयात नहीं किया गया है या राज्य के बाहर स्थित उसकी शाखा से या राज्य के बाहर उसके अभिकर्ता या प्रधान से प्राप्त नहीं किया गया है;
- (ग) उसके द्वारा स्टॉक में धारित माल का किसी अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार से क्रय नहीं किया गया है और जहां क्रय किया गया है, वहां वह धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन कर का संदाय करता है ;
- (घ) वह माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्ति पर धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर का संदाय करेगा ;
- (ङ) वह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ड.) के अधीन यथा अधिसूचित माल के विनिर्माण में नहीं लगा हुआ था ;
- (च) वह, उसके द्वारा जारी पूर्ति के बिल के ऊपरी सिरे पर "प्रशमन कराधेय व्यक्ति, पूर्तियों पर कर संग्रहण के लिए पात्र नहीं " शब्दों का उल्लेख करेगा ; और
- (छ) वह, उसके कारबार के मुख्य स्थान के प्रमुख स्थान पर और कारबार के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान या स्थानों पर प्रदर्शित प्रत्येक नोटिस या साइन बोर्ड पर "प्रशमन कराधेय व्यक्ति" शब्दों का उल्लेख करेगा ।

(2) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए हर वर्ष नई सूचना फाइल करना आवश्यक नहीं है और वह अधिनियम के उपबंधों तथा इन नियमों के अध्याधीन उक्त धारा के अधीन कर का संदाय करता रह सकेगा ।

6. प्रशमन उद्ग्रहण की विधिमान्यता.—(1) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प तब तक विधिमान्य रहेगा, जब तक वह उक्त धारा और इन नियमों के अधीन उल्लिखित सभी शर्तों की पूर्ति करता है ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उस दिन से जब वह धारा 10 या इस अध्याय के उपबंधों में उल्लिखित किसी शर्त की पूर्ति नहीं करता है, धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन कर संदाय करने का दायी होगा और उसके पश्चात् की गई प्रत्येक कराधेय पूर्ति के लिए कर बीजक जारी करेगा और वह ऐसी घटना के घटित होने के सात दिन के भीतर प्ररूप जीएसटी सीएमपी-04 में स्कीम से प्रत्याहरण के लिए सूचना भी फाइल करेगा ।

(3) ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका आशय संयुक्त स्कीम से प्रत्याहरण करने का है, ऐसे प्रत्याहरण की तारीख से पहले समान पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 04 में आवेदन फाइल करेगा ।

(4) जहां समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का पात्र नहीं था या उसने अधिनियम के उपबंधों या इस अध्याय के उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो वह प्ररूप जीएसटी सीएमपी-05 में ऐसे व्यक्ति को एक नोटिस, ऐसे नोटिस की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर यह कारण बताने के लिए जारी कर सकेगा कि धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प क्यों न अस्वीकार कर दिया जाए ।

(5) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से उपनियम (4) के अधीन जारी कारण बताने वाले नोटिस के प्ररूप जीएसटी सीएमपी-06 में उत्तर की प्राप्ति पर उचित अधिकारी ऐसे उत्तर की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि

के भीतर, यथास्थिति, या तो उत्तर को स्वीकार करते हुए विकल्प की तारीख से या ऐसे उल्लंघन से संबंधित घटना की तारीख से धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के विकल्प को अस्वीकार करते हुए प्ररूप जीएसटी सीएमपी-07 में आदेश जारी करेगा ।

(6) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने उपनियम (2) के अधीन सूचना दी है या उपनियम (3) के अधीन प्रत्याहरण का आवेदन फाइल किया है या व्यक्ति, जिसकी बाबत उपनियम (5) के अधीन प्ररूप जीएसटी सीएमपी-07 में विकल्प के प्रत्याहरण का आदेश पारित किया गया है, समान पोर्टल पर या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्ररूप जीएसटी आईटीसी-01 में, यथास्थिति, उस तारीख से, जिससे विकल्प का प्रत्याहरण किया गया है या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-07 में पारित आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर एक विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकेगा, जिसमें उस तारीख को, जिसको विकल्प का प्रत्याहरण या उसको अस्वीकार किया गया है, उसके द्वारा स्टॉक में धारित इनपुटों के स्टॉक और अर्ध तैयार या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के ब्यौरे होंगे ।

(7) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कारबार के किसी स्थान की बाबत उपनियम (5) के अनुसार उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन प्रत्याहरण या धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के विकल्प के अस्वीकार किए जाने की सूचना या आवेदन को उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकृत कारबार के अन्य सभी स्थानों की बाबत सूचना समझा जाएगा ।

7. प्रशमन उद्ग्रहण के कर की दर.—धारा 10 और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रशमन उद्ग्रहण के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का प्रवर्ग धारा 10 के अधीन उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दर पर कर का संदाय करेगा :

क्र.सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का प्रवर्ग	कर की दर
(1)	(2)	(3)
1	ऐसे विनिर्माताओं से, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, भिन्न विनिर्माता	एक प्रतिशत
2	अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियां करने वाले पूर्तिकार	ढाई प्रतिशत
3	धारा 10 और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रशमन उद्ग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार	आधा प्रतिशत

अध्याय 3

रजिस्ट्रीकरण

8. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन.—(1) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति, धारा 51 के अधीन स्रोत पर कटौती के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति, धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की पूर्ति करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी है और धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है), रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से पहले या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से समान पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग क में अपना स्थायी लेखा संख्यांक, मोबाइल नं०, ई-मेल पता, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र घोषित करेगा :

परंतु यह कि किसी विशेष आर्थिक जोन में कोई इकाई या इकाइयां रखने वाला व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति, जो विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उसकी अन्य इकाइयों से भिन्न किसी कारबार शीर्षका के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक् आवेदन करेगा :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो कोई इनपुट सेवा वितरक है, ऐसे इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक् आवेदन करेगा ।

(2) (क) स्थायी लेखा संख्यांक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुरक्षित डाटाबेस से समान पोर्टल द्वारा आनलाइन विधिमान्य बनाया जाएगा ।

(ख) उपनियम (1) के अधीन घोषित मोबाइल नम्बर को उक्त मोबाइल नम्बर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा ; और

(ग) उपनियम (1) के अधीन घोषित ई-मेल पते को उक्त ई-मेल पते पर भेजे गए एक पृथक् वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा ।

(3) स्थायी लेखा संख्यांक, मोबाइल नम्बर और ई-मेल पते के सफलतापूर्वक सत्यापन पर एक अस्थायी सन्दर्भ संख्यांक सृजित किया जाएगा और उसे आवेदक को उक्त मोबाइल नम्बर और ई-मेल पते पर संसूचित किया जाएगा ।

(4) आवेदक, उपनियम (3) के अधीन सृजित सन्दर्भ संख्यांक का उपयोग करके इलैक्ट्रॉनिक रूप से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग ख में, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन, उक्त प्ररूप में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ, प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा ।

(5) उपनियम (4) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक को प्ररूप जीएसटी आरईजी-02 में, इलैक्ट्रॉनिक रूप से, अभिस्वीकृति जारी की जाएगी ।

(6) नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, धारा 27 के उपबंधों के अनुसार अग्रिम कर जमा करने के लिए, समान पोर्टल द्वारा, अस्थायी सन्दर्भ संख्यांक दिया जाएगा और केवल उक्त जमा के पश्चात् ही उपनियम (5) के अधीन अभिस्वीकृति इलैक्ट्रॉनिक रूप से जारी की जाएगी ।

9. आवेदन का सत्यापन और अनुमोदन.—(1) आवेदन उचित अधिकारी को भेजा जाएगा, जो आवेदन और संलग्न दस्तावेजों की परीक्षा करेगा और यदि वे ठीक क्रम में पाए जाते हैं तो आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का अनुमोदन कर दिया जाएगा ।

(2) जहां नियम 8 के अधीन दिए गए आवेदन में या तो उक्त नियम के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी सूचना या किसी दस्तावेज के रूप में कमी पाई जाती है या जहां उचित अधिकारी उसके साथ दिए गए आवेदन या दस्तावेजों में दी गई किसी सूचना की बाबत किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा करता है, वहां वह आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-03 में, इलैक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस जारी कर सकेगा और आवेदक, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-04 में, इलैक्ट्रॉनिक रूप से, ऐसा स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेज दाखिल करेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "स्पष्टीकरण" पद के अंतर्गत प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग क में घोषित स्थायी लेखा संख्यांक, राज्य, मोबाइल नम्बर और ई-मेल पते से भिन्न रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में घोषित विशिष्टियों में उपांतरण या सुधार भी है ।

(3) जहां उचित अधिकारी का आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से समाधान हो जाता है, वहां वह ऐसे स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का अनुमोदन कर सकेगा ।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में आवेदक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है या जहां उचित अधिकारी दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं है, वहां वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसे आवेदन को अस्वीकृत कर देगा और आवेदक को प्ररूप जीएसटी आरईजी-05 में इलैक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा ।

(5) यदि उचित अधिकारी,—

(क) आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर ; या

(ख) उपनियम (2) के अधीन आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर, कोई कार्रवाई करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के आवेदन को अनुमोदित हुआ समझा जाएगा ।

10. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का जारी किया जाना.—(1) धारा 25 की उपधारा (12) के उपबंधों के अधीन, जहां रजिस्ट्रीकरण किए जाने के लिए आवेदन का नियम 9 के अधीन अनुमोदन कर दिया गया है, वहां आवेदक को कारबार के मुख्य स्थान और कारबार का (के) अतिरिक्त स्थान या स्थानों को दर्शित करते हुए प्ररूप जीएसटी आरईजी-06 में समान पोर्टल पर एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाया जाएगा तथा माल और सेवा कर पहचान संख्यांक निम्नलिखित वर्णों के अधीन समनुदेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) राज्य कोड के लिए दो वर्ण ;

(ख) स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) या कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक (टैन) के लिए दस वर्ण ;

(ग) अस्तित्व कोड के लिए दो वर्ण ; और

(घ) एक चैकसम वर्ण ।

(2) जहां रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसी तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया है, वहां रजिस्ट्रीकरण उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो जाता है ।

(3) जहां आवेदक द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन, उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो जाने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, वहां रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रभावी तारीख, नियम 9 के उपनियम (1) या उपनियम (3) या उपनियम (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख होगी ।

(4) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रत्येक प्रमाणपत्र उचित अधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा ।

(5) जहां रजिस्ट्रीकरण नियम 9 के उपनियम (5) के अधीन प्रदान किया गया है, वहां आवेदक को, रजिस्ट्रीकरण संख्यांक संसूचित किया जाएगा और उपनियम (1) के अधीन इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उसे नियम 9 के उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् तीन दिन की अवधि के भीतर समान पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाएगा ।

11. राज्य के भीतर बहु कारबार शीर्षकाओं के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण.—(1) राज्य के भीतर बहु कारबार शीर्षका रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन उसके कारबार शीर्षकाओं में से किसी के लिए एक पृथक् रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, प्रत्येक शीर्षकाओं के संबंध में पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :—

- (क) ऐसे व्यक्ति के पास धारा 2 के खंड (18) में यथा परिभाषित एक से अधिक कारबार शीर्षका हैं ;
- (ख) किसी कराधेय व्यक्ति के कारबार शीर्षका को धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया जाएगा, यदि उसी व्यक्ति के अन्य कारबार शीर्षकाओं में कोई एक धारा 9 के अधीन कर का संदाय कर रहा है ।
- (ग) ऐसे व्यक्ति के पृथक् रूप से रजिस्ट्रीकृत सभी कारबार शीर्षका, ऐसे व्यक्ति के दूसरे रजिस्ट्रीकृत कारबार शीर्षका को की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर अधिनियम के अधीन कर का संदाय करेंगे और ऐसी पूर्ति के लिए कर बीजक जारी करेंगे ।

स्पष्टीकरण.—खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का कोई भी कारबार शीर्षका, जिसे पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उक्त व्यक्ति के अन्य सभी कारबार शीर्षका उक्त धारा के अधीन कर संदाय के लिए अपात्र हो जाएंगे ।

(2) कारबार शीर्षकाओं के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने का पात्र कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रत्येक शीर्षकाओं के संबंध में प्ररूप जीएसटी आरइजी-01 में पृथक् आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण के सत्यापन और प्रदान किए जाने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन के लिए लागू होंगे ।

12. स्रोत पर कर की कटौती के लिए या स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना.—(1) धारा 51 के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती के लिए अपेक्षित कोई भी व्यक्ति या धारा 52 के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर कोई भी व्यक्ति समान संगृहीत करने के लिए अपेक्षित पोर्टल पर या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन प्ररूप जीएसटी आरइजी-07 में प्रस्तुत करेगा ।

(2) उचित अधिकारी सम्यक् सत्यापन के पश्चात् आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर सकेगा और प्ररूप जीएसटी आरइजी-06 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा ।

(3) जहां जांच किए जाने पर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के अनुसरण में उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति, जिसे प्ररूप जीएसटी आरइजी-06 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है, धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का या धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने का दायी नहीं रहा है तो उक्त अधिकारी उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा और ऐसे रद्दकरण को उक्त व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरइजी-08 में संसूचित किया जाएगा :

परंतु उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए नियम 22 में यथा उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

13. अनिवासी कराधेय व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाना.—(1) कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति, अपने विधिमान्य पासपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए सम्यक् रूप से

हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से समान पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरइजी-09 में कारबार के प्रारंभ से कम से कम पांच दिन पहले प्रस्तुत करेगा :

परंतु भारत से बाहर निगमित या स्थापित किसी कारबार अस्तित्व की दशा में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उसके कर पहचान संख्यांक या विशिष्ट संख्यांक, जिसके आधार पर अस्तित्व की उस देश की सरकार द्वारा पहचान की जाती है या यदि उपलब्ध हैं तो उसके स्थायी लेखा संख्यांक सहित प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, धारा 27 के उपबंधों के अनुसार अग्रिम कर जमा करने के लिए, समान पोर्टल द्वारा, अस्थायी निर्देश संख्यांक दिया जाएगा और केवल उक्त जमा के उसके इलेक्ट्रानिक नकद खाते में होने के पश्चात् ही नियम 8 के उपनियम (5) के अधीन अभिस्वीकृति इलेक्ट्रानिक रूप से जारी की जाएगी ।

(3) रजिस्ट्रीकरण के सत्यापन और प्रदान किए जाने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को लागू होंगे ।

(4) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए रजिस्ट्रीकरण का आवेदन, उसके ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, जो विधिमान्य स्थायी लेखा संख्यांक रखने वाला भारत में निवासी कोई व्यक्ति होगा ।

14. भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को पूर्ति करने वाले किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना.—(1) भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को पूर्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से समान पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरइजी- 10 में प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदक को, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन और ऐसे अधिकारी द्वारा, जो परिषद् की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, रजिस्ट्रीकरण प्ररूप जीएसटी आरइजी- 06 में प्रदान किया जाएगा ।

15. नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रचालन की अवधि का विस्तार.—(1) जहां रजिस्ट्रीकृत नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के उसके आवेदन में उपदर्शित रजिस्ट्रीकरण की अवधि का विस्तार चाहता है, एक आवेदन प्ररूप जीएसटी आरइजी -11 में समान पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से या तो प्रत्यक्ष या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से, ऐसे व्यक्ति द्वारा उसको प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता के समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन केवल धारा 27 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रकम के संदाय पर अभिस्वीकृत किया जाएगा ।

16. अपने आप से रजिस्ट्रीकरण.—(1) जहां, किसी सर्वेक्षण, जांच, निरीक्षण, तलाशी या इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियों के अनुसरण में, उचित अधिकारी यह पाता है कि अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में विफल हो गया है, ऐसा अधिकारी, उक्त व्यक्ति को अस्थायी आधार पर रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा और प्ररूप जीएसटी आरइजी -12 में एक आदेश जारी कर सकेगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आदेश की तारीख से प्रभावी होगा ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उप-नियम (1) के अधीन अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, नियम 8 या नियम 12 में उपबंधित प्ररूप और रीति में रजिस्ट्रीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा:

परन्तु जहां उक्त व्यक्ति द्वारा अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के विरुद्ध अपील दाखिल की जाती है, ऐसे मामले में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए दायित्व का समर्थन करने वाले आदेश के जारी करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा ।

(4) सत्यापन और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तन सहित, उप-नियम (3) के अधीन प्रस्तुत आवेदन के लिए लागू होंगे ।

(5) उप-नियम (4) के अधीन सत्यापन के अनुसरण में समनुदेशित माल और सेवा कर पहचान संख्या, उप-नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आदेश की तारीख से प्रभावी होगी ।

17. कतिपय विशिष्ट सत्ताओं को विशिष्ट पहचान संख्या का समनुदेशन.—(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 25 की उप-धारा (9) के उपबंधों के अनुसरण में विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान किया जाना अपेक्षित है, प्ररूप जीएसटी आरईजी -13 में इलैक्ट्रॉनिक रूप में, समान पोर्टल पर, या तो प्रत्यक्ष या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से, नियम 8 में विनिर्दिष्ट रीति में, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) उचित अधिकारी, प्ररूप जीएसटी आरईजी-13 में एक आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर या उक्त प्ररूप भरे जाने के पश्चात् आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर उक्त व्यक्ति को विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित करेगा और जीएसटी आरईजी -06 में प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

18. नाम पटल पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और माल तथा सेवा कर पहचान संख्या को प्रदर्शित करना.—(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उसके कारबार के मुख्य स्थान पर और ऐसे प्रत्येक कारबार के अतिरिक्त स्थान या स्थानों पर, प्रमुख अवस्थिति पर उपदर्शित करेगा ।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके कारबार के मुख्य स्थान और कारबार के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान या स्थानों पर, प्रवेश स्थान पर प्रदर्शित नाम पटल पर माल और सेवा कर पहचान संख्या प्रदर्शित करेगा ।

19. रजिस्ट्रीकरण में संशोधन.—(1) रजिस्ट्रेशन के लिए प्ररूप जीएसटी आरईजी- 01 या प्ररूप जीएसटी आरईजी - 07 या प्ररूप जीएसटी आरईजी - 09 या प्ररूप जीएसटी आरईजी -10 में या प्ररूप जीएसटी आरईजी-13 में विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन में दी गई विशिष्टियों में रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करते समय या समय-समय पर यथा संशोधित कोई परिवर्तन है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे परिवर्तन से पंद्रह दिवस के भीतर, कॉमन पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी -14 में इलैक्ट्रॉनिक रूप से, ऐसे परिवर्तन से संबंधित दस्तावेजों के साथ, इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित, आवेदन या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा:

परन्तु यदि— (क) परिवर्तन निम्न से संबंधित है —

(i) कारबार का विधिक नाम;

(ii) कारबार के मुख्य स्थान या कारबार के किसी अन्य अतिरिक्त स्थान (स्थानों) का पता ; या

- (iii) भागीदारी या निदेशकों, कर्ता, प्रबंध समिति, न्यास बोर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य के जोड़ने, हटाने या सेवानिवृत्ति पर, जो कारबार के दिन प्रतिदिन कार्यों के लिए उत्तरदायी है,— जिसमें धारा 29 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण आवश्यक नहीं है उचित अधिकारी सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्ररूप जीएसटी आरईजी -14 में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर संशोधन को अनुमोदित करेगा और इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरईजी-15 में एक आदेश जारी करेगा और ऐसा संशोधन आवश्यक होने की घटना घटित होने की तारीख से प्रभावी होगा ;
- (ख) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में खंड (क) के उप-खंड (i) और उप-खंड (ii) से संबंधित परिवर्तन समान स्थायी खाता संख्या पर इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्राप्त सभी रजिस्ट्रीकरणों पर लागू होगा ;
- (ग) जहाँ खंड (क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न किन्हीं विशिष्टियों से संबंधित परिवर्तन होता है, तो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, समान पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-14 में आवेदन प्रस्तुत करने पर संशोधित होगा ;
- (घ) जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के स्थायी खाता संख्या में परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी कारबार के गठन में कोई परिवर्तन होता है तो उक्त व्यक्ति नये रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में आवेदन करेगा:

परन्तु यह और कि इस नियम समय-समय पर यथासंशोधित के अधीन प्रस्तुत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मोबाइल संख्या या ई-मेल पते में कोई परिवर्तन, उक्त नियम के अधीन उपबंधित रीति से समान पोर्टल के माध्यम से केवल आनलाईन सत्यापन के पश्चात् किया जाएगा।

(2) जहां उचित अधिकारी की राय है कि उप-नियम (1) में चाहा गया संशोधन या तो आवश्यक नहीं है या उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज अपूर्ण या गलत है, तो वह प्ररूप जीएसटी आरईजी -14 में आवेदन प्राप्त करने की तारीख से पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरईजी -03 में, उक्त सूचना की तामीली के सात कार्य दिवसों के भीतर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से कारण बताने की अपेक्षा करते हुए, कि क्यों न उप-नियम (1) में प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाए, सूचना तामील कर सकेगा।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप-नियम (2) के अधीन कारण बताओं सूचना का प्रत्युत्तर उक्त सूचना की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी - 04 में प्रस्तुत करेगा।

(4) जहां उपनियम (3) के अधीन प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषप्रद नहीं है या उप-नियम (2) के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में, उप-नियम

(3) में विहित अवधि के भीतर कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता, तो उचित अधिकारी उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी - 05 में आदेश पारित कर सकेगा।

(5) यदि उचित अधिकारी कोई कार्यवाही करने में विफल रहता है -

(क) आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पंद्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर, या

(ख) उप-नियम (3) के अधीन कारण बताओं सूचना का प्रत्युत्तर प्राप्त होने की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर तो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र किए गए आवेदन के विस्तार तक संशोधित रहेगा और संशोधित प्रमाणपत्र समान पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा।

20. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन.—एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से भिन्न जिसे नियम 12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है या वह व्यक्ति जिसे नियम 17 के अधीन विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई है, धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहता है प्ररूप जीएसटी आरईजी - 16 में आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा, जिसमें उस तारीख जिससे रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहा गया है, को स्टाक में धारित इनपुट या स्टाक में धारित अर्द्ध तैयार या तैयार माल में अन्तर्विष्ट निवेश और स्टाक में धारित पूंजी माल के ब्यौरे, उस पर दायित्व, ऐसे दायित्व के विरुद्ध किए गए संदाय के ब्यौरे यदि कोई हो, रद्दकरण की आवश्यकता की घटना घटित होने के तीस दिवसों की अवधि के भीतर समान पोर्टल पर सुसंगत दस्तावेजों से समर्थित आवेदन के साथ या तो प्रत्यक्ष या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन पर, कराधेय व्यक्ति जो स्वेच्छा से रजिस्ट्रीकृत हुआ हो की दशा में, रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने से पहले विचार नहीं किया जाएगा।

21. कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना.—किसी व्यक्ति को प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी होगा, यदि उक्त व्यक्ति—

(क) कारबार के घोषित स्थान से किसी कारबार का संचालन नहीं करता; या

(ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण में माल या सेवाओं की पूर्ति के बिना बीजक या बिल जारी करता है।

22. रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना.—(1) जहां उचित अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि धारा 29 के अधीन किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी है, वह ऐसे व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी आरईजी -17 में, ऐसी सूचना की तामीली की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाए, सूचना जारी करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन जारी कारण बताओं सूचना का प्रत्युत्तर उक्त-नियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी -18 में प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) जहां व्यक्ति जिसने उसके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी नहीं है या उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी है, उचित अधिकारी, नियम 20 के उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन की तारीख या जैसी भी स्थिति हो, उप-नियम (1) के अधीन जारी कारण बताने के प्रत्युत्तर की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी -19 में रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने का आदेश जारी करेगा, जिसकी प्रभावी तिथि उसके द्वारा अवधारित की जाएगी और वह धारा 29 की उप-धारा (5) के अधीन संदेय के लिए दायी रकम सहित किसी कर, ब्याज या शास्ति के बकाया का संदाय करने का निदेश करते हुए कराधेय व्यक्ति को अधिसूचित करेगा।

(4) जहां उप-नियम (2) के अधीन प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषप्रद पाया जाता है, उचित अधिकारी कार्यवाहियों को समाप्त करेगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी -20 में एक आदेश पारित करेगा।

(5) उप-नियम (3) के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, मृत स्वत्वधारी, यदि आवेदन स्वयं स्वत्वधारी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, के विधिक उत्तराधिकारियों को लागू होंगे।

23. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण.—(1) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण स्वप्रेरणा से प्रस्ताव पर उचित अधिकारी द्वारा रद्द किया जाता है, प्ररूप जीएसटी आरईजी-21 में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आवेदन, ऐसे उचित अधिकारी को, समान पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामीली की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर या तो प्रत्यक्ष या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा:

परन्तु प्रतिसंहरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाएगा यदि रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के कारण रद्द किया गया है जब तक कि ऐसी विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती और कर के बकाया के रूप में कोई रकम, ऐसी विवरणी की निबंधनों में ब्याज, शास्ति और उक्त विवरणी के संबंध में देय विलंब फीस के लिए देय रकम के साथ संदत्त नहीं की जाती।

- (2) (क) जहां उचित अधिकारी का समाधान हो जाता है, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाए, कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए पर्याप्त आधार है वह आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-22 में एक आदेश द्वारा रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण प्रतिसंहरित कर सकेगा और उसकी संसूचना आवेदक को देगा।
- (ख) उचित अधिकारी, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, उन परिस्थितियों से भिन्न जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट है, प्ररूप जीएसटी आरईजी -05 में आदेश द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा और उसकी संसूचना आवेदक को देगा।
- (3) उचित अधिकारी, उप-नियम (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आदेश के पारित करने से पहले, आवेदक से कारण बताने की यह अपेक्षा करते हुए कि क्यों न उप-नियम (1) के अधीन प्रतिसंहरण के लिए प्रस्तुत आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए प्ररूप जीएसटी आरईजी -23 में सूचना जारी करेगा और आवेदक प्ररूप जीएसटी आरईजी -24 में सूचना की तामीली की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा।
- (4) प्ररूप जीएसटी आरईजी -24 में सूचना या स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर उचित अधिकारी, आवेदक से ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में आवेदन का निपटान करेगा।

24. विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का प्रव्रजन.—(1) (क) प्रत्येक व्यक्ति, स्रोत पर कर काटने वाले व्यक्ति, इनपुट सेवा वितरक, विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत से भिन्न और आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अधीन जारी स्थायी खाता संख्या रखने वाले, उनके ई-मेल पते और मोबाइल संख्या के विधिमान्यकरण द्वारा समान पोर्टल पर प्रत्यक्ष या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से नामांकित किए जाएंगे।

(ख) खंड (क) के अधीन नामांकित किए जाने पर, उक्त व्यक्ति को अनंतिम आधार पर और प्ररूप जीएसटी आरईजी -25 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, माल और सेवा कर पहचान संख्या को सम्मिलित करते हुए, प्रदान किया जाएगा, जो समान पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

परन्तु कराधेय व्यक्ति जिसे एकल स्थायी खाता संख्या के आधार पर विद्यमान विधियों के अधीन बहु रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाता है, को इस अधिनियम के अधीन केवल एक अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।

(2) (क) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उप-नियम (1) के अधीन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है इलैक्ट्रॉनिक रूप से, उक्त आवेदन में विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेजों के साथ, इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से प्ररूप जीएसटी आरईजी - 26 में सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित समान पोर्टल पर या तो प्रत्यक्ष या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा।

(ख) खंड (क) में चाही गई सूचना तीन मास की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो इस आधार पर आयुक्त द्वारा बढ़ायी गई है, के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

(ग) यदि आवेदन में प्रस्तुत सूचना और विशिष्टियां उचित अधिकारी द्वारा सही और पूर्ण पायी जाती हैं, प्ररूप जीएसटी आरईजी -06 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र समान पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इलैक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) जहां उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां या सूचना यदि प्रस्तुत नहीं की गई है या सही अथवा पूर्ण नहीं पायी जाती, उचित अधिकारी, प्ररूप जीएसटी आरईजी -27 में कारण बताओं नोटिस की तामीली करने के पश्चात् और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्, उप-नियम (1) के अधीन प्रदत्त अनंतिम रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर देगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी -28 में एक आदेश जारी करेगा:

परन्तु प्ररूप जीएसटी आरईजी -27 में जारी कारण बताओं सूचना प्ररूप जीएसटी आरईजी -20 में आदेश जारी करके वापस ले सकेगा यदि यह पाया जाता है कि व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् ऐसा कोई कारण विद्यमान नहीं है जिसके लिए सूचना जारी की गई थी ।

(4) किन्हीं विद्यमान विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी नहीं है, वह नियत तिथि के तीस दिवस की अवधि के भीतर, उसके विकल्प पर उसको प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए समान पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी -29 में इलैक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा और उचित अधिकारी, ऐसी जांच संचालित करने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे, उक्त रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा ।

25. कतिपय मामलों में कारबार परिसर का भौतिक सत्यापन.—जहां उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, वह ऐसा सत्यापन कर सकेगा और सत्यापन रिपोर्ट अन्य दस्तावेजों जिसके अन्तर्गत फोटो भी है, के साथ प्ररूप जीएसटी आरईजी-30 में समान पोर्टल पर ऐसे सत्यापन की तारीख से अगले पन्द्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर अपलोड की जाएगी ।

26. अधिप्रमाणन का ढंग.—(1) सभी आवेदन, जिसके अन्तर्गत प्रत्युत्तर भी है, यदि कोई हो, सूचना, विवरणी जिसके अन्तर्गत जावक और आवक पूर्ति के ब्यौरे, अपील भी हैं या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन या इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिसूचित हस्ताक्षर या सत्यापन की किसी अन्य रीति के माध्यम से सत्यापित यथा विनिर्दिष्ट डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रमाणपत्र या ई-हस्ताक्षर के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा:

परन्तु यह और कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से सत्यापित दस्तावेज या आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(2) प्रत्येक दस्तावेज जिसके अन्तर्गत आन लाईन प्रस्तुत विवरणी भी है, इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से हस्ताक्षरित या सत्यापित की जाएगी .-

- (क) व्यष्टि की दशा में, व्यष्टि स्वयं या जहां वह भारत से अनुपस्थित है उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से, और जहां व्यष्टि उसके कार्यों को करने के लिए मानसिक रूप से अशक्त है, उसके, संरक्षक द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;
- (ख) हिन्दु अविभक्त कुटुंब की दशा में, कर्ता और जहां कर्ता भारत से अनुपस्थित है या उसके कार्य करने के लिए मानसिक रूप से अशक्त है, कुटुंब के किसी अन्य व्यस्क सदस्य द्वारा या ऐसे कर्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;
- (ग) कम्पनी की दशा में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा
- (घ) सरकार या किसी सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण की दशा में उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा;
- (ङ) फर्म की दशा में, उसके भागीदारी द्वारा जो अवयस्क न हो या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;

- (च) किसी अन्य संगम की दशा में, संगम के किसी सदस्य द्वारा या व्यक्तियों या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;
- (छ) न्यास की दशा में, न्यासी द्वारा या किसी न्यासी या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा या;
- (ज) अन्य व्यक्ति की दशा में, ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम हो, या धारा 48 के उपबंधों के अनुसरण में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा।

(3) इस अध्याय में विनिर्दिष्ट सभी सूचनाएं, प्रमाणपत्र और आदेश उचित अधिकारी द्वारा या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से ऐसी सूचनाएं या प्रमाणपत्र या आदेशों को जारी करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा।

प्ररूप जीएसटी सीएमपी -01

[नियम 3(1) देखें]

धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए प्रज्ञापना (प्रशमन उदग्रहण)

(केवल नियत तारीख को विद्यमान प्रवजन विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए)

1.	जीएसटीआईएन/अंनितम पहचान		
2.	विधिक नाम		
3.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो		
4.	कारबार के मुख्य स्थान का पता		
5.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवग ढ निम्नलिखित में से चयन करें>		
	(i)	सरकार द्वारा यथाअधिसूचित ऐसे माल के विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता	<input type="checkbox"/>
	(ii)	अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्ति करने वाले पूर्तिकार	<input type="checkbox"/>
	(iii)	संविचरणा उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार	<input type="checkbox"/>
6.	वित्तीय वर्ष जिससे प्रशमन स्कीम के विकल्प का लिया गया है	2017-18	
7.	अधिकारिता	केन्द्र	राज्य
8.	घोषणा - मैं घोषणा करता हूँ कि पूर्वोक्त कारबार में धारा 10 के अधीन कर के संदाय के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों का पालन किया गया है।		
9.	सत्यापन मैं _____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है। प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर नाम स्थान तारीख पदनाम/ प्रास्थिति		

प्ररूप जीएसटी सीएमपी -02

[नियम 3(2) देखें]

धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए प्रज्ञापना (प्रशमन उदग्रहण)

(अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए)

1.	जीएसटीआईएन		
2.	विधिक नाम		
3.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो		
4.	कारबार के प्रमुख स्थान का पता		
5.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग ढनिम्नलिखित में से चयन करें>		
	(i)	ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विनिर्माताओं से भिन्नि विनिर्माता	<input type="checkbox"/>
	(ii)	अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्ति करने वाले पूर्तिकार	<input type="checkbox"/>
	(iii)	संविचरचना उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार	<input type="checkbox"/>
6.	वित्तीय वर्ष जिससे प्रशमन स्कीम के विकल्प का लिया गया		
7.	अधिकारिता	केन्द्र	राज्य
8.	घोषणा – मैं घोषणा करता हूँ कि पूर्वोक्त कारबार में धारा 10 के अधीन कर के संदाय के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों का पालन किया गया है ।		
9.	<p>सत्यापन</p> <p>मैं _____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।</p> <p style="text-align: right;">प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर</p> <p style="text-align: center;">नाम</p> <p style="text-align: right;">पदनाम / प्रास्थिति</p> <p>स्थान तारीख</p>		

9.	संदत्त कर के ब्यौरे	विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर
		रकम		
		विकलन प्रविष्टि सं०		

10. सत्यापन	
<p>मैं _____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।</p>	
<p>स्थान तारीख</p>	<p>प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर नाम पदनाम/प्रास्थिति</p>

प्ररूप जीएसटी सीएमपी -04

[नियम 6(2) देखें]

प्रशमन उदग्रहण से प्रत्याहरण के लिए प्रज्ञापना/आवेदन

1.	जीएसटीआईएन	
2.	विधिक नाम	
3.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
4.	कारबार के मुख्य स्थान का पता	
5.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग	
	(i) ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विनिर्माताओं से भिन्नि विनिर्माता	
	(ii) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्ति करने वाले पूर्तिकार	
	(iii) प्रशमन उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार	
6.	कारबार की प्रकृति	
7.	तारीख जिससे प्रशमन स्कीम से प्रत्याहरण की ईप्सा की गई है	दिन मास वर्ष

8.	अधिकारिता	केन्द्र	राज्य
9.	प्रशमन स्कीम से प्रत्याहरण के कारण		
10.	<p>सत्यापन</p> <p>में _____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।</p> <p style="text-align: right;">प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर</p> <p>स्थान तारीख</p> <p style="text-align: right;">नाम पदनाम/प्रास्थिति</p>		

टिप्पण.—उस तारीख से, जिससे प्रशमन विकल्प का प्रत्याहरण किया गया है, पूर्ववर्ती तारीख को उपलब्ध स्टॉक पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए पृथक रूप से स्टॉक का विवरण प्ररूप जीएसटी आईटीसी-01 में दिया जा सकेगा ।

प्ररूप जीएसटी सीएमपी -05
[नियम 6(4) देखें]

संदर्भ सं० << ... >>

<< तारीख >>

सेवा में
जीएसटीआईएन

नाम

पता

धारा 10 के अधीन कर संदाय के विकल्प की अस्वीकृति के लिए

मेरी जानकारी में आई ऐसी सूचना के आधार पर यह प्रतीत होता है कि आप ने धारा 10 के अधीन प्रशमन स्कीम के उपभोग के लिए आवश्यक शर्तों और निर्बंधनों का उल्लंघन किया है । अतः मैं आपको निम्नलिखित कारणों से उक्त धारा के अधीन संदाय के विकल्प अस्वीकृत करता हूँ । :-

1

2

3

.....

आपको इस सूचना की तामील की तारीख से पंद्रह कार्यदिवसों के भीतर इस सूचना का उत्तर देने का निदेश दिया जाता है ।

आपको दिन/मास/वर्ष कोबजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर होने का निदेश दिया जाता है ।

यदि आप नियत तारीख के भीतर उत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तारीख और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए हाजिर होने में असफल रहते हैं तो मामले का उपलब्ध अभिलेख और गुणावगुण के आधार पर विनिश्चय किया जाएगा ।

स्थान
तारीख

हस्ताक्षर
उचित अधिकारी का नाम
पदनाम
अधिकारिता

प्ररूप जीएसटी सीएमपी –06

[नियम 6(5 देखें)]

कारण बताओं सूचना का उत्तर

1.	जीएसटीआईएन	
2.	कारण बताओं सूचना के ब्यौरे	संदर्भ सं० तारीख
3.	विधिक नाम	
4.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
5.	कारबार के मुख्य स्थान का पता	
6.	सूचना का उत्तर	
7.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची	
8.	सत्यापन	मैं _____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है । तारीख स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के
हस्ताक्षर

टिप्पण. –

1. उत्तर 500 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए यदि वह 500 शब्दों से अधिक है तो उसे पृथक रूप से अपलोड किया जाए ।
2. समर्थनकारी दस्तावेजों, यदि कोई हों, दस्तावेजों को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किया जाए ।

प्ररूप जीएसटी सीएमपी-07

[नियम 6(6) देखें]

संदर्भ सं० << ... >>

<< तारीख >>

सेवा में

जीएसटीआईएन

नाम

पता

आवेदन संदर्भ सं० (एआरएन)

तारीख –

कारण बताओं सूचना के उत्तर को स्वीकार करने/नामंजूर करने के लिए आदेश

यह संदर्भ संख्यातारीख..... द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल किए गए आपके तारीख..... के उत्तर के संदर्भ में है । आपके उत्तर की परीक्षा की गई और उसे समाधानप्रद रूप में पाया गया है और अतः, प्रशमन स्कीम के अधीन कर संदाय के विकल्प को जारी रखा जाएगा । उक्त कारण बताओ सूचना रद्द की जाती है ।

या

यह संदर्भ संख्यातारीख..... द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल किए गए आपके तारीख..... के उत्तर के संदर्भ में है । आपके उत्तर की परीक्षा की गई और उसे समाधानप्रद रूप में नहीं पाया गया है और अतः, प्रशमन स्कीम के अधीन कर संदाय के विकल्प का निम्नलिखित कारणों से << >> से अस्वीकृत किया जाता है ।

<< पाठ >>

या

 आपने कारण बताओ सूचना का कोई उत्तर फाइल नहीं किया है; या

 आप सुनवाई के लिए नियत तारीख हाजिर नहीं हुए हैं ।

अतः निम्नलिखित कारणों से << तारीख >> से संविचन स्कीम के अधीन आपके कर संदाय के विकल्प का अस्वीकृत किया जाता है :

<< पाठ >>

तारीख

स्थान

हस्ताक्षर

उचित अधिकारी का नाम

पदनाम

अधिकारिता

प्ररूप जीएसटी आरईजी -01
[नियम 8(1) देखें]
रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(अनिवासी कराधेय व्यक्ति, धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति और धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट किसी गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत से बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं का प्रदाय करने वाला कोई व्यक्ति से भिन्न)

भाग- क

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र- ▾ जिला- ▾

(i)	कारबार का विधिक नाम: (यथाउल्लिखित स्थायी लेखा संख्या)	
(ii)	स्थायी लेखा संख्यांक: (कारबार का स्थायी लेखा संख्यांक; भागीदारी समुत्थान की दशा में व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक प्रविष्ट करें)	
(iii)	ई-मेल पता :	
(iv)	मोबाइल संख्या :	
टिप्पण.- भाग-ख को भरने हेतु कार्रवाई से पूर्व ऊपर दी गई सूचना ऑनलाइन सत्यापन के अधीन होगी। आवेदन फाइल करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को अपना मोबाइल सं० और ई-मेल पता देना होगा।		
भाग-ख		
1.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
2.	कारबार का गठन (समुचित का चयन करें)	
(i)	स्वत्वधारी	(ii) भागीदारी
(iii)	हिंदु अविभक्त कुटुम्ब	(iv) प्राईवेट लिमिटेड कंपनी
(v)	पब्लिक लिमिटेड कंपनी	(vi) सोसायटी/क्लब/न्यास/व्यक्ति संगम
(vii)	सरकारी विभाग	(viii) पब्लिक सैक्टर उपक्रम
(ix)	अनलिमिटेड कंपनी	(x) सीमित दायित्व भागीदारी
(xi)	स्थानीय प्राधिकारी	(xii) कानूनी निकाय
(xiii)	विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	(xiv) रजिस्ट्रीकृत विदेशी कंपनी (भारत में)

(xv)	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			
3.	राज्य का नाम	△	जिला	△
4.	अधिकारिता	राज्य		केन्द्र
		सैक्टर, सर्कल, वार्ड, युनिट आदि अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
5.	प्रशमन के लिए विकल्प	हां	नहीं	
6.	<p>प्रशमन की घोषणा</p> <p><input type="checkbox"/> मैं यह घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कारबार में अधिनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों का या प्रशमन स्कीम के अधीन कर संदाय के विकल्प के लिए नियमों का पालन किया गया है ।</p>			
6.1	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग ढचैकबॉक्स में चिन्हित करें>			
(i)	ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, जिसके लिए विकल्प उपलब्ध नहीं हैं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता			
(ii)	अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने वाले पूर्तिकार			
(iii)	(प्रशमन उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार।			
7.	कारबार के प्रारंभ की तारीख	दिन/मास/वर्ष		
8.	तारीख जिसको रजिस्टर किए जाने का दायित्व उद्भूत हुआ है	दिन/मास/वर्ष		
9.	क्या आपने नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है	हां	नहीं	
10.	यदि क्रम सं0 9 में 'हां' का चयन किया गया है तो वह अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है	से	दिन/मास/वर्ष	तक दिन/मास/वर्ष
11.	यदि क्रम सं0 9 में 'हां' का चयन किया गया है तो रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान प्राक्कलित पूर्तियों और प्राक्कलित शुद्ध कर दायित्व ।			
क्रम सं0		कर का प्रकार	आवर्त (रुपए में)	शुद्ध कर दायित्व (रुपए में)
(i)	एकीकृत कर			
(ii)	केन्द्रीय कर			
(iii)	राज्य कर			
(iv)	संघ राज्यक्षेत्र कर			
(v)	उपकर			

	कुल योग			
	संदाय के ब्यौरे			
	चालान पहचान संख्यांक	तारीख		रकम
12.	क्या आपने विशेष आर्थिक जोन इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है ?	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>	
	(i) विशेष आर्थिक जोन के नाम का चयन करें			▽
	(ii) अनुमोदन आदेश संख्यांक और आदेश की तारीख			
	(iii) अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का पदनाम			
13.	क्या आपने विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है ?	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>	
	(i) विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता के नाम का चयन करें			▽
	(ii) अनुमोदन आदेश संख्यांक और आदेश की तारीख			
	(iii) अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का पदनाम			
14.	रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने कारण:	(viii) दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का विलियन /समामेलन		
	(i) सीमारेखन			
	(ii) अंतरराज्यिक प्रदाय	(ix) इनपुट सेवा वितरक		
	(iii) धारा 9(3) या 9(4) के अधीन माल या सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के रूप में कर संदाय का दायित्व	(ix) धारा 9(5) के अधीन कर संदाय के लिए दायी व्यक्ति		
	(iv) ऐसे कारबार का अंतरण जिसमें कारबार के स्वामित्व का परिवर्तन हो (यदि अंतरिति रजिस्ट्रीकृत अस्तित्व नहीं है)	(xi) ई-कार्मस पोर्टल के माध्यम से प्रदाय करने वाला कराधेय व्यक्ति		
	(v) स्वत्वधारी की मृत्यु (यदि उत्तरवर्ती रजिस्ट्रीकृत अस्तित्व नहीं है)	(xii) स्वैच्छिक आधार		

(vi) निर्विलयन	(xiii) अन्य कराधेय व्यक्ति (व्यक्तियों) की ओर से माल और/या सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति
(vii) कारबार के गठन में परिवर्तन	(xiv) अन्य (जो ऊपर नहीं आते हैं) – विनिर्दिष्ट करें

15.	विद्यमान रजिस्ट्रीकरण उपदर्शित करें जहां कहीं लागू हों ।		
	मूल्य वर्धित कर के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्यांक		
	केन्द्रीय विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक		
	प्रवेश कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक		
	मनोरंजन कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक		
	होटल और विलासिता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक		
	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्यांक		
	सेवा-कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक		
	कारपोरेट पहचान संख्यांक/विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्यांक		
	सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्यांक/विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्यांक		
	आयातकर्ता/निर्यातकर्ता कोड संख्यांक		
	चिकित्सीय और प्रसाधन निर्मिति (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्यांक		
	दुकानों और संस्थापन अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्यांक		
	अस्थायी पहचान, यदि कोई हो		
	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		
16.	(क) कारबार के मुख्य स्थान का पता		
	भवन सं०/प्लैट सं०	तल सं०	
	परिसर/भवन का नाम	सड़क/गली	
	शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव	जिला	
	तालुक/ब्लॉक		
	राज्य	पिन कोड	
	अक्षांश	देशांतर	
	(ख) संपर्क सूचना		
	कार्यालय ई-मेल पता	कार्यालय दूरभाष संख्या	एसटीडी
	मोबाईल संख्या	कार्यालय फैक्स संख्या	एसटीडी

(ग) परिसर की प्रकृति					
अर्जन	पट्टा	किराए पर	सहमति	हिस्सेदार	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
(घ) ऊपर वर्णित परिसर पर किए जा रहे कारबार के क्रियाकलापों की प्रकृति (जो लागू हों कृपया उन्हें चिन्हित करें)					
फैक्टरी/विनिर्माण		थोक कारबार		खुदरा कारबार	
भांडागार/डिपो		बंधित भांडागार		सेवाओं के पूर्तिकार	
कार्यालय/विक्रय कार्यालय		पट्टा कारबार		माल या सेवाओं का प्राप्तिकर्ता	
ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी		संकर्म सविदा		निर्यात	
आयात		अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			
17. बैंक खाता (खातों) का ब्यौरा					
कारबार चलाने के लिए आवेदक द्वारा रखे गए बैंक खातों की कुल संख्या (10 बैंक खातों तक की रिपोर्ट दी जाए)					
बैंक खाता 1 का ब्यौरा					
खाता संख्या					
खाते का प्रकार	आईएफएससी				
बैंक का नाम					
शाखा का पता	ऑटो पोपुलेटड द्वारा किया जाए (संपादित विधि)				

टिप्पण. --- और अधिक खातों को जोड़ें -----

18. कारबार द्वारा पूर्ति किये गए माल का ब्यौरा :

कृपया 5 उच्च श्रेणी के माल को विनिर्दिष्ट करें		
क्रम सं०	माल का विवरण	एचएसएन कोड (चार अंको में)
(i)		
(ii)		
...		
(v)		

19. कारबार द्वारा पूर्ति किये गए सेवाओं का ब्यौरा ।

कृपया 5 उच्च श्रेणी की सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें		
क्रम सं०	सेवाओं का विवरण	एचएसएन कोड (चार अंको में)
(i)		
(ii)		
...		
(v)		

20. कारबार के अतिरिक्त स्थान (स्थानों) का ब्यौरा

अतिरिक्त स्थानों की संख्या	
----------------------------	--

परिसर 1

(क) कारबार के अतिरिक्त स्थानों का ब्यौरा

भवन सं० / फ्लैट सं०		तल सं०	
परिसर / भवन का नाम		सड़क / गली	
शहर / कस्बा / परिक्षेत्र / गांव		जिला	
तालुक / ब्लॉक			
राज्य		पिन कोड	
अक्षांश		देशांतर	
(ख) संपर्क सूचना			
कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय दूरभाष संख्या	एसटीडी
मोबाईल संख्या		कार्यालय फैक्स संख्या	एसटीडी
(ग) परिसर की प्रकृति			
अर्जन	पट्टा	किराए पर	सहमति
			हिस्सेदार
			अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
(घ) ऊपर वर्णित परिसर पर किए जा रहे कारबार के क्रियाकलापों की प्रकृति (जो लागू हों कृपया उन्हें चिन्हित करें)			
फैक्टरी / विनिर्माण		थोक कारबार	खुदरा कारबार
भांडागार / डिपो		बंधित भांडागार	सेवाओं के प्रदायकर्ता
कार्यालय / विक्रय कार्यालय		पट्टा कारबार	माल या सेवाओं का प्राप्तिकर्ता
ईओयू / एसटीपी / ईएचटीपी		संकर्म संविदा	निर्यात
आयात		अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

21. स्वत्वधारी/सभी भागीदार/कर्ता/प्रबंधन निदेशक और न्यास के संगम/बोर्ड के प्रबंधन समिति के पूर्णकालिक निदेशक/सदस्यों का ब्यौरा ।

विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तारीख	दिन/मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष, स्त्री, अन्य>
मोबाईल संख्या		ई-मेल पता	
टेलीफोन सं० एसटीडी सहित			
पदनाम/प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्यांक (यदि कोई है)	
स्थायी लेखा संख्या		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/ नहीं	पासपोर्ट संख्या (विदेशी नागरिक की दशा में)	
आवासीय पता			
भवन सं०/प्लैट सं०		तल सं०	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव		जिला	
ब्लॉक/तालुक			
राज्य		पिन कोड	
देश (विदेशी नागरिक की दशा में)		जिप कोड	

22. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ब्यौरा

प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए चौक बॉक्स

हस्ताक्षरी सं० 1 का ब्यौरा

विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तारीख	दिन/मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष,स्त्री,अन्य>
मोबाईल संख्या		ई-मेल पता	

टेलीफोन नंबर, एसटीडी के साथ			
पदनाम/प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
स्थायी खाता संख्या		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं ?	हां/नहीं	पासपोर्ट नंबर (विदेशियों के मामलों में)	

भारत में आवासीय पता			
मकान नंबर/प्लैट नंबर		तल नंबर	
परिसर /मकान का नाम		सड़क/गली	
ब्लाक /तालुका			
शहर/नगर /मुहल्ला/ ग्राम		जिला	
राज्य		पिन कोड	

23. प्राधिकृत प्रतिनिधि का ब्यौरा

नामांकन आई डी, यदि उपलब्ध हो			
निम्नलिखित ब्यौरें दे, यदि अभ्यावेशन आई डी उपलब्ध न हो			
स्थायी खाता संख्या			
आधार, यदि स्थायी खाता संख्या उपलब्ध न हो			
	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
व्यक्ति का नाम			
पदनाम/प्रास्थिति			
मोबाइल नंबर			
ई मेल पता			
टेलीफोन नंबर, एस टी डी के साथ		फैक्स नंबर, एस टी डी के साथ	

24. राज्य विशिष्ट सूचना

वृत्तिक कर नामांकन कोड संख्या

वृत्तिक कर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या

राज्य उत्पाद शुल्क अनुज्ञप्ति संख्या और उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम से उत्पाद शुल्क की अनुज्ञप्ति है

(क) फिल्ड 1

(ख) फिल्ड 2

(ग)

(घ)

(ड.) फिल्ड

25. दस्तावेज अपलोड करना

प्ररूप में फिल्ड वैल्यू के अनुसार ग्राहक-अपेक्षित दस्तावेजों की सूची को अपलोड करने (नियम 8 में निर्दिष्ट) की अपेक्षा की जाती है ।

26. सहमति

मैं आधार संख्या के धारक की ओर से < प्ररूप में दिये गए आधार संख्या के आधार पर पहले से भरे गए> माल और सेवा कर नेटवर्क को अधिप्रमाणित करने के उद्देश्य से अपना ब्यौरा प्राप्त कराने हेतु सहमति देता हूँ । माल और सेवा कर नेटवर्क ने मुझे सूचित किया है कि पहचान की जानकारी का प्रयोग केवल आधार धारक की पहचान मान्य करने के लिए किया जाएगा और केवल अधिप्रमाणित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय पहचान डेटा संग्रह के साथ साझा किया जाएगा ।

27. सत्यापन (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा)

..... मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य और ठीक है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

हस्ताक्षर

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....

तारीख:

पदनाम / प्रास्थिति.....

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची :—

1.	<p>फोटो (जहां आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है)</p> <p>(क) स्वत्वधारी समुत्थान – स्वत्वधारी</p> <p>(ख) भागीदारी फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी – प्रबंध/प्राधिकृत/अभिहित भागीदार (सभी भागीदारों के व्यक्तिगत ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे, परंतु प्रबंध भागीदार सहित केवल दस भागीदारों की फोटो प्रस्तुत की जाएगी)</p> <p>(ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब – कर्ता</p> <p>(घ) कंपनी – प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत व्यक्ति</p> <p>(ङ) न्यास – प्रबंध न्यासी</p> <p>(च) व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय – प्रबंध समिति के सदस्य (सभी सदस्यों के व्यक्तिगत ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे, परंतु अध्यक्ष सहित केवल दस सदस्यों की फोटो प्रस्तुत की जाएगी)</p> <p>(छ) स्थानीय प्राधिकारी – मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका समतुल्य</p> <p>(ज) कानूनी निकाय – मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका समतुल्य</p> <p>(झ) अन्य –भारसाधक व्यक्ति</p>
2.	<p>कारबार का गठन : भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारी विलेख, सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब, सरकारी विभाग, व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय और अन्य, आदि की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/गठन का प्रमाण ।</p>
3.	<p>कारबार के मुख्य स्थान का प्रमाण :</p> <p>(क) स्वयं के परिसर के लिए—</p> <p>परिसर के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज, यथा नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति ।</p>

	<p>(ख) भाड़े पर लिए गए या पट्टे पर लिए गए परिसर के लिए— पट्टाकर्ता के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति के साथ वैध किराए/पट्टा करार की प्रति ।</p> <p>(ग) ऊपर (क) और (ख) के अंतर्गत न आने वाले परिसर के लिए— सहमतिकर्ता के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति के साथ सहमति पत्र की प्रति । शेयर की गई संपत्तियों के लिए भी, यही दस्तावेज अपलोड किए जा सकेंगे ।</p> <p>(घ) भाड़े पर लिए गए/पट्टे पर लिए गए परिसर के लिए, जहां किराए/पट्टा करार उपलब्ध नहीं है, वहां परिसर के कब्जे के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, विद्युत बिल की प्रति के साथ उस प्रभाव का शपथपत्र ।</p> <p>(ङ) यदि कारबार का मुख्य स्थान विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित है या आवेदक विशेष आर्थिक जोन का विकासकर्ता है, तो भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को अपलोड करना अपेक्षित है ।</p>
<p>4.</p>	<p>बैंक खाते से संबंधित प्रमाण : बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ या बैंक विवरण के सुसंगत पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति या रद्द किए गए चेक की, जिसमें स्वत्वधारी या कारबार अस्तित्व का नाम, बैंक खाता सं०, एम.आई.सी.आर. कोड, आई.एफ.एस.सी. और कोड सहित शाखा विवरण अंतर्विष्ट हो, स्कैन प्रति ।</p>
<p>5.</p>	<p>प्राधिकारपत्र प्ररूप :— आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए, प्रबंध समिति या निदेशक बोर्ड के संकल्प या प्राधिकारपत्र की प्रति निम्नलिखित प्ररूप में भरे जाएंगे : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए पृथक) (स्वत्वधारी/सभी भागीदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति/ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य आदि) मैं/हम (नाम) (रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम) का (भागीदार/ कर्ता /प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति/ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य आदि), सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/करते हैं कि << प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, (प्रास्थिति/पदनाम) >> को संकल्प सं० तारीख द्वारा (प्रति इसके साथ प्रस्तुत), << माल और सेवा कर पहचान संख्यांक – कारबार का नाम >>, कारबार के लिए, जिसके लिए अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल किया जा रहा है, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । इस कारबार के संबंध में उसके सभी कार्य मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगे ।</p> <p style="text-align: right;">हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर नाम : प्रास्थिति/पदनाम : (स्वत्वधारी/कारबार अस्तित्व का नाम)</p>
	<p>प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अभिस्वीकृति मैं << (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) >> उपर्युक्त निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी अभिस्वीकृत देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे ।</p> <p>स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर तारीख : (नाम) पदनाम/प्रास्थिति :</p>

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

- व्यक्ति का नाम, कारबार के स्थायी लेखा संख्यांक में अभिलिखित के अनुसार दर्ज करे । स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में, स्वत्वधारी का नाम विधिक नाम के सामने दर्ज करे और स्वत्वधारी का स्थायी लेखा संख्यांक उल्लिखित करे । स्थायी लेखा संख्यांक आय-कर डाटाबेस से सत्यापित किया जाएगा ।
- सत्यापन और भावी संसूचना के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल पता और मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराएं, जो आवेदन के भाग ख को भरे जाने से पूर्व, पृथक रूप से भेजे जाने वाले एक समय पासवर्ड द्वारा सत्यापित किया जाएगा ।
- कारबार द्वारा किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता घोषित किए जाने की दशा में, आवेदक द्वारा स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/कर्ता/प्रबंध निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति/ट्रस्टी बोर्ड के सदस्यों आदि हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी आवश्यक है ।
- निम्नलिखित व्यक्ति नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को अंकीय हस्ताक्षर कर सकते हैं :—

कारबार का गठन	व्यक्ति, जो आवेदन को अंकीय हस्ताक्षर कर सकते हैं
स्वत्वधारिता	स्वत्वधारी
भागीदारी	प्रबंध/प्राधिकृत भागीदार
हिंदू अविभक्त कुटुंब	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
सोसाइटी/क्लब/ट्रस्ट/व्यक्ति संगम	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	भारसाधक व्यक्ति
पब्लिक सेक्टर उपक्रम	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
असीमित कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
सीमित दायित्व भागीदारी	पदाभिहित भागीदार
स्थानीय प्राधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
कानूनी निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	भारसाधक व्यक्ति

- प्राधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में जानकारी वैकल्पिक है । यदि प्राधिकृत प्रतिनिधि नामांकित है तो कृपया समान पोर्टल पर उपलब्ध सूची से अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि का चयन करे, अन्यथा ऐसे व्यक्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराएं ।
- राज्य से संबंधित सूचना केवल संबंधित राज्य के लिए ही सुसंगत है ।
- नीचे वर्णित व्यक्तियों द्वारा भरे गए आवेदन अंकीय रूप से हस्ताक्षरित होंगे :—

क्रम सं०	आवेदक का प्रकार	अपेक्षित हस्ताक्षर का प्रकार
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर उपक्रम अनलिमिटेड कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डी.एस.सी.) वर्ग 2 और अधिक

2.	उपर्युक्त से अन्यथा	अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डी.एस.सी.) वर्ग 2 और अधिक ई-हस्ताक्षर या कोई अन्य ढंग, जो अधिसूचित किया जाए ।
----	---------------------	--

8. स्थायी लेखा संख्यांक, आधार, निदेशक पहचान संख्यांक, चालान पहचान संख्यांक से संबंधित सभी सूचना, प्रणाली द्वारा आनलाइन विधिमान्य की जाएगी और सभी भरी गई सूचना के सफलतापूर्वक विधिमान्य किए जाने के पश्चात् अभिस्वीकृति प्राप्ति संख्या जनित किया जाएगा ।
9. आनलाइन फाईल किए गए आवेदन की प्रारिथिति, अभिस्वीकृत पर उपदर्शित आवेदन संदर्भ संख्या (ए. आर.एन.), समान पोर्टल पर प्रविष्ट करके, देखी जा सकती है ।
10. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाईल करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं है ।
11. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होगा ।
12. किसी व्यक्ति को, जिसके किसी राज्य के भीतर बहु शीर्षका कारबार हैं, जो अपने किसी कारबार शीर्षका के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण चाहता है, प्रत्येक शीर्षका के संबंध में पृथक् रूप से आवेदन करना आवश्यक होगा ।
13. आवेदन के अनुमोदन के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा ।
14. आवेदन के भाग क में प्रारंभिक ब्यौरे सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के पश्चात् अस्थायी संदर्भ संख्यांक (टी.आर.एन.) आबंटित किया जाएगा, जिसका आवेदन के भाग ख में ब्यौरे भरने के लिए उपयोग किया जाएगा । अस्थायी संदर्भ संख्यांक सामान्य पोर्टल पर 15 दिन की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा ।
15. कोई व्यक्ति, जो नियम 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने के लिए, प्ररूप जी.एस.टी. आर.ई.जी. 01 के भाग 10 में, विकल्प दे सकेगा, जो उक्त धारा के अधीन कर का भुगतान करने की सूचना समझी जाएगी ।

प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी-2
(नियम 8(5) देखें)
अभिस्वीकृति

आवेदन सन्दर्भ संख्या (एआरएन)

आपने आवेदन सफलतापूर्वक फाइल कर दिया है और आवेदन की विशिष्टियां निम्नानुसार है :

फाइल करने की तारीख :

फाइल करने का समय :

माल और सेवाकर पहचान संख्या, यदि उपलब्ध हो :

विधिक नाम :

व्यापार नाम (यदि लागू है) :

प्ररूप संख्या :

प्ररूप वर्णन :

केन्द्र अधिकारिता :

राज्य अधिकारिता :

फाइल किया गया :

अस्थायी सन्दर्भ संख्या (टीआरएन), यदि कोई हो :

संदाय के ब्यौरे : चालान पहचान संख्या :

तारीख :

रकम :

यह सिस्टम जनरेटेड अभिस्वीकृति है और किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है :

* केवल नैमित्तिककराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति के मामले में लागू ।

**जी.एस.टी. आरईजी-3 प्ररूप
(नियम 9(2) देखें)**

सन्दर्भ संख्या

तारीख

सेवा में,

आवेदक का नाम,

पता,

माल और सेवाकर पहचान संख्या (यदि उपलब्ध हो)

आवेदन सन्दर्भ संख्या (एआरएन)

रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दीकरण के लिए आवेदन से संबंधित अतिरिक्त जानकारी/ स्पष्टीकरण/दस्तावेजों के लिए नोटिस

यह आपके एआरएन तारीख द्वारा फाइल किए गए रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दीकरण के लिए आवेदन के सन्दर्भ में है । विभाग ने आपके आवेदन की परीक्षा की है और निम्नलिखित कारणों से वह सन्तुष्ट नहीं है :

- 1.
- 2.
- 3.

- आप तारीख तक अपना जबाव प्रस्तुत करने के लिए निदेशित किए जाते हैं
- आप तारीख को समय पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने के लिए निदेशित किए जाते हैं ।

यदि निर्धारित तारीख तक जबाव नहीं आता है तो आपका आवेदन अस्वीकृत होने का दायी होगा ।

कृपया नोट करें कि इस मामले में कोई और नोटिस/अनुस्मारक जारी नहीं किया जाएगा ।

हस्ताक्षर
उचित अधिकारी का नाम
पद नाम
अधिकारिता

* नए रजिस्ट्रीकरण आवेदन के लिए लागू नहीं ।

**प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी-04
(नियम 9(2) देखें)**

रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दीकरण के लिए स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज

1	नोटिस के ब्यौरे	सन्दर्भ संख्या		तारीख	
2.	आवेदन के ब्यौरे	सन्दर्भ संख्या		तारीख	
3.	जीएसटीआईएन, यदि लागू हो				
4.	कारबार का नाम (विधिक)				
5.	व्यापार नाम, यदि कोई हो				
6.	पता				
7.	क्या रजिस्ट्रीकरण या फील्ड के लिए आवेदन में कोई उपांतरण अपेक्षित है				हां नहीं (एक पर निशान लगाएँ)
8.	अतिरिक्त जानकारी				
9.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची				
10.	<p>सत्यापन</p> <p>मैं.....सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।</p> <p>प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर नाम पद नाम/प्रास्थिति</p> <p>स्थान : तारीख :</p>				

टिप्पण :

1. नए रजिस्ट्रीकरण के लिए मूल रजिस्ट्रीकरण आवेदन संपादन ढंग में उपलब्ध रहेगा यदि मद सात में विकल्प हां चुना गया हो ।
2. रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों के संशोधन के लिए, संशोधन के लिए आशयित फील्ड संपादन ढंग में उपलब्ध रहेगी यदि मद 7 में विकल्प हां चुना गया हो ।

**प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी-05
(नियम 9(4) देखें)**

सन्दर्भ संख्या :

सेवा में

आवेदक का नाम :

पता

माल और सेवा कर पहचान संख्या (यदि उपलब्ध हो)

रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/ रद्दीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृती का आदेश

यह आपके एआरएन तारीख द्वारा फाइल किए गए जबाब के सन्दर्भ में है। विभाग ने आपके जबाब की परीक्षा की है और निम्नलिखित कारणों से वह सन्तुष्ट नहीं है :

- 1.
- 2.
- 3.

इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है ।

या

आपने सन्दर्भ संख्या तारीख द्वारा जारी नोटिस का जबाब उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दिया है । इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है ।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
अधिकारिता

**प्ररूप जीएसटी आरईजी -06
(नियम 10(1) देखें)**

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

रजिस्ट्रीकरण संख्या जीएसटीआईएन/यूनिक नंबर (यू आई एन)

1.	विधिक नाम		
2.	व्यापार नाम, यदि कोई हो		
3.	कारबार का गठन		
4.	कारबार के मुख्य स्थान का पता		
5.	दायित्व की तारीख	दिन/माह/वर्ष	
6.	विधिमान्यता की अवधि (केवल नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति के मामले में लागू)	दिन/माह/वर्ष से	दिन/माह/वर्ष तक
7.	रजिस्ट्रीकरण का प्रकार		
8.	अनुमोदन प्राधिकारी की विशिष्टियां		
	केन्द्र	राज्य	
हस्ताक्षर			
	नाम		
	पदनाम		
	कार्यालय		
9.	प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख		
<p>टिप्पण – रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र राज्य में कारबार के सभी स्थानों में मुख्य रूप से दर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित है ।</p>			

उपाबंध क

कारबार के अतिरिक्त स्थानों के ब्योरे

माल और सेवा कर पहचान संख्यांक

विधिक नाम

व्यापार नाम, यदि कोई हो

राज्य में कारबार के अतिरिक्त स्थानों की कुल संख्या

क्रम सं.

पता

1

2

3

माल और सेवा कर पहचान संख्यांक

विधिक नाम

व्यापार का नाम, यदि कोई हो

स्वत्वधारी/भागीदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक प्रबंध समिति व्यक्ति संगमों के सदस्य/ न्यासियों का बोर्ड आदि

1.	फोटो	नाम पदनाम/ प्रास्थिति राज्य का निवासी
2.	फोटो	नाम पदनाम/ प्रास्थिति राज्य का निवासी
3.	फोटो	नाम पदनाम/ प्रास्थिति राज्य का निवासी
4.	फोटो	नाम पदनाम/ प्रास्थिति राज्य का निवासी
5.	फोटो	नाम पदनाम/ प्रास्थिति राज्य का निवासी
6.	फोटो	नाम पदनाम/ प्रास्थिति राज्य का निवासी
7.	फोटो	नाम पदनाम/ प्रास्थिति राज्य का निवासी
8.	फोटो	नाम पदनाम/ प्रास्थिति राज्य का निवासी
9.	फोटो	नाम पदनाम/ प्रास्थिति राज्य का निवासी
10.	फोटो	नाम पदनाम/ प्रास्थिति राज्य का निवासी

प्ररूप जीएसटी आरईजी-07
(नियम 12 (1) देखें)

धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहणकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

राज्य-

जिला-

भाग क

(i)	कर कटौतीकर्ता या कर संग्रहणकर्ता का विधिक नाम (स्थायी लेखा संख्या/कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या में उल्लेखानुसार)	
(ii)	स्थायी लेखा संख्या (कारबार के स्थायी लेखा संख्या भरें, संबद्ध स्वत्वधारिता के मामले में व्यष्टिक स्थायी लेखा संख्या)	
(iii)	कर कटौती संग्रहण लेखा संख्या (कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या भरें, यदि स्थायी लेखा संख्या उपलब्ध नहीं है)	
(iv)	ई-मेल पता	
(v)	मोबाइल नंबर	
टिप्पण.—भाग ख भरे जाने के लिए कार्रवाई किये जाने से पूर्व उपर्युक्त दाखिल सूचना ऑनलाइन सत्यापन के अधीन है ।		

भाग ख

1.	व्यापार का नाम,यदि कोई हो	
2.	कारबार का गठन (समुचित चयन करें)	
(i)स्वत्वधारी	<input type="checkbox"/>	(ii) भागीदारी <input type="checkbox"/>
(iii) हिन्दु अविभक्त कुटुंब	<input type="checkbox"/>	(iv) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी <input type="checkbox"/>
(v) पब्लिक लिमिटेड कंपनी	<input type="checkbox"/>	(vi) सोसाइटी/क्लब न्यास/व्यक्तियों का संगम <input type="checkbox"/>
(vii) सरकारी विभाग	<input type="checkbox"/>	(viii) पब्लिक सेक्टर उपक्रम <input type="checkbox"/>
(ix) अनलिमिटेड कंपनी	<input type="checkbox"/>	(x) सीमित दायित्व भागीदारी <input type="checkbox"/>
(xi) स्थानीय प्राधिकारी	<input type="checkbox"/>	(xii) कानूनी निकाय <input type="checkbox"/>
(xiii) विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	<input type="checkbox"/>	(xiv)रजिस्ट्रीकृत विदेशी कंपनी (भारत में) <input type="checkbox"/>
(xv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	<input type="checkbox"/>	
3.	राज्य का नाम	जिला
4.	अधिकारिता	केन्द्र
	सेक्टर/सर्किल /वार्ड/ प्रभार/यूनिट इत्यादि	
5.	रजिस्ट्रीकरण का प्रकार	कर कटौतीकर्ता <input type="radio"/> कर संग्रहणकर्ता <input type="radio"/>

6.	सरकार (केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	केन्द्र <input type="radio"/>	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र <input type="radio"/>
----	--	-------------------------------	--

7.	कर की कटौती करने/संग्रहीत करने के दायित्व की तारीख	तारीख/मास/वर्ष
8.	(क) कारबार के मुख्य स्थान का पता	
	भवन सं./प्लैट सं.	तल सं.
	परिसर/भवन का नाम	मार्ग/गली
	शहर/नगर/परिक्षेत्र/ग्राम	जिला
	ब्लॉक/धत्ताल्लुका	
	देशान्तर	अक्षांश
	राज्य	पिन कोड
	(ख) संपर्क सूचना	
	कार्यालय ई-मेल पता	कार्यालय टेलीफोन नं.
	मोबाइल नं.	कार्यालय फैक्स नं.
(ग)	परिसरों के कब्जे की प्रकृति	
	स्वामित्व	पट्टे पर दिया गया
		किराये पर दिया गया
		सहमति
		साझा की हुई
		अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
9.	क्या आपने उसी राज्य में माल और सेवा कर के अधीन कोई अन्य रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किए हैं ?	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
10.	यदि हां, माल और सेवा कर पहचान संख्या का उल्लेख करें	
11.	आइईसी (आयातकर्ता निर्यातकर्ता कोड), यदि लागू हों	
12.	कर कटौती करने/कर संग्रह करने के लिए उत्तरदायी डीडीओ (आहरण और संवितरण अधिकारी)/ व्यक्ति के ब्यौरे	
विशिष्टियां		
नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम
पिता का नाम		
फोटो		
जन्म की तारीख	तारीख/मास/वर्ष	लिंग
मोबाइल नं.		ई-मेल पता
टेलीफोन सं.एसटीडी सहित		
पदनाम/प्रारिथति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)
स्थायी लेखा संख्याक		आधार संख्या
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/नहीं	पासपोर्ट नं. (विदेशी व्यक्तियों के मामले में)
आवासीय पता		
भवन सं./प्लैट सं.		तल सं.

परिसर/भवन का नाम		परिक्षेत्र/ग्राम	
राज्य		पिन कोड	
13. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए चेक बॉक्स <input type="checkbox"/> हस्ताक्षरकर्ता सं. 1 के ब्यौरे			
विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तारीख	तारीख/मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष, स्त्री, अन्य>
मोबाइल नं		ई-मेल पता	
टेलिफोन नं.एसटीडी सहित			
पदनाम/प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
स्थायी लेखा संख्यांक		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/नहीं	पासपोर्ट सं. (विदेशी व्यक्तियों के मामले में)	
आवासीय पता (देश के भीतर)			
भवन सं./फ्लैट सं.		तल सं.	
परिसर/भवन का नाम		मार्ग/गली	
शहर/नगर/परिक्षेत्र/ग्राम		जिला	
राज्य		पिन कोड	
ब्लॉक/ताल्लुका			
टिप्पण-अतिरिक्त लिखें...			
14.	<p>सहमति</p> <p>मैं आधार सं <प्ररूप में दी गई आधार सं. के आधार पर पहले भरा गया> के धारक की ओर से अधिप्रमाण के प्रयोजन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अपने ब्यौरे प्राप्त करने के लिए "माल और सेवा कर नेटवर्क" के लिए सहमति देता हूं। "माल और सेवा कर नेटवर्क" ने मुझे सूचित किया है कि पहचान सूचना केवल आधार धारक की पहचान को विधिमान्य करने के लिए प्रयोग की जाएगी और इसे अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए ही केन्द्रीय पहचान आंकड़ा, संग्रह के साथ सांझा किया जाएगा।</p>		
15.	<p>सत्यापन</p> <p>मैं सत्य निष्ठा से यह प्रति ज्ञात करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।</p> <p style="text-align: right;">(हस्ताक्षर)</p> <p>स्थान: कर कटौती करने/कर संग्रह करने के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी/व्यक्ति/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम तारीख: (पदनाम)</p>		

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार विभागों या स्थानों या स्थानीय प्राधिकारी या केन्द्रीय अभिकरणों को लागू न होना):-

कारबार के मुख्य स्थान का सबूत:

(क) स्वयं के परिसरों के लिए –

परिसर के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति।

(ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए—

पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में विधिमाम्य किराया/पट्टा करार की प्रति सहित कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए –

सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में सहमतिपत्र की प्रति सहित कोई दस्तावेज जैसे नगरपालिका खाता की प्रति या बिजली के बिल की प्रति। सांझा की गई संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए।

(घ) किराए पर दिए गए/पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए जहां किराया/पट्टा करार उपलब्ध नहीं है वहां परिसर के कब्जे के समर्थन में किसी दस्तावेज जैसे बिजली के बिल की प्रति के साथ इस आशय का शपथपत्र।

(ङ) यदि कारबार का मुख्य स्थान विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित है या आवेदक विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, भारत सरकार द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेज या प्रमाणपत्र अपलोड किए जाने अपेक्षित हैं।

कर कटौतीकर्ता/कर संग्रहणकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश।

- कारबारिक कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक/स्थायी लेखा संख्यांक पर यथा अभिलिखित कर कटौतीकर्ता/कर संग्रहणकर्ता का नाम प्रविष्ट करें। कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक/स्थायी लेखा संख्यांक आय-कर विभाग डाटाबेस के साथ सत्यापित किए जाएंगे।
- सत्यापन और भावी संसूचना के लिए कर की कटौती करने/कर संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार डीडीओ (आहरण और संवितरण अधिकारी)/व्यक्ति की ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. उपलब्ध कराए जिससे आवेदन भरने से पहले पृथकतः भेजे जाने वाले वनटाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।
- ऐसा व्यक्ति जो डीडीओ/कर की कटौती करने वाले/कर संग्रह करने वाले व्यक्ति के रूप कार्य कर रहा है, आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकता है।
- अधोलिखित व्यक्तियों द्वारा फाइल किया गया आवेदन डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाएगा।

क्र. सं.	आवेदक के प्रकार	अपेक्षित डिजिटल हस्ताक्षर
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर उपक्रम	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके ऊपर के

	अनलिमिटेड कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी समिति दायित्व भागीदारी	
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके ऊपर के ई-हस्ताक्षर या कोई अन्य ढंग, जो विनिर्दिष्ट हो या जो अधिसूचित किया जाए

5. स्थायी लेखा संख्यांक, आधार, निदेशक पहचान संख्या चालान पहचान संख्या से सम्बन्धित सभी जानकारी प्रणाली द्वारा ऑनलाइन विधिमान्य की जाएगी और अभिस्वीकृति रसीद सं. सभी भरी गई सूचना के सफल विधिमान्यकरण के पश्चात् तैयार की जाएगी।
6. ऑनलाइन फाइल किए गए आवेदन की प्रास्थिति को समान पोर्टल पर देखा जा सकता है।
7. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई शुल्क संदेय नहीं है।
8. प्राधिकृत व्यक्ति अवयस्क नहीं होगा।

प्ररूप जीएसटी आरईजी-08
[नियम 12(3) देखें]

संदर्भ सं.
तारीख:

सेवा में

नाम:

पता:

आवेदन संदर्भ सं. (एआरएन) (उत्तर)

तारीख:

स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या स्रोत पर कर संग्रहणकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का आदेश

यह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए संदर्भ संख्या....., तारीख..... द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के संदर्भ में है।

चूंकि कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर फाइल नहीं किया गया है, या

चूंकि सुनवाई के लिए नियत तारीख को आप हाजिर नहीं हुए, या

चूंकि कारण बताओ सूचना के प्रति आपका उत्तर और सुनवाई के समय किए गए निवेदनों की जांच की गई है। अधोहस्ताक्षरी की यह राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) के लिए रद्द किया जा सकता है।

1.

2.

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख <<तारीख/मास/वर्ष >>.

आपको..... (तारीख) को या इससे पहले अधोलिखित रकम का संदाय करने के लिए निदेश दिया जाता है जिसके न हो सकने पर रकम अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वसूल की जाएगी।

(यह आदेश आपके डैश बोर्ड पर भी उपलब्ध है)

शीर्ष	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ कर	राज्यक्षेत्र	उपकर
कर						
ब्याज						
शास्ति						
अन्य						
कुल						

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
अधिकारिता

प्ररूप जीएसटी आरईजी-09
[नियम 13(1) देखें]

अनिवासी कराधेय व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन
भाग-क

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-

जिला -

(i)	अनिवासी कराधेय व्यक्ति का विधिक नाम	
(ii)	अनिवासी कराधेय व्यक्ति का लेखा संख्यांक, यदि कोई हो	
(iii)	पासपोर्ट संख्या, यदि स्थायी लेखा संख्यांक उपलब्ध नहीं है	
(iv)	कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश में सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम (स्थायी लेखा संख्यांक के अनुसार)	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का स्थायी लेखा संख्यांक	
(vii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल पता	
(viii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नं.(+91)	
टिप्पण.-जहां व्यवहार्य हो, भाग - ख को भरने से पूर्व, ऊपर प्रस्तुत सुसंगत जानकारी ऑनलाइन सत्यापन के अधधीन है।		

भाग-ख

1.	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ब्यौरे (भारत का निवासी होना चाहिए)							
	प्रथम नाम		मध्य नाम		अन्तिम नाम			
	फोटो							
	लिंग				पुरुष/स्त्री/अन्य			
	पदनाम							
	जन्म की तारीख				तारीख/मास/वर्ष			
	पिता का नाम							
	राष्ट्रीयता							
	आधार							
	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का पता				पता पंक्ति 1			
					पता पंक्ति 2			
					पता पंक्ति 3			
2.	वह अवधि, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है		से		तक			
			तारीख/मास/वर्ष		तारीख/मास/वर्ष			
3	आवर्त के ब्यौरे		प्राक्कलित आवर्त (रुपये)		प्राक्कलित कर दायित्व (शुद्ध) (रुपये)			
	राज्य के भीतर		अन्तर्राज्यीय		केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर
4	उद्गम देश में अनिवासी कराधेय व्यक्ति का पता							
	(कारबार अस्तित्व के मामले में - कार्यालय का पता)							
	पता पंक्ति 1							
	पता पंक्ति 2							
	पता पंक्ति 3							
	देश (ड्रॉप डाउन)							
	जिप कोड							
	ई-मेल पता							
	टेलिफोन नं.							
5	भारत में कारबार के मुख्य स्थान का पता							
	भवन सं./फ्लैट सं.				तल सं.			
	परिसर/भवन का नाम				मार्ग/गली			
	शहर/नगर/ग्राम/परिक्षेत्र				जिला			
	ब्लॉक/ताल्लुका							
	देशांतर				अक्षांश			
	राज्य				पिन कोड			
	मोबाइल नं.				टेलीफोन नं.			
	ई-मेल पता				फैक्स नं. एसटीडी सहित			

6	भारत में बैंक खाते के ब्यौरे					
	लेखा संख्या		लेखा का प्रकार			
	बैंक का नाम		शाखा का पता		आईएफएससी	
7	अपलोड किए गए दस्तावेज प्ररूप में क्षेत्रीय महत्व के अनुसार अपलोड किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों (अनुदेश देखें) की अनुकूल सूची					
8	<p>घोषणा</p> <p>मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं छिपाई गई है।</p> <p>हस्ताक्षर स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम तारीख: पदनाम:</p>					

टिप्पण.—अनिवासी कराधेय व्यक्ति से पासपोर्ट और फोटो की स्कैन की गई प्रति के साथ घोषणा (अधोलिखित रूप विधान के अनुसार) अपलोड करने की अपेक्षा की जाती है।

साक्ष्य के रूप में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:—

1.	<p>मुख्य कारबार के स्थान का सबूत: (क) स्वयं के परिसरों के लिए – परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति (ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए— पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में विधिमान्य किराया/पट्टा करार की प्रति सहित कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति । (ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए – सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में सहमतिपत्र की प्रति सहित कोई दस्तावेज जैसे नगरपालिका खाता की प्रति या बिजली के बिल की प्रति। सांझा की गई संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए।</p>
2.	<p>अनिवासी कराधेय व्यक्ति के सबूत: बीजा के ब्यौरे सहित अनिवासी कराधेय व्यक्ति के पासपोर्ट की स्कैन की गई प्रति। भारत से बाहर निगमित या स्थापित कारबार अस्तित्व के मामले में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उसकी कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या, जिसके आधार पर उस राज्य की सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है या उसका स्थायी लेखा संख्यांक, यदि उपलब्ध हों, के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।</p>

<p>3</p>	<p>बैंक खाता सम्बद्ध सबूत: बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ या बैंक विवरण के सुसंगत पेज की स्कैन की गई प्रति या स्वत्वधारी या कारबार अस्तित्व का नाम, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर, आईएफएससी और कोड सहित शाखा के ब्यौरे अन्तर्विष्ट करने वाला रद्द चेक की स्कैन की गई प्रति।</p>
<p>4</p>	<p>प्राधिकार प्ररूप:- आवेदन प्ररूप में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए, निम्नलिखित रूप विधान में फाइल की जाने वाली प्रबन्ध समिति या निदेशक बोर्ड का प्राधिकार या उसके संकल्प के प्रति: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए अलग से) (स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/कर्ता/प्रबंध निदेशकों और संगमों की प्रबंध समिति/न्यासी बोर्ड आदि के पूर्णकालिक निदेशक/सदस्य इत्यादि का विवरण) मैं/हम.....(नाम) जो(रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम) के (भागीदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और संगमों की प्रबंध समिति/न्यासी बोर्ड आदि के पूर्णकालिक निदेशक/सदस्य हैं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करते हैं कि <<प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम (प्रास्थिति/पदाभिधान)>> कारबार<<माल और सेवा कर पहचान संख्या – कारबार का नाम >> जिसके लिए अधिनियम के अधीन आवेदन रजिस्ट्रीकरण के लिए फाइल किया गया है, के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए संकल्प संख्या..... तारीख.....(इसके साथ प्रस्तुत प्रति) द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। इस कारबार के सम्बन्ध में उसके सभी कार्य मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगे</p> <p style="text-align: center;">हस्ताक्षर</p> <p style="text-align: center;">नाम:</p> <p style="text-align: center;">पदनाम/प्रास्थिति:</p> <p style="text-align: center;">(स्वत्वधारी/कारबार अस्तित्व का नाम)</p>
	<p style="text-align: center;">प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में स्वीकृति</p> <p>मैं <<प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम>> सत्य निष्ठा से ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति देता हूँ और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे।</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p style="text-align: center;">प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर</p> <p>पता:</p> <p>तारीख:</p> <p style="text-align: right;">पदनाम/प्रास्थिति:</p> </div>

अनिवासी कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के लिए निदेश—

1. पासपोर्ट में यथा अभिलिखित आवेदक अनिवासी कराधेय व्यक्ति का नाम प्रविष्ट करें।
2. सामान्य पोर्टल पर कारबार के प्रारम्भ से कम से कम पांच दिन पहले आवेदन करें।
3. आवेदक को सत्यापन तथा भावी संसूचना के लिए ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. उपलब्ध कराना आवश्यक है जो आवेदन के भाग – ख को भरने से पूर्व, पृथक रूप से भेजने जाने वाले वन टाईम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।
4. आवेदक को स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/प्रबन्ध निदेशकों और संगमों की प्रबंध समिति/न्यासी बोर्ड के पूर्णकालिकनिदेशक/सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करना आवश्यक है, यदि कारबार किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में घोषित करता है।
5. अधोलिखित व्यक्तियों द्वारा फाइल किया गया आवेदन डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा।

क्र. सं.	आवेदक का प्रकार	अपेक्षित डिजिटल हस्ताक्षर
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर उपक्रम अनलिमिटेड कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी समिति दायित्व भागीदारी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके ऊपर के
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके ऊपर के, ई-हस्ताक्षर या जो अधिसूचित किया जाए

6. स्थायी लेखा संख्यांक, आधार, निदेशक पहचान संख्या चालान पहचान संख्या से सम्बन्धित सभी जानकारी प्रणाली द्वारा आनलाइन विधिमान्य की जाएगी और अभिस्वीकृति रसीद सं. सभी भरी गई सूचना के सफल विधिमान्यकरण के पश्चात् तैयार की जाएगी।
7. ऑनलाइन फाइल किए गए आवेदन की प्रास्थिति को समान पोर्टल पर देखा जा सकता है।
8. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई शुल्क संदेय नहीं है।
9. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भारतीय नागरिक होगा और वह अवयस्क नहीं होगा

प्ररूप जीएसटी आरईजी-10

[नियम 14(1) देखें]

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, भारत में किसी व्यक्ति को भारत से बाहर स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

भाग-क

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र – जिला –

(i)	व्यक्ति का विधिक नाम	
(ii)	व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक, यदि कोई हो	

(iii)	कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश में सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है	
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम (स्थायी लेखा संख्यांक के अनुसार)	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का स्थायी लेखा संख्यांक	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल पता	
(vii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नं. (+91)	
टिप्पण - जहां व्यवहार्य हो, भाग - ख को भरने से पूर्व, ऊपर प्रस्तुत सुसंगत जानकारी ऑनलाइन सत्यापन के अधीन है।		

भाग-ख

1.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ब्यौरा (भारत का निवासी होगा)				
	प्रथम नाम		मध्य नाम		अन्तिम नाम
	फोटो				
	लिंग			पुरुष/स्त्री/अन्य	
	पदनाम				
	जन्म की तारीख			तारीख/मास/वर्ष	
	पिता का नाम				
	राष्ट्रीयता				
	आधार, यदि कोई हो				
	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पता			पता पंक्ति 1	
			पता पंक्ति 2		
			पता पंक्ति 3		
2.	भारत में ऑनलाइन सेवा के प्रारम्भ की तारीख			तारीख/मास/वर्ष	
3	वेबसाइट, जिसके माध्यम से कराधेय सेवा उपलब्ध कराई जाती हैं, का यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल): 1. 2. 3...				
4	अधिकारिता		केन्द्र		
5	बैंक खाते के ब्यौरे				
	खाता सं.		खाता का प्रकार		
	बैंक का नाम		शाखा का पता		आइएफएससी
6	अपलोड किये गए दस्तावेज प्ररूप में फील्ड वैल्यू के अनुसार अपलोड किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों (अनुदेश देखें) की अनुकूल सूची				
7	घोषणा मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं छिपाई गई है। मैं.....यह घोषणा करता हूं कि मैं रजिस्टरकर्ता की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं। मैं कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित गैर-निर्धारित ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता से दायी से कर प्रभारित करूंगा और संग्रहीत करूंगा और उसे भारत सरकार में जमा करूंगा।				
	स्थान:	हस्ताक्षर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम			
तारीख:	पदनाम:				

टिप्पण: आवेदक से पासपोर्ट और फोटो की स्कैन की गई प्रति के साथ घोषणा (अधोलिखित रूप विधान के अनुसार) अपलोड करने की अपेक्षा की जाएगी।

साक्ष्य के रूप में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है।

1.	<p>भारत में कारबार के स्थान का सबूत: (क) स्वयं के परिसरों के लिए – परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति (ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए— पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में विधिमान्य किराया/पट्टा करार की प्रति सहित कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति । (ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए – सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में सहमतिपत्र की प्रति सहित कोई दस्तावेज जैसे नगरपालिका खाता की प्रति या बिजली के बिल की प्रति। सांझा की गई संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए।</p>
2.	<p>निम्नलिखित के सबूत :</p> <p>बीजा ब्यौरों के साथ अनिवासी करदाता के पासपोर्ट की स्कैन की गई प्रति। कंपनी/सोसाइटी/एलएलपी/एफसीएनआर आदि के मामले में ऐसा व्यक्ति, जो प्राधिकार पत्र के साथ मुख्तारनामा धारण करता है।</p> <p>निगमन के प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति यदि कंपनी भारत से बाहर या भारत में रजिस्ट्रीकृत है।</p> <p>उद्गम के देश द्वारा जारी लाइसेंस की स्कैन की गई प्रति भारत सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।</p>
3	<p>बैंक खाता सम्बद्ध सबूत: बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ/बैंक विवरण के एक पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति। स्वत्वधारी/कारबार समुत्थान के नाम में धारित बैंक पासबुक का आरंभिक पृष्ठ, जिसमें खाता धारक का खाता संख्या, नाम/एमआइसीआर और आइएफएससी तथा शाखा के ब्यौरे अन्तर्विष्ट हों।</p>
4	<p>प्राधिकार प्ररूप:— आवेदन पत्र में उल्लिखित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए, निम्नलिखित रूप विधान में फाइल की जाने वाली प्रबंध समिति या निदेशक बोर्ड के प्राधिकार या उसके संकल्प की प्रति:</p> <p>प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए अलग से) में(प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्तारनामा धारक) सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि कारबार <<कारबार का नाम>> जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण का आवेदन माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन फाइल किया जा रहा है/ रजिस्ट्रीकृत है, के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए <<प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम>> प्राधिकृत हूं।</p> <p>इस कारबार के सम्बन्ध में उसकी सभी कार्रवाईयां मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगी। उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर, जो भारसाधक हैं।</p>

क्र. सं. पूरा नाम 1.	पदनाम / प्रास्थिति	हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में स्वीकृति		
<p>मैं <<प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम>> ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने की अपनी स्वीकृति सत्यनिष्ठा से देता हूँ और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे।</p>		
(नाम) तारीख:	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर स्थान	
		पदनाम / प्रास्थिति

प्ररूप जीएसटी आरईजी-11
[नियम 15(1) देखें]

नैमित्तिक / अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण अवधि के विस्तार के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआइएन					
2.	नाम (विधिक)					
3.	व्यवसाय का नाम, यदि कोई हो					
4.	पता					
5.	विधिमान्यता की अवधि (मूल)	से	तक			
		तारीख / मास / वर्ष	तारीख / मास / वर्ष			
6.	वह अवधि जिसके लिए विस्तार का अनुरोध किया गया है	से	तक			
		तारीख / मास / वर्ष	तारीख / मास / वर्ष			
7.	विस्तारित अवधि के लिए आवर्त के ब्यौरे (रुपये)	विस्तारित अवधि के लिए प्राक्कलित कर दायित्व (शुद्ध) (रुपये)				
	अन्तर्राज्यीय	राज्य के भीतर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर उपकर
8.	संदाय के ब्यौरे					
	तारीख	सीआइएन	बीआरएन		रकम	
9.	घोषणा— मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं छिपाई गई है।					
स्थान: तारीख:					हस्ताक्षर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम: पदनाम / प्रास्थिति:	

विधिमान्यता के विस्तार के लिए आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुदेश

1. आवेदन विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति से पूर्व ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है।
2. आवेदन केवल तब फाइल किया जा सकता है जब अग्रिम संदाय किया गया है।
3. सफल फाइल करने के पश्चात्, आवेदन संदर्भ संख्या जनित होगी जिसे आवेदन की प्रास्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 12
[नियम 16(1)देखिए]

संदर्भ संख्या –

तारीख:

सेवा में,

(नाम):

(पता):

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण संख्या

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण/स्वप्रेरणा से रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने के लिए आदेश

अधोहस्ताक्षरी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि आप अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के दायी हैं और इसलिए आपका अस्थायी आधार पर रजिस्ट्रीकरण किया जाता है। कारबार परिसर से पता लगाई गई कारबार की विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :

उस व्यक्ति के ब्यौरे, जिसे अस्थायी रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है		
1.	नाम और विधिक नाम, यदि लागू हो	
2.	लिंग	पुरुष/ महिला/ अन्य
3.	पिता का नाम	
4.	जन्म की तारीख	दिन/ मास/ वर्ष
5.	व्यक्ति का पता	भवन संख्या/ फ्लैट संख्या
		मंजिल
		परिसर/ भवन का नाम
		सड़क / गली
		शहर/ नगर/ लोकलिटी/ ग्राम
		ब्लॉक/ तालुका
		जिला
		राज्य
	पिन कोड	

6.	व्यक्ति की स्थायी लेखा संख्या, यदि उपलब्ध हो	
7.	मोबाइल नंबर	
8.	ईमेल पता	
9.	अन्य पहचान, यदि कोई हो (मतदाता पहचान संख्या/पासपोर्ट संख्या/चालन अनुज्ञप्ति संख्या/आधार संख्या/अन्य)	
10.	अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के कारण	
11.	रजिस्ट्रीकरण/अस्थायी पहचान की प्रभावी तारीख	
12.	रजिस्ट्रीकरण संख्या/अस्थायी पहचान	
<p>(अभिग्रहण मेमो/निरुद्ध मेमो/कोई अन्य समर्थनकारी दस्तावेज का अपलोड किया जाना) << आपको इस आदेश के जारी होने के 30 दिनों के भीतर समुचित रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने का निदेश दिया जाता है >></p> <p style="text-align: right;">हस्ताक्षर << अधिकारी का नाम >> >></p> <p>स्थान तारीख: पदनाम/अधिकारिता :</p> <p>टिप्पण.—आदेश की एक प्रति अधिकारिता रखने वाले तत्स्थानी केंद्रीय/राज्य प्राधिकारी को भेजी जाएगी ।</p>		

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 13
[नियम 17 (1) देखिए]

संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/अन्य को विशिष्ट पहचान संख्या अनुदत्त करने के लिए आवेदन/प्ररूप

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-

जिला -

भाग क

(i)	इकाई का नाम	
(ii)	इकाई की स्थायी लेखा संख्या, यदि कोई है (किसी अन्य अधिसूचित व्यक्ति की दशा में लागू)	
(iii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की स्थायी लेखा संख्या	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ईमेल पता	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर (+91)	

भाग ख

1.	इकाई का किस्म (कोई एक चुनें)	संयुक्त राष्ट्र	दूतावास	अन्य व्यक्ति
2.	देश			
3.	अधिसूचना के ब्यौरे	अधिसूचना संख्या	तारीख	

4.	राज्य में इकाई का पता			
	भवन संख्या/फ्लैट नंबर	मंजिल		
	परिसर/भवन का नाम	सड़क/ गली		
	शहर/कस्बा/गाँव	जिला		
	ब्लॉक/तालुका			
	अक्षांश	देशान्तर		
	राज्य	पिन कोड		
	संपर्क के लिए जानकारी			
	ईमेल पता	टेलीफोन नंबर		
	फैक्स नंबर	मोबाइल नंबर		
5.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे, यदि लागू हों			
	विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
	नाम			
	फोटो			
	पिता का नाम			
	जन्म की तारीख	दिन/मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष, महिला,अन्य>
	मोबाइल नंबर		ईमेल पता	
	टेलीफोन नंबर			
	पदनाम/प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
	स्थायी लेखा संख्या		आधार संख्या	
	क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/नहीं	पासपोर्ट संख्या (विदेशियों के मामले में)	
	आवासीय पता			
	भवन संख्या/ फ्लैट नंबर		मंजिल	
	परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
	नगर/शहर/गाँव		जिला	
	ब्लॉक/तालुका			
	राज्य		पिन कोड	
6.	बैंक खाता ब्यौरे (यदि आवश्यक हो तो और जोड़ें)			
	खाता संख्या		खाते का प्रकार	
	आईएफएससी		बैंक का नाम	
	शाखा का पता			
7.	अपलोड किए गए दस्तावेज प्राधिकृत व्यक्ति, जिसके कब्जे में दस्तावेजी साक्ष्य हैं (संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि से भिन्न) ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत इकाई का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्तारनामा है, सम्मिलित हैं, को अपलोड किया जाएगा।			
	या			
	उचित अधिकारी, जिसने आवेदक (संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि) से दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए हैं, ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि का भारत में प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के			

	लिए संकल्प/मुख्तारनामा है, सम्मिलित हैं, के साथ सृजित और संबंधित संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि को आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या को अपलोड किया जाएगा ।
8.	सत्यापन मैं सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है ।

स्थान:

(हस्ताक्षर)

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम:

या

स्थान:

(हस्ताक्षर)

तारीख:

उचित अधिकारी का नाम:

पदनाम:

अधिकारिता:

सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/अन्य के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश ।

- प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा ।
- आवेदन समान पोर्टल के माध्यम से फाइल किया जाएगा या उचित अधिकारी द्वारा स्व:प्रेरणा से रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया जा सकता है
- समान पोर्टल पर फाइल किए गए आवेदन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से हस्ताक्षर करना अपेक्षित है
- संबंधित इकाई द्वारा प्रतिदाय आवेदन या अन्यथा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत ब्यौरों को आवेदन में "प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौर" के सामने भरा जाना चाहिए ।

प्ररूप जीएसटी आरईजी – 14

[नियम 19(1) देखिए]

रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन

(सभी प्रकार के रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए)

1. जीएसटीआईएन/यूआईएन			
2. कारबार का नाम			
3. रजिस्ट्रीकरणका प्रकार			
4. संशोधन सारांश			
क्रम सं.	फील्ड नाम	प्रभावी तारीख (दिन/ मास/ वर्ष)	कारण

5. अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची	
(क)	
(ख)	
(ग)	
...	
6. घोषणा	
<p>मैं सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।</p>	
स्थान:	हस्ताक्षर
तारीख :	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
	पदनाम/प्रास्थिति:

संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

1. संशोधन के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा ।
2. कारबार के नाम, कारबार का मुख्य स्थान, कारबार के अतिरिक्त स्थान और भागीदारों या निदेशकों के ब्यौरे, कर्ता, प्रबंध समिति, न्यासी बोर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य, जो कारबार के दिन प्रतिदिन के मामलों के लिए उत्तरदायी है— से संबंधित परिवर्तन, जो रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए अधिदेश नहीं करते हैं, कोर फील्ड हैं, जिनका सम्यक् सत्यापन के पश्चात् उचित अधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा ।
3. गैर-कोर फील्ड में संशोधन के लिए उचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है ।
4. जहां किसी कारबार के गठन में किसी परिवर्तन का परिणाम रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की स्थायी लेखा संख्या में परिवर्तन के रूप में होता है तो उक्त व्यक्ति से नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना अपेक्षित है ।
5. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के समय-समय पर संशोधित मोबाइल नंबर या ई-मेल पते में परिवर्तन को समान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन के पश्चात् ही किया जाएगा ।
6. स्थायी लेखा संख्या, आधार, निदेशक पहचान संख्या, चालान पहचान संख्या से संबंधित सभी सूचना का आनलाइन विधिमान्यकरण सिस्टम द्वारा किया जाएगा तथा आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) आवश्यक फील्ड के सफलतापूर्वक विधिमान्यकरण के पश्चात् सृजित की जाएगी ।
7. आवेदन की प्रास्थिति का समान पोर्टल पर पता लगाया जा सकता है ।
8. संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं है ।
9. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होगा ।

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 15
[नियम 19 (1) देखिए]

संदर्भ संख्या- << >>

तारीख – दिन/ मास/वर्ष

सेवा में

(नाम)

(पता)

रजिस्ट्रीकरण संख्या (माल और सेवा कर पहचान संख्या/विशिष्ट पहचान संख्या)

आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)

तारीख – दिन/ मास/वर्ष

संशोधन आदेश

यह आपके आवेदन संख्या ----- तारीख ----- जो रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में संशोधन के संबंध में है, के सन्दर्भ में है। आपके आवेदन की जांच की गई है और उसे सही पाया गया है। रजिस्ट्रीकरण का संशोधन प्रमाण पत्र डाउनलोड किए जाने के लिए आपके डैशबोर्ड पर उपलब्ध है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

तारीख

स्थान

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 16

[नियम 20 देखिए]

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आवेदन

1	जीएसटीआईएन		
2	विधिक नाम		
3	व्यापार नाम, यदि कोई हो		
4	कारबार के मुख्य स्थान का पता		
5	भावी पत्राचार के लिए पता (ईमेल, मोबाइल टेलीफोन, फ़ैक्स सहित)	भवन संख्या/प्लैट संख्या	मंजिल
		परिसर/भवन का नाम	सड़क/गली
		शहर/कस्बा/गाँव	जिला
		ब्लॉक/तालुका	
		अक्षांश	देशान्तर
		राज्य	पिन कोड
		मोबाइल (देश कोड के साथ)	टेलीफोन
ईमेल	फ़ैक्स संख्या		

6.	रद्द करने के कारण (एक चुने)	<input type="checkbox"/> कारबार को जारी न रखना/ समापन <input type="checkbox"/> कर का संदाय करने के लिए दायी होने का समाप्त होना <input type="checkbox"/> समामेलन, आमेलन/अविलयन, विक्रय, पट्टा या अन्यथा निपटान के कारण कारबार का अंतरण आदि । <input type="checkbox"/> कारबार के गठन में परिवर्तन के कारण स्थायी लेखा संख्या में परिवर्तन <input type="checkbox"/> एकल स्वत्वधारी की मृत्यु <input type="checkbox"/> अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	
7.	कारबार के अंतरण, विलयन की दशा में उस इकाई के रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियां, जिसमें विलयन, समामेलन, अंतरण आदि किया गया है, के मामले में		
(i)	माल और सेवा कर पहचान संख्या		
(ii)	(क) नाम (विधिक) (ख) व्यापार नाम, यदि कोई हो		
(iii)	कारबार के प्रधान स्थान का पता	भवन संख्या/फ्लैट संख्या	मंजिल
		परिसर/भवन का नाम	सड़क/गली
		शहर/कस्बा/गाँव	जिला
		ब्लॉक/तालुका	
		अक्षांश	देशान्तर
		राज्य	पिन कोड
		मोबाइल (देश कोड के साथ)	टेलीफोन
		ईमेल	फैक्स संख्या
8.	तारीख जिससे रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना है ।	दिन/ मास/ वर्ष	
9.	फाइल किए गए अंतिम रिटर्न की विशिष्टियां		
(i)	कर अवधि		
(ii)	आवेदन संदर्भ संख्या		
(iii)	तारीख		
10.	रजिस्ट्रीकरण के रद्द करने की प्रभावी तारीख को स्टॉक में धारित इनपुट/पूंजी मालों के संबंध में संदेय कर की रकम		
	विवरण	स्टॉक का मूल्य (रु.)	संदेय इनपुट कर/कर (जो भी अधिक हो) (रुपए)
		केंद्रीय कर	राज्य कर
			संघ राज्यक्षेत्र कर
			एकीकृत कर
			उपकर
	इनपुट		
	अर्ध तैयार मालों में अंतर्विष्ट इनपुट		
	तैयार मालों में अंतर्विष्ट इनपुट		
	पूंजी माल/संयंत्र और मशीनरी		
	योग		

11.	संदत्त कर के ब्यौरे, यदि कोई हो						
	रोकड़ खाते से संदाय						
	क्रम सं.	नामे प्रविष्टि संख्या	केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1.						
	2.						
		उप-योग					
	आईटीसी खाते से संदाय						
	क्रम सं.	नामे प्रविष्टि संख्या	केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1.						
	2.						
		उप-योग					
		संदत्त कर की कुल रकम					
12. अपलोड किए गए दस्तावेज							
13. सत्यापन							
मैं /हम सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूं/ करते हैं कि और यह घोषणा करता हूं/ करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।							
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर							
स्थान	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम						
तारीख	पदनाम/प्रास्थिति						

रद्द करने के लिए आवेदन फाइल करने के लिए अनुदेश

- (i) अपने रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने की इच्छा करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन, जिसमें अंतिम स्टॉक और उस पर दायित्व के ब्यौरों के साथ सुसंगत दस्तावेज होंगे, समान पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा ।
- (ii) निम्नलिखित व्यक्ति, जो लागू हो, रद्द करने के लिए आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करेंगे :

कारबार का गठन	व्यक्ति जो आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकता है
स्वत्वधारिता	स्वत्वधारी
भागीदारी	प्रबंधक/प्राधिकृत भागीदार

हिंदू अविभक्त कुटुंब	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सोसाइटी/क्लब/न्यास/एओपी	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	भारसाधक व्यक्ति
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अनलिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीमित दायित्व भागीदारी	नामनिर्दिष्ट भागीदार
स्थानीय प्राधिकरण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
कानूनी निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
कारबार का गठन	व्यक्ति जो आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकता है
अन्य	प्रभारी व्यक्ति

स्वत्वधारी की मृत्यु की दशा में आवेदन संबंधित कर प्राधिकारियों के समक्ष मैन्युअल रूप से उसके विधिक उत्तराधिकारी/उत्तरवर्ती द्वारा किया जाएगा। नई इकाई, जिसमें आवेदक स्वयं का समामेलन करने का प्रस्ताव करता है, को कर प्राधिकारी के पास उसके रद्द करने के लिए आवेदन करने से पूर्व रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। यह आवेदन केवल नई इकाई को रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् ही किया जाएगा।

रद्द करने के लिए आवेदन करने से पूर्व उस कर अवधि के लिए कृपया अपनी देय कर विवरणी फाइल करें, जिसमें रजिस्ट्रीकरण का अभ्यर्पण करने की प्रभावी तारीख आती है।

- (iii) आवेदन की प्रास्थिति का समान पोर्टल पर पता लगाया जा सकता है।
- (iv) रद्द करने के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं है।
- (v) रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति संदाय करेगा, यदि इस आवेदन को करने के समय नहीं किया गया है तो और अधिनियम में यथाउपबंधित अंतिम विवरणी प्रस्तुत करेगा।
- (vi) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने संपर्क के पते को अपडेट करेगा तथा मोबाइल नंबर और ई-मेल पते को भी अपडेट करेगा।

प्ररूप जीएसटी आरईजी – 17
[नियम 22(1) देखिए]

संदर्भ संख्या –

<< तारीख >>

सेवा में

रजिस्ट्रीकरण संख्या (जीएसटीआईएन/यूआईएन)

(नाम)

(पता)

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए कारण बताओ सूचना

मेरी सूचना में आई जानकारी के आधार पर यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित कारणों से आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का दायी है : -

- 1
- 2
- 3
- ...

आपको इस सूचना का प्रत्युत्तर इस नोटिस की तामील की तारीख से सात कार्यदिवस के भीतर देने का निदेश दिया जाता है ।

आपको अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष दिन/ मास/वर्ष को घंटा/मिनट पर उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है ।

यदि आप उपदर्शित तारीख के भीतर प्रत्युत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तारीख और समय पर वैयक्तिक सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं तो मामले का उपलब्ध अभिलेखों और गुणागुण के आधार पर एकतरफा विनिश्चय किया जाएगा ।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

<अधिकारी का नाम>

पदनाम

अधिकारिता

प्ररूप जीएसटी आरईजी-18

[नियम 22 (2) देखिए]

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए जारी कारण बताओ सूचना का प्रत्युत्तर

1.	संदर्भ सूचना की संख्या		जारी करने की तारीख	
2.	जीएसटीआईएन/यूआईएन			
3.	कारबार का नाम (विधिक)			
4.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो			
5.	सूचना का प्रत्युत्तर			
6.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची			
7.	सत्यापन मैं _____ सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और यह घोषित करता हूं कि यहां ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है । प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर नाम पदनाम/प्रास्थिति स्थान तारीख			

प्ररूप जीएसटी आरईजी-19
[नियम 22 (3) देखिए]

संदर्भ संख्या –

तारीख

सेवा में

नाम

पता

माल और सेवा कर पहचान संख्या/विशिष्ट पहचान संख्या

आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)

तारीख

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आदेश

आपके तारीख ---के प्रत्युत्तर के संदर्भ में तारीखकी कारण बताओं सूचना के संदर्भ में

– चूँकि कारण बताओं सूचना का कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है ; या

– चूँकि सुनवाई के लिए नियत दिन को आप उपस्थित नहीं हुए थे; या

– चूँकि अद्योहस्ताक्षरी ने सुनवाई के समय दिए गए आपके प्रत्युत्तर और दलीलों की जांच की है और उसका यह मत है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किए जाने का दायी है ।

1.

2.

आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने की प्रभावी तारीख << दिन/मास/वर्ष >> है ।

रद्दकरण के अनुसरण में संदेय रकम का अवधारण:

तदनुसार, आपके द्वारा संदेय रकम और उसकी संगणना तथा उसके आधार निम्नानुसार हैं :

पूर्वोक्त संदेय अवधारण की जाने वाली रकम किसी अन्य रकम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है, जो आपके द्वारा अंतिम विवरण प्रस्तुत किए जाने पर संदेय हो सकती है ।

आपसे (तारीख) को या उससे पूर्व निम्नलिखित रकमों का संदाय करना अपेक्षित है, जिसके न हो सकने पर रकम की अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वसूली की जाएगी ।

शीर्ष	केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ कर	राज्यक्षेत्र	एकीकृत कर	उपकर
कर						
ब्याज						
शास्ति						
अन्य						
योग						

स्थान: हस्ताक्षर
 तारीख: <अधिकारी का नाम>
 पदनाम
 अधिकारिता

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 20
 [नियम 22 (4) देखिए]

संदर्भ संख्या – तारीख

सेवा में

नाम

पता

जीएसटीआईएन/यूआईएन

कारण बताओं सूचना संख्या तारीख

रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए आदेश

यह आपके तारीख के कारण बताओं सूचना दिन/ मास/वर्ष के प्रत्युत्तर के उत्तर के सन्दर्भ में है। सुनवाई के दौरान दिए गए आपके उत्तर और/या दलीलों पर विचार करने पर रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां निम्नलिखित कारणों से समाप्त की जाती हैं :

<< पाठ >>

स्थान: हस्ताक्षर
 तारीख: <अधिकारी का नाम>
 पदनाम
 अधिकारिता

प्ररूप जीएसटीआईएन-21
 [नियम 23(1)देखें]

रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के विखंडन के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआईएन (रद्द)				
2.	विधिक नाम				
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हों				
4.	पता (कारबार का मुख्य स्थान)				
5.	रद्दकरण आदेश सं.		तारीख –		
6.	रद्दकरण के कारण				

7.	फाइल की गई अंतिम विवरणी का ब्यौरा				
	विवरणी की अवधि		आवेदन सन्दर्भ संख्यांक	फाइल करने की तारीख	दिन/मास/वर्ष
8.	रद्दकरण के विखंडन का कारण	संक्षिप्त में कारण (विस्तृत कारण संलग्नक के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं)			
9.	अपलोड दस्तावेज				
10.	सत्यापन मैं शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं तथा उसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है । प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर पूरा नाम (प्रथम नाम, मध्य, उपनाम) पदनाम/प्रास्थिति स्थान तारीख				

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. किसी व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण उचित अधिकारी द्वारा अपने आप रद्द कर दिया गया है, समान पोर्टल संख्या आवेदन पर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन कर सकेगा । यदि रजिस्ट्रीकरण विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने के कारण रद्द हुए हैं तो ऐसी विवरणी प्रस्तुत किये जाने तथा ऐसी विवरणी में कर के रूप में शोध्य कोई रकम उक्त विवरणियों के सम्बन्ध में ब्याज, शास्ति और विलम्ब शुल्क के लिए संदेय किसी रकम के साथ संदत्त किये जाने के बिना रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के विखंडन के लिए आवेदन दाखिल नहीं किया जायेगा ।
2. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोबाइल संख्या या ई-मेल पते में किसी परिवर्तन को समय-समय पर इनके आनलाईन सत्यापन के पश्चात् समान पोर्टल के माध्यम से विहित रीति में संशोधित किया जाएगा ।
3. समान पोर्टल पर आवेदन की प्रास्थिति देखी जा सकेगी ।
4. रद्द करण के विखंडन के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई शुल्क संदेय नहीं होगा ।

प्ररूप जीएसटी आरईजी-22

[नियम 23(2देखे)]

संदर्भ सं. —

तारीख

सेवा में

जीएसटीआईएन/यूआईएन

(करदाता का नाम)

(पता)

आवेदन संदर्भ सं. (एआरएन)

तारीख

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के लिए आदेश

यह रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के लिए आपके आवेदन तारीख दिन/ मास /वर्ष के संदर्भ में है। आपके आवेदन का परीक्षण किया जा चुका है और उसको सही पाया गया है, आपका रजिस्ट्रीकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है।

उचित अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर
(पदनाम)
अधिकारिता –

तारीख:

स्थान

प्ररूप जीएसटी-23**[नियम 23(3)देखें]**

संदर्भ सं. :

तारीख

सेवा में,

आवेदक/ करदाता का नाम

आवेदक/करदाता का पता

जीएसटीआईएन

आवेदन संदर्भ सं. (एआरएन):

तारीख

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के आवेदन को खारिज करने के लिए कारण बताओ नोटिस

यह रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के बाबत आपके आवेदन तारीख दिन/मास/वर्ष के संदर्भ में है। आपके आवेदन का परीक्षण किया गया और उसको निम्नलिखित कारणों से खारिज होने योग्य पाया गया :

- 1.
- 2.
- 3.

...

आपको यह निदेश दिया जाता है कि आप इस नोटिस के तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों में इस नोटिस का उत्तर दें।

आपको यह निदेश दिया जाता है कि आप दिन/मास/वर्ष को समय घंटा/मिनट पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों।

यदि आप निर्धारित समय में अपना उत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तारीख और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असफल रहते हैं तो मामला उपलब्ध अभिलेखों और गुणदोषों के आधार पर एकपक्षीय विनिश्चित कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर

उचित अधिकारी का नाम

(पदनाम)

अधिकारिता

प्ररूप जीएसटीआरईजी-24
[नियम 23(3)देखें]

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन को खारिज करने के नोटिस का उत्तर

1.	नोटिस की संदर्भ सं.		तारीख	
2.	आवेदन संदर्भ सं.(एआरएन)		तारीख	
3.	जीएसटीआईएन, यदि लागू हों			
4.	सूचना / कारण			
5.	फाइल दस्तावेजों की सूची			
6.	<p>सत्यापन मैं _____ शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं तथा उसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है ।</p> <p style="text-align: center;">प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर पूरा नाम पदनाम / प्रास्थिति</p> <p>तारीख स्थान</p>			

हिमाचल प्रदेश
प्ररूप जीएसटी आरईजी-25
[नियम 24(1)देखें]
अनंतिम रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

1.	अनंतिम पहचान	
2.	स्थायी खाता संख्यांक	
3.	विधिक नाम	
4.	व्यापारिक नाम	
5.	विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण ब्यौरे	
	अधिनियम	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक
(क)		
(ख)		
(ग)		
तारीख	<प्रमाणपत्र के सृजन की तारीख>	स्थान <राज्य>

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण का यह प्रमाणपत्र अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किया गया है ।

प्ररूप जीएसटी आरईजी-26

[नियम 24(2) देखें]

विद्यमान करदाता के नामांकन के लिए आवेदन			
करदाता का ब्यौरा			
1. अनंतिम पहचान			
2. विधिक नाम (स्थायी खाता सं. के अनुसार)			
3. विधिक नाम (राज्य/केन्द्र के अनुसार)			
4. व्यापार नाम, यदि कोई है			
5. कारबार का स्थायी लेखा सं०			
6. गठन			
7. राज्य			
7 अ. सेक्टर, सर्किल, वार्ड इत्यादि, जो लागू हों			
7 आ. केन्द्रीय अधिकारिता			
8. रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए दायित्व का कारण		पूर्ववर्ती विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण	
9. विद्यमान रजिस्ट्रीकरण			
क्रम सं.	रजिस्ट्रीकरण का प्रकार	रजिस्ट्रीकरण संख्या	रजिस्ट्रीकरण की तारीख
1	मूल्य वर्धित कर के अधीन टिन		
2	केन्द्रीय विक्रयकर रजिस्ट्रीकरण सं.		
3	प्रवेश कर रजिस्ट्रीकरण सं.		
4	मनोरंजन कर रजिस्ट्रीकरण सं.		
5	होटल और लग्जरी कर रजिस्ट्रीकरण सं.		
6	केन्द्रीय उत्पाद रजिस्ट्रीकरण सं.		
7	सेवा कर रजिस्ट्रीकरण सं.		
8	कारपोरेट पहचान सं./विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण		
9	सीमित दायित्व साझेदारी पहचान सं./विदेशी सीमित दायित्व साझेदारी पहचान सं.		
10	आयात/निर्यातक कोड सं.		
11	ओषधिय और प्रसाधन पर उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण		
12	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		
10. कारबार के मुख्य स्थान का ब्यौरा			
भवन सं./फ्लैट सं.		तल सं.	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
स्थान/ग्राम		जिला	
राज्य		पिन कोड	
अक्षांश		देशान्तर	
संपर्क सूचना			
कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालयदूरभाष सं.	
मोबाइल सं.		कार्यालय फैक्स सं.	

10 अ. परिसर के कब्जे की प्रकृति		(अपनी, पट्टे पर, किराए पर, सहमति से, साझेदारी)					
10 आ. किए जाने वाले कारबार क्रियाक्लापों की प्रकृति							
फैक्ट्री/निर्माण	<input type="radio"/>	थोक कारबार	<input type="radio"/>	खुदरा कारबार	<input type="radio"/>	भंडागार/डिपो	<input type="radio"/>
बांडेड भंडागार	<input type="radio"/>	सेवा उपबंध	<input type="radio"/>	कार्यालय/विक्रय कार्यालय	<input type="radio"/>	पट्टा कारबार	<input type="radio"/>
सेवा प्राप्तकर्ता	<input type="radio"/>	ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी	<input type="radio"/>	एस ई जैड	<input type="radio"/>	इनपुट सेवा वितरक	<input type="radio"/>
संकर्म संविदा	<input type="radio"/>	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	<input type="radio"/>				
11. कारबार के अतिरिक्त स्थानों का ब्यौरा							
भवन सं./प्लैट सं.				प्लैट सं.			
परिसर/भवन का नाम				सड़क/गली			
स्थान/ग्राम				जिला			
राज्य				पिन कोड			
अक्षांश				देशान्तर			
संपर्क सूचना							
कार्यालय ई-मेल पता				कार्यालय दूरभाष सं.			
मोबाइल सं.				कार्यालय फैक्स सं.			
11 अ. परिसर के कब्जे की प्रकृति		(अपनी, पट्टे पर, किराए पर, सहमति से, साझेदारी)					
11 आ. किए जाने वाले कारबार क्रियाक्लापों की प्रकृति							
फैक्ट्री/निर्माण	<input type="radio"/>	थोक कारबार	<input type="radio"/>	खुदरा कारबार	<input type="radio"/>	भंडागार/डिपो	<input type="radio"/>
बांडेड भंडागार	<input type="radio"/>	सेवा उपबंध	<input type="radio"/>	कार्यालय/विक्रय कार्यालय	<input type="radio"/>	पट्टा कारबार	<input type="radio"/>
सेवा प्राप्तकर्ता	<input type="radio"/>	ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी	<input type="radio"/>	एस ई जैड	<input type="radio"/>	इनपुट सेवा वितरक	<input type="radio"/>
संकर्म संविदा	<input type="radio"/>	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	<input type="radio"/>				
और जोड़ें							
12. कारबार द्वारा प्रदाय किए जाने वाला माल/सेवा का ब्यौरा							
क्रम सं.		माल का ब्यौरा				एचएसएन कोड	
क्रम सं.		सेवा का ब्यौरा				एचएसएन कोड	
13. कारबार चलाने के लिए आपके द्वारा रखे गए कुल बैंक खाते							
क्रम सं.	खाता सं.	खाता का प्रकार	आईएफएससी	बैंक का नाम	शाखा का खाता		

14. मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि के ब्यौरे				
नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	फोटो
पिता/पति का नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	
जन्म तिथि	दिन/मास/वर्ष	लिंग	पुरुष, स्त्री, अन्य	
मोबाईल सं.		ई-मेल पता		
टेलीफोन सं.				
पहचान सूचना				
पदनाम		निदेशक पहचान सं.		
स्थायी खाता संख्या		आधार सं.		
क्या आप भारत के नागरिक हैं	हां या नहीं	पासपोर्ट सं.		
निवास का पता				
भवन/फ्लैट सं.		तल सं.		
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली		
स्थान/ग्राम		जिला		
राज्य		पिन कोड		
15. प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे				
नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	फोटो
पिता/पति का नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	
जन्म तिथि	दिन/मास/वर्ष	लिंग	पुरुष, स्त्री, अन्य	
मोबाईल सं.		ई-मेल पता		
टेलीफोन सं.				
पहचान सूचना				
पदनाम		निदेशक पहचान सं.		
स्थायी खाता संख्या		आधार सं.		
क्या आप भारत के नागरिक हैं	हां या नहीं	पासपोर्ट सं.		
आवासीय पता				
भवन/फ्लैट सं.		तल सं.		
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली		
स्थान/ग्राम		जिला		
राज्य		पिन कोड		
और जोड़ें				
अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची दस्तावेजों की पारंपरिक सूची जिनका प्ररूप में क्षेत्रमूल्य के अनुसार अपलोड किया जाना अपेक्षित है, सूची में (अनुदेश देखें) में प्रत्येक प्रविष्टि के सामने अपलोड सुसंगत दस्तावेज के लिए उपबंध के साथ स्वतः आ जाने चाहिए ।				
16. मैं, प्ररूप में प्रदत्त आधार संख्याओं के धारकों के निमित्त माल और सेवाकर नैटवर्क को अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए यूआईडीएआई से ब्यौरे प्राप्त करने की सहमति देता हूँ । माल और सेवाकर नैटवर्क ने मुझे सूचित कर दिया है कि पहचान सूचना आधार धारक की पहचान को वैधता के लिए प्रयोग किया जाएगा तथा अभिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए ही केन्द्रीय पहचान डाटा रक्षण के साथ साझा की जाएगी ।				

17. घोषणा मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है तथा इसमें कुछ नहीं छिपाया गया है ।			
डिजीटल हस्ताक्षर/ई-साइन			
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नाम		स्थान	
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम		तारीख	

नामांकन के लिए आवेदन को फाइल करने के लिए अनुदेश

1. प्रत्येक व्यक्ति, स्रोत पर कर कटौती करने वाले से भिन्न या निवेश सेवा वितरक जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी लेखा संख्या रखता है, उसके ई-मेल और मोबाइल संख्या वैधता द्वारा समान पोर्टल पर नामांकित किया जाएगा ।
2. खंड (क) के अधीन नामांकन पर उक्त व्यक्ति को अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदत्त किया जाएगा और प्ररूप जी. एस. टी. आर. ई. जी. 25 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जिसमें माल और सेवाकर पहचान संख्या होगी को समान पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा ।
3. अधिप्रमाणन प्ररूप –
आवेदन प्ररूप में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए अधिप्रमाणन या प्रबंध समिति या बोर्ड निदेशकों के संकल्प प्रति निम्नलिखित फोरमेट में फाइल की जाएगी ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए पृथक)

1. मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि के ब्यौरे
- 2.
- 3.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि माल और सेवा पहचान संख्या – कारबार का नाम, कारबार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करता हूँ जिसके लिए माल और सेवा कर अधिनियम, 20- के अधीन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन फाइल किया जाना है/रजिस्ट्रीकृत है ।

इस कारोबार के संबंध में उसके सभी कृत्य मुझ/हम पर बाध्यकारी हैं ।

व्यक्तियों के हस्ताक्षर जो मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि हैं ।

क्रम सं.	पूरा नाम	पद / प्रास्थिति	हस्ताक्षर
1.			
2.			

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में स्वीकृति

मैं प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम शपथपूर्वक ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति देता हूँ और मेरे सभी कार्य कारबार पर बाध्यकारी होंगे ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
पदनाम/प्रास्थिति

तारीख
स्थान

आनलाईन प्ररूप भरने के लिए अनुदेश

- जीएसटी पोर्टल पर लॉग-इन के लिए राज्य/वाणिज्यकर/केन्द्रीय उत्पाद/सेवाकर विभाग द्वारा यथा प्रदत्त अपनी अनंतिम पहचान और पासवर्ड प्रविष्ट करें ।
- प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सही ई-मेल, पता और मोबाइल सं. दिए जाएं । ई-मेल पता और मोबाइल पते प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सम्पर्क सूचना के रूप में भरे जाएं ।
- पृथक वन टाइम पासवर्ड द्वारा सत्यापित किए जाएं। करदाता प्रथम लाग इन के पश्चात् अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड बदल लेगा ।
- करदाता को मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड कारबार का मूल स्थान और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के ब्यौरों के संबंध में आवेदन प्ररूप में अपेक्षित सूचनाएं भरना अपेक्षित होगा ।
- माल और सेवाओं (ऊपर की पांच) के संबंध में सेवाओं के लिए कारबार के अतिरिक्त, बैंक खाता वस्तुओं से संबंधित सूचना भरी जाना भी अपेक्षित है ।
- आवेदक को मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई कापी अपलोड करना आवश्यक है ।
- विनिर्दिष्ट संलग्नक के अनुसार किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में घोषित करने की दशा में आवेदक को मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई कापी अपलोड करना आवश्यक है ।
- साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित अपेक्षित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे –

1.	<p>आवेदन प्ररूप में जहां फोटोग्राफ विनिर्दिष्ट हों (अधिकतम दस) मालिकाना संबंध- मालिक साझेदारी फर्म/सीमित दायित्व साझेदारी – प्रबंध/प्राधिकृत साझेदार (सभी साझेदारों के वैयक्तिक ब्यौरे दिए जाएं लेकिन केवल दस फोटो दिए जाएं जिसमें प्रबंध साझेदार को दिए जाने वाले भी सम्मिलित हैं । हिन्दू अविभक्त कुटुंब – कर्ता कंपनी –प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत व्यक्ति न्यास –प्रबंध न्यासी व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि का निकाय-प्रबंध समिति के सदस्य (सभी सदस्यों के वैयक्तिक ब्यौरे दिए जाएं लेकिन केवल दस फोटो दिए जाएं जिसमें अध्यक्ष को दिए जाने वाले भी सम्मिलित हैं ।) स्थानीय निकाय- मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके समतुल्य कानूनी निकाय- मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके समतुल्य अन्य –कार्यसाधक व्यक्ति</p>
2.	<p>कारबार का गठन- साझेदारी फर्म की दशा में साझेदारी विलेख, समिति, न्यास, क्लब, सरकारी विभाग, व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि का निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय और अन्य इत्यादि में गठन का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र /सबूत ।</p>

3.	कारबार के मूल/अतिरिक्त स्थान का सबूत (क) अपने परिसर के लिए – परिसर के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या म्युनिसिपल खाता प्रति या विल की प्रति (ख) किराए या पट्टे के परिसर के लिए – पट्टे के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित वैध किराए /पट्टा करार की प्रति जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या म्युनिसिपल खाता प्रति या विल की प्रति (ग) उपरोक्त क और ख में न आने वाले परिसर के लिए – सहमतिकर्ता के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमति पत्र की प्रति जैसे म्युनिसिपल खाता प्रति या विद्युत बिल प्रति । साझेदार संपत्तियों के लिए ये दस्तावेज भी अपलोड किए जाएंगे ।
4	बैंक खाते से संबंधित सबूत बैंक पासबुक/बैंक विवरण के प्रथम पृष्ठ की स्कैन की हुई प्रति बैंक पासबुक के शुरुआती पृष्ठ जिसमें मालिक/संबंधित कारबार, खाता सं., खाता धारक का नाम, एमआईसीआर और आईएफएससी और शाखा ब्यौरे हों ।
5	प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए—प्रबंध समिति या बोर्ड निदेशकों का प्राधिकरण पत्र या संकल्प की प्रति जो इस प्रभाव हेतु विनिर्दिष्ट हों ।

- सूचना इलैक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रस्तुत करने के पश्चात् अपेक्षित होगी । निम्नलिखित व्यक्ति नामांकन के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं –

कारबार का गठन	व्यक्ति जो आवेदन पर डिजीटल हस्ताक्षर कर सकते हैं
स्वामित्व	स्वामी
साझेदारी	प्रबंध/प्राधिकृत साझेदार
हिन्दु अविभक्त परिवार	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
समिति /क्लब /न्यास/ एओपी	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	भारसाधक व्यक्ति
लोक सैक्टर उपक्रम	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अनलिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीमित दायित्व भागीदारी	पदाविहित साझेदार
स्थानीय प्राधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष
संवैधानिक निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी Partnership	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य	भारसाधक व्यक्ति

- आवेदन अनिवार्य रूप से डिजीटल हस्ताक्षरित निम्नलिखित रूप में होने चाहिए –

क्रम सं.	आवेदक का प्रकार	डिजिटल हस्ताक्षर अपेक्षित हैं
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी लोक सैक्टर उपक्रम अनलिमिटेड कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) वर्ग 2 और उपरोक्त
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) वर्ग 2 और उपरोक्त ई-हस्ताक्षर

नोट:— 1. आवेदक से समान पोर्टल पर अपने डीएससी को रजिस्ट्रीकृत करना अपेक्षित होगा ।

2. ई-हस्ताक्षर सुविधा आधार धारकों के लिए समान पोर्टल पर उपलब्ध होगी ।

स्थायी लेखा संख्या, आधार, निदेशक, पहचान संख्या, चालान, पहचान संख्या, सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या, से संबंधित सभी सूचनाएं सिस्टम द्वारा आनलाईन विधिमान्य किया जाएगा और पावती निदेश संख्या भरी गई सभी सूचनाओं के सफलतापूर्वक विधिमान्य होने के पश्चात् सृजित होंगी । आनलाईन भरे गए आवेदन की प्रास्थिति समान पोर्टल पर देखी जा सकेगी ।

1. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होना चाहिए ।

2. नामांकन के लिए आवेदन भरने हेतु कोई शुल्क लागू नहीं होगा ।

अभिस्वीकृति

नामांकन आवेदन—जी. एस. टी. प्ररूप— आवेदन संदर्भ संख्या (ए. आर. एन.)----- के विरुद्ध फाइल की गई

प्ररूप संख्या: <.....>

प्ररूप विवरण : <विद्यमान करदाताओं के नामांकन के लिए आवेदन>

फाइल करने की तारीख : <दिन/मास/वर्ष>

करदाता का व्यापारिक नाम: <व्यापारिक नाम>

करदाता का विधिक नाम : <राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा विधिक नाम>

अनंतिम पहचान संख्या : अनंतिम पहचान संख्या

यह सिस्टम से सृजित पावती है और इसमें हस्ताक्षर होना अपेक्षित नहीं है ।

प्ररूप जीएसटी आरईजी-27

(नियम 24(3) देखें)

संदर्भ संख्या <तारीख-दिन/मास/वर्ष>

सेवा में,

अनंतिम पहचान

नाम

पता

आवेदन संदर्भ संख्या (ए.आर.एन.) < > <तारीख-दिन/मास/वर्ष>>

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए कारण बताओ नोटिस

यह आपके आवेदन तारीख.....के संदर्भ में है। आवेदन का परीक्षण किया गया और निम्नलिखित कारणों से यह संतोषप्रद नहीं पाया गया:-

1

2

...

आपको यह कारण बताने का निदेश दिया जाता है कि क्यों न आपको प्रदत्त अनंतिम प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाए ।

हस्ताक्षर

उचित प्राधिकारी का नाम

पदनाम

अधिकारिता

तारीख

स्थान

प्ररूप जीएसटी आरईजी-28

(नियम 24(3) देखें)

संदर्भ संख्या <तारीख-दिन/मास/वर्ष>>

सेवा में,

नाम

पता

माल और सेवा कर पहचान संख्या /अनंतिम पहचान

आवेदन संदर्भ संख्या (ए.आर.एन.) < > <तारीख-दिन/मास/वर्ष>>

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आदेश

यह कारण बताओ नोटिस तारीख.....के संबंध में आपके उत्तर तारीख के संदर्भ में है ---

चूँकि कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं दिया गया है; या

चूँकि सुनवाई के लिए नियत दिन पर आप उपस्थित नहीं हुए; या

चूँकि अधोहस्ताक्षरी ने आपके उत्तर और सुनवाई के समय किए गए कथनों का परीक्षण किया और उनका विचार यह है कि आपका अनंतिम रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने का दायी है ।

1.

2.

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के अनुसरण में संदेय रकम का अवधारण

तदनुसार आपके द्वारा संदेय रकम और उसकी संगणना तथा उसके आधार निम्नलिखित हैं:

आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि निम्नलिखित रकम तारीख तक या उससे पूर्व संदेय करें जिसके असफल होने पर रकम इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए हुए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में वसूल की जाएगी ।

शीर्ष	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्य कर	समेकित कर	उपकर
कर					
ब्याज					
शास्ति					
अन्य					
कुल					

स्थान:	
तारीख:	हस्ताक्षर < अधिकारी का नाम > पदनाम अधिकारिता

प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी-29

[नियम 24(4) देखें]

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन

भाग क

(i) अनंतिम आई डी	
(ii) ईमेल आई डी	
(iii) मोबाईल नंबर	

भाग ख			
1. विधिक नाम (स्थाई खाता संख्या के अनुसार)			
2. पत्र-व्यवहार के लिए पता			
भवन संख्या / फ्लैट संख्या		तल सं.	
परिसर का नाम/भवन		सड़क/गली	
शहर/कस्बा/गांव/परिक्षेत्र		जिला	
ब्लाक/ताल्लुका			
राज्य		पिन	
3. रद्दकरण के लिए कारण			
4. जी.एस.टी अवधि के दौरान किसी कर बीजक को आपने जारी किया है		हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
5. घोषणा (i) मैं <स्वत्वधारी/कर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम>, <विधिक नाम> के <पदनाम > के रूप में एतद्वारा घोषणा करता हूं कि अधिनियम के उपबंधों के अधीन मैं रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं हूं ।			
6. सत्यापन मैं < > सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि यहां ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।			
आधार संख्या		स्थाई खाता संख्या	
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर			
पूरा नाम			
पदनाम/प्रास्थिति			
स्थान			
तारीख	तारीख/मास/वर्ष		

प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी-30

[नियम 25 देखें]

क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट के लिए प्ररूप
राज्य अधिकारिता (सेक्टर/सर्किल/जोन)

अधिकारी का नाम:- <<पहले से भरा जाए >>		
रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख:-		
करादेय व्यक्ति का नाम		
जी एस टी आई एन/यू आई एन -		
द्वारा समनुदेशित कार्य:- < अधिकारी का नाम- पहले भरा जाए>		
समनुदेशित कार्य की तारीख और समय:- < सिस्टम तारीख और समय>		
क्रम सं.	विशिष्टियां	ईनपुट
1.	निरीक्षण की तारीख	
2.	निरीक्षण का समय	

3.	अवस्थान ब्यौरा	
	अक्षांश	देशांतर
	उत्तर-द्वारा आबद्ध	दक्षिण द्वारा आबद्ध
	पश्चिम- द्वारा आबद्ध	पूर्व- द्वारा आबद्ध
4.	क्या पता वहीं है जैसा आवेदन में वर्णित है	हां/नहीं
5.	निरीक्षण के समय उपस्थित व्यक्ति की विशिष्टियां	
(i)	नाम	
(ii)	पिता का नाम	
(iii)	आवासीय पता	
(iv)	मोबाईल संख्या	
(v)	पदनाम/प्रतिष्ठा	
(vi)	करादेय व्यक्ति के साथ संबंध, यदि लागू हो	
6.	कारबार की कार्यकरण की प्रास्थिति	कार्यकरण- हां/नहीं
7.	परिसर का ब्यौरा	
	खुली जगह का क्षेत्र (वर्ग मी. में) - (लगभग)	
	छत्तदार जगह का क्षेत्र (वर्ग मी. में) - (लगभग)	
	तल जिस पर कारबार परिसर स्थित है	
8.	सत्यापित दस्तावेज	हां/नहीं
9.	स्थान के साथ व्यक्ति, जो उस स्थान पर मौजूद है जहां स्थल का सत्यापन किया गया, का फोटो अपलोड करना ।	
10.	टिप्पणी (100 शब्दों<से अनधिक> स्थान: तारीख:	हस्ताक्षर < अधिकारी का नाम> पदनाम अधिकारिता

आदेश द्वारा,
ओंकार शर्मा,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-13/2017 dated 27-6-2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 27th June, 2017

No. EXN-F(10)-13/2017.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), and on the recommendations of the Council, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules to carry out the purposes of the said Act, namely:—

Chapter I

PRELIMINARY

1. Short title, Extent and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017.

(2) They shall deem to have come into force with effect from 24th June, 2017.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017);

(b) “Form” means a form appended to these rules;

(c) “section” means a section of the Act;

(d) “Special Economic Zone” shall have the same meaning as assigned to it in clause (za) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);

(e) words and expressions used herein but not shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Chapter II

COMPOSITION

3. Intimation for composition levy.—(1) Any person who has been granted registration on a provisional basis under clause (b) of sub-rule (1) of rule 24 and who opts to pay tax under section 10, shall electronically file an intimation in Form GST CMP-01, duly signed or verified through electronic verification code, on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, prior to the appointed day, but not later than thirty days after the said day, or such further period as may be extended by the Commissioner in this behalf:

Provided that where the intimation in Form GST CMP-01 is filed after the appointed day, the registered person shall not collect any tax from the appointed day but shall issue bill of supply for supplies made after the said day.

(2) Any person who applies for registration under sub-rule (1) of rule 8 may give an option to pay tax under section 10 in Part B of Form GST REG-01, which shall be considered as an intimation to pay tax under the said section.

(3) Any registered person who opts to pay tax under section 10 shall electronically file an intimation in Form GST CMP-02, duly signed or verified through electronic verification code, on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, prior to the commencement of the financial year for which the option to pay tax under the aforesaid section is exercised and shall furnish the statement in Form GST ITC-03 in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 44 within a period of sixty days from the commencement of the relevant financial year.

(4) Any person who files an intimation under sub-rule (1) to pay tax under section 10 shall furnish the details of stock, including the inward supply of goods received from unregistered

persons, held by him on the day preceding the date from which he opts to pay tax under the said section, electronically, in Form GST CMP-03, on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, within a period of sixty days from the date on which the option for composition levy is exercised or within such further period as may be extended by the Commissioner in this behalf.

(5) Any intimation under sub-rule (1) or sub-rule (3) in respect of any place of business in any State or Union territory shall be deemed to be an intimation in respect of all other places of business registered on the same Permanent Account Number.

4. Effective date for composition levy.—(1) The option to pay tax under section 10 shall be effective from the beginning of the financial year, where the intimation is filed under sub-rule (3) of rule 3 and the appointed day where the intimation is filed under sub-rule (1) of the said rule. (2) The intimation under sub-rule (2) of rule 3, shall be considered only after the grant of registration to the applicant and his option to pay tax under section 10 shall be effective from the date fixed under sub-rule (2) or (3) of rule 10.

5. Conditions and restrictions for composition levy.—(1) The person exercising the option to pay tax under section 10 shall comply with the following conditions, namely:—

- (a) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person
- (b) the goods held in stock by him on the appointed day have not been purchased in the course of inter-State trade or commerce or imported from a place outside India or received from his branch situated outside the State or from his agent or principal outside the State, where the option is exercised under sub-rule (1) of rule 3;
- (c) the goods held in stock by him have not been purchased from an unregistered supplier and where purchased, he pays the tax under sub-section (4) of section 9;
- (d) he shall pay tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 on inward supply of goods or services or both;
- (e) he was not engaged in the manufacture of goods as notified under clause (e) of sub-section (2) of section 10, during the preceding financial year;
- (f) he shall mention the words “composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies” at the top of the bill of supply issued by him; and
- (g) he shall mention the words “composition taxable person” on every notice or signboard displayed at a prominent place at his principal place of business and at every additional place or places of business.

(2) The registered person paying tax under section 10 may not file a fresh intimation every year and he may continue to pay tax under the said section subject to the provisions of the Act and these rules.

6. Validity of composition levy.—(1) The option exercised by a registered person to pay tax under section 10 shall remain valid so long as he satisfies all the conditions mentioned in the said section and under these rules.

(2) The person referred to in sub-rule (1) shall be liable to pay tax under sub-section (1) of section 9 from the day he ceases to satisfy any of the conditions mentioned in section 10 or the

provisions of this Chapter and shall issue tax invoice for every taxable supply made thereafter and he shall also file an intimation for withdrawal from the scheme in Form GST CMP-04 within seven days of the occurrence of such event.

(3) The registered person who intends to withdraw from the composition scheme shall, before the date of such withdrawal, file an application in Form GST CMP-04, duly signed or verified through electronic verification code, electronically on the common portal.

(4) Where the proper officer has reasons to believe that the registered person was not eligible to pay tax under section 10 or has contravened the provisions of the Act or provisions of this Chapter, he may issue a notice to such person in Form GST CMP-05 to show cause within fifteen days of the receipt of such notice as to why the option to pay tax under section 10 shall not be denied.

(5) Upon receipt of the reply to the show cause notice issued under sub-rule (4) from the registered person in Form GST CMP-06, the proper officer shall issue an order in Form GST CMP-07 within a period of thirty days of the receipt of such reply, either accepting the reply, or denying the option to pay tax under section 10 from the date of the option or from the date of the event concerning such contravention, as the case may be.

(6) Every person who has furnished an intimation under sub-rule (2) or filed an application for withdrawal under sub-rule (3) or a person in respect of whom an order of withdrawal of option has been passed in Form GST CMP-07 under sub-rule (5), may electronically furnish at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, a statement in Form GST ITC-01 containing details of the stock of inputs and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock by him on the date on which the option is withdrawn or denied, within a period of thirty days from the date from which the option is withdrawn or from the date of the order passed in Form GST CMP-07, as the case may be.

(7) Any intimation or application for withdrawal under sub-rule (2) or (3) or denial of the option to pay tax under section 10 in accordance with sub-rule (5) in respect of any place of business in any State or Union territory, shall be deemed to be an intimation in respect of all other places of business registered on the same Permanent Account Number.

7. Rate of tax on the composition levy.—The category of registered persons, eligible for composition levy under section 10 and the provisions of this Chapter, specified in column (2) of the Table below shall pay tax under section 10 at the rate specified in column (3) of the said Table:—

Sl. No.	Category of registered persons	Rate of Tax
1	2	3
1.	Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government	one per cent.
2.	Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II	Two and a half per cent.
3.	Any other supplier eligible for composition levy under section 10 and the provisions of this Chapter	Half per cent.

Chapter III**REGISTRATION**

8. Application for registration.—(1) Every person, other than a non-resident taxable person, a person required to deduct tax at source under section 51, a person required to collect tax at source under section 52 and a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) who is liable to be registered under sub-section (1) of section 25 and every person seeking registration under sub-section (3) of section 25 (hereafter in this Chapter referred to as “the applicant”) shall, before applying for registration, declare his Permanent Account Number, mobile number, e-mail address, State or Union territory in Part A of Form GST REG-01 on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that a person having a unit(s) in a Special Economic Zone or being a Special Economic Zone developer shall make a separate application for registration as a business vertical distinct from his other units located outside the Special Economic Zone:

Provided further that every person being an Input Service Distributor shall make a separate application for registration as such Input Service Distributor.

(2) (a) The Permanent Account Number shall be validated online by the common portal from the database maintained by the Central Board of Direct Taxes.

(b) The mobile number declared under sub-rule (1) shall be verified through a one-time password sent to the said mobile number; and

(c) The e-mail address declared under sub-rule (1) shall be verified through a separate one-time password sent to the said e-mail address.

(3) On successful verification of the Permanent Account Number, mobile number and e-mail address, a temporary reference number shall be generated and communicated to the applicant on the said mobile number and e-mail address.

(4) Using the reference number generated under sub-rule (3), the applicant shall electronically submit an application in Part B of Form GST REG-01, duly signed or verified through electronic verification code, along with the documents specified in the said Form at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(5) On receipt of an application under sub-rule (4), an acknowledgement shall be issued electronically to the applicant in Form GST REG-02.

(6) A person applying for registration as a casual taxable person shall be given a temporary reference number by the common portal for making advance deposit of tax in accordance with the provisions of section 27 and the acknowledgement under sub-rule (5) shall be issued electronically only after the said deposit.

9. Verification of the application and approval.—(1) The application shall be forwarded to the proper officer who shall examine the application and the accompanying documents and if the same are found to be in order, approve the grant of registration to the applicant within a period of three working days from the date of submission of the application.

(2) Where the application submitted under rule 8 is found to be deficient, either in terms of any information or any document required to be furnished under the said rule, or where the proper officer requires any clarification with regard to any information provided in the application or documents furnished therewith, he may issue a notice to the applicant electronically in Form GST REG-03 within a period of three working days from the date of submission of the application and the applicant shall furnish such clarification, information or documents electronically, in Form GST REG-04, within a period of seven working days from the date of the receipt of such notice.

Explanation.—For the purposes of this sub-rule, the expression “clarification” includes modification or correction of particulars declared in the application for registration, other than Permanent Account Number, State, mobile number and e-mail address declared in Part A of Form GST REG-01.

(3) Where the proper officer is satisfied with the clarification, information or documents furnished by the applicant, he may approve the grant of registration to the applicant within a period of seven working days from the date of the receipt of such clarification or information or documents.

(4) Where no reply is furnished by the applicant in response to the notice issued under sub-rule (2) or where the proper officer is not satisfied with the clarification, information or documents furnished, he shall, for reasons to be recorded in writing, reject such application and inform the applicant electronically in Form GST REG-05.

(5) If the proper officer fails to take any action,—

(a) within a period of three working days from the date of submission of the application;
or

(b) within a period of seven working days from the date of the receipt of the clarification, information or documents furnished by the applicant under sub-rule (2), the application for grant of registration shall be deemed to have been approved.

10. Issue of registration certificate.—(1) Subject to the provisions of sub-section (12) of section 25, where the application for grant of registration has been approved under rule 9, a certificate of registration in Form GST REG-06 showing the principal place of business and additional place or places of business shall be made available to the applicant on the common portal and a Goods and Services Tax Identification Number shall be assigned subject to the following characters, namely:

- (a) two characters for the State code;
- (b) ten characters for the Permanent Account Number or the Tax Deduction and Collection Account Number;
- (c) two characters for the entity code; and
- (d) one checksum character.

(2) The registration shall be effective from the date on which the person becomes liable to registration where the application for registration has been submitted within a period of thirty days from such date.

(3) Where an application for registration has been submitted by the applicant after the expiry of thirty days from the date of his becoming liable to registration, the effective date of

registration shall be the date of the grant of registration under sub-rule (1) or sub-rule (3) or sub-rule (5) of rule 9.

(4) Every certificate of registration shall be digitally signed by the proper officer under the Act.

(5) Where the registration has been granted under sub-rule (5) of rule 9, the applicant shall be communicated the registration number, and the certificate of registration under sub-rule (1), duly signed or verified through electronic verification code, shall be made available to him on the common portal, within a period of three days after the expiry of the period specified in sub-rule (5) of rule 9.

11. Separate registration for multiple business verticals within a State or a Union territory.—(1) Any person having multiple business verticals within a State or a Union territory, requiring a separate registration for any of its business verticals under sub-section (2) of section 25 shall be granted separate registration in respect of each of the verticals subject to the following conditions, namely:—

- (a) such person has more than one business vertical as defined in clause (18) of section 2;
- (b) the business vertical of a taxable person shall not be granted registration to pay tax under section 10 if any one of the other business verticals of the same person is paying tax under section 9;
- (c) all separately registered business verticals of such person shall pay tax under the Act on supply of goods or services or both made to another registered business vertical of such person and issue a tax invoice for such supply.

Explanation.—For the purposes of clause (b), it is hereby clarified that where any business vertical of a registered person that has been granted a separate registration becomes ineligible to pay tax under section 10, all other business verticals of the said person shall become ineligible to pay tax under the said section.

(2) A registered person eligible to obtain separate registration for business verticals may submit a separate application in Form GST REG-01 in respect of each such vertical.

(3) The provisions of rule 9 and rule 10 relating to the verification and the grant of registration shall, *mutatis mutandis*, apply to an application submitted under this rule.

12. Grant of registration to persons required to deduct tax at source or to collect tax at source.—(1) Any person required to deduct tax in accordance with the provisions of section 51 or a person required to collect tax at source in accordance with the provisions of section 52 shall electronically submit an application, duly signed or verified through electronic verification code, in Form GST REG-07 for the grant of registration through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(2) The proper officer may grant registration after due verification and issue a certificate of registration in Form GST REG-06 within a period of three working days from the date of submission of the application.

(3) Where, upon an enquiry or pursuant to any other proceeding under the Act, the proper officer is satisfied that a person to whom a certificate of registration in Form GST REG-06 has

been issued is no longer liable to deduct tax at source under section 51 or collect tax at source under section 52, the said officer may cancel the registration issued under sub-rule (2) and such cancellation shall be communicated to the said person electronically in Form GST REG-08:

Provided that the proper officer shall follow the procedure as provided in rule 22 for the cancellation of registration.

13. Grant of registration to non-resident taxable person.—(1) A non-resident taxable person shall electronically submit an application, along with a self-attested copy of his valid passport, for registration, duly signed or verified through electronic verification code, in Form GST REG-09, at least five days prior to the commencement of business at the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that in the case of a business entity incorporated or established outside India, the application for registration shall be submitted along with its tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the Government of that country or its Permanent Account Number, if available.

(2) A person applying for registration as a non-resident taxable person shall be given a temporary reference number by the common portal for making an advance deposit of tax in accordance with the provisions of section 27 and the acknowledgement under sub-rule (5) of rule 8 shall be issued electronically only after the said deposit in his electronic cash ledger.

(3) The provisions of rule 9 and rule 10 relating to the verification and the grant of registration shall, *mutatis mutandis*, apply to an application submitted under this rule.

(4) The application for registration made by a non-resident taxable person shall be signed by his authorised signatory who shall be a person resident in India having a valid Permanent Account Number.

14. Grant of registration to a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient.—

(1) Any person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient shall electronically submit an application for registration, duly signed or verified through electronic verification code, in Form GST REG-10, at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(2) The applicant referred to in sub-rule (1) shall be granted registration, in Form GST REG-06, subject to such conditions and restrictions and by such officer as may be notified by the Central Government on the recommendations of the Council.

15. Extension in period of operation by casual taxable person and non-resident taxable person.—(1) Where a registered casual taxable person or a non-resident taxable person intends to extend the period of registration indicated in his application of registration, an application in Form GST REG-11 shall be submitted electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, by such person before the end of the validity of registration granted to him.

(2) The application under sub-rule (1) shall be acknowledged only on payment of the amount specified in sub-section (2) of section 27.

16. Suo moto registration.—(1) Where, pursuant to any survey, enquiry, inspection, search or any other proceedings under the Act, the proper officer finds that a person liable to registration under the Act has failed to apply for such registration, such officer may register the said person on a temporary basis and issue an order in Form GST REG- 12.

(2) The registration granted under sub-rule (1) shall be effective from the date of such order granting registration.

(3) Every person to whom a temporary registration has been granted under sub-rule (1) shall, within a period of ninety days from the date of the grant of such registration, submit an application for registration in the form and manner provided in rule 8 or rule 12:

Provided that where the said person has filed an appeal against the grant of temporary registration, in such case, the application for registration shall be submitted within a period of thirty days from the date of the issuance of the order upholding the liability to registration by the Appellate Authority.

(4) The provisions of rule 9 and rule 10 relating to verification and the issue of the certificate of registration shall, *mutatis mutandis*, apply to an application submitted under sub-rule (3).

(5) The Goods and Services Tax Identification Number assigned, pursuant to the verification under sub-rule (4), shall be effective from the date of the order granting registration under sub-rule (1).

17. Assignment of Unique Identity Number to certain special entities.—(1) Every person required to be granted a Unique Identity Number in accordance with the provisions of sub-section (9) of section 25 may submit an application electronically in Form GST REG-13, duly signed or verified through electronic verification code, in the manner specified in rule 8 at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(2) The proper officer may, upon submission of an application in Form GST REG-13 or after filling up the said form, assign a Unique Identity Number to the said person and issue a certificate in Form GST REG-06 within a period of three working days from the date of the submission of the application

18. Display of registration certificate and Goods and Services Tax Identification Number on the name board.—(1) Every registered person shall display his certificate of registration in a prominent location at his principal place of business and at every additional place or places of business.

(2) Every registered person shall display his Goods and Services Tax Identification Number on the name board exhibited at the entry of his principal place of business and at every additional place or places of business.

19. Amendment of registration.—(1) Where there is any change in any of the particulars furnished in the application for registration in Form GST REG-01 or Form GST REG-07 or Form GST REG-09 or Form GST REG-10 or for Unique Identity Number in Form GST-REG-13, either at the time of obtaining registration or Unique Identity Number or as amended from time to time, the registered person shall, within a period of fifteen days of such change, submit an application, duly signed or verified through electronic verification code, electronically in Form GST REG-14, along with the documents relating to such change at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that – (a) where the change relates to,—

(i) legal name of business;

(ii) address of the principal place of business or any additional place(s) of business; or

(iii) addition, deletion or retirement of partners or directors, Karta, Managing Committee, Board of Trustees, Chief Executive Officer or equivalent, responsible for the day to day affairs of the business,—

which does not warrant cancellation of registration under section 29, the proper officer shall, after due verification, approve the amendment within a period of fifteen working days from the date of the receipt of the application in Form GST REG-14 and issue an order in Form GST REG-15 electronically and such amendment shall take effect from the date of the occurrence of the event warranting such amendment;

(b) the change relating to sub-clause (i) and sub-clause (iii) of clause (a) in any State or Union territory shall be applicable for all registrations of the registered person obtained under the provisions of this Chapter on the same Permanent Account Number;

(c) where the change relates to any particulars other than those specified in clause (a), the certificate of registration shall stand amended upon submission of the application in Form GST REG- 14 on the common portal;

(d) where a change in the constitution of any business results in the change of the Permanent Account Number of a registered person, the said person shall apply for fresh registration in Form GST REG-01:

Provided further that any change in the mobile number or e-mail address of the authorised signatory submitted under this rule, as amended from time to time, shall be carried out only after online verification through the common portal in the manner provided under the said rule.

(2) Where the proper officer is of the opinion that the amendment sought under sub-rule (1) is either not warranted or the documents furnished therewith are incomplete or incorrect, he may, within a period of fifteen working days from the date of the receipt of the application in Form GST REG-14, serve a notice in Form GST REG-03, requiring the registered person to show cause, within a period of seven working days of the service of the said notice, as to why the application submitted under sub-rule (1) shall not be rejected.

(3) The registered person shall furnish a reply to the notice to show cause, issued under sub-rule (2), in Form GST REG-04, within a period of seven working days from the date of the service of the said notice.

(4) Where the reply furnished under sub-rule (3) is found to be not satisfactory or where no reply is furnished in response to the notice issued under sub-rule (2) within the period prescribed in sub-rule (3), the proper officer shall reject the application submitted under sub-rule (1) and pass an order in Form GST REG -05.

(5) If the proper officer fails to take any action,—

-
- (a) within a period of fifteen working days from the date of submission of the application, or
- (b) within a period of seven working days from the date of the receipt of the reply to the notice to show cause under sub-rule (3), the certificate of registration shall stand amended to the extent applied for and the amended certificate shall be made available to the registered person on the common portal.

20. Application for cancellation of registration.—A registered person, other than a person to whom a registration has been granted under rule 12 or a person to whom a Unique Identity Number has been granted under rule 17, seeking cancellation of his registration under sub-section (1) of section 29 shall electronically submit an application in Form GST REG-16, including therein the details of inputs held in stock or inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and of capital goods held in stock on the date from which the cancellation of registration is sought, liability thereon, the details of the payment, if any, made against such liability and may furnish, along with the application, relevant documents in support thereof, at the common portal within a period of thirty days of the occurrence of the event warranting the cancellation, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that no application for the cancellation of registration shall be considered in case of a taxable person, who has registered voluntarily, before the expiry of a period of one year from the effective date of registration.

21. Registration to be cancelled in certain cases.—The registration granted to a person is liable to be cancelled, if the said person,—

- (a) does not conduct any business from the declared place of business; or
- (b) issues invoice or bill without supply of goods or services in violation of the provisions of this Act, or the rules made thereunder.

22. Cancellation of registration.—(1) Where the proper officer has reasons to believe that the registration of a person is liable to be cancelled under section 29, he shall issue a notice to such person in Form GST REG-17, requiring him to show cause, within a period of seven working days from the date of the service of such notice, as to why his registration shall not be cancelled.

(2) The reply to the show cause notice issued under sub-rule (1) shall be furnished in Form REG-18 within the period specified in the said sub-rule.

(3) Where a person who has submitted an application for cancellation of his registration is no longer liable to be registered or his registration is liable to be cancelled, the proper officer shall issue an order in Form GST REG-19, within a period of thirty days from the date of application submitted under rule 20 or, as the case may be, the date of the reply to the show cause issued under sub-rule (1), cancel the registration, with effect from a date to be determined by him and notify the taxable person, directing him to pay arrears of any tax, interest or penalty including the amount liable to be paid under sub-section (5) of section 29.

(4) Where the reply furnished under sub-rule (2) is found to be satisfactory, the proper officer shall drop the proceedings and pass an order in Form GST REG -20.

(5) The provisions of sub-rule (3) shall, *mutatis mutandis*, apply to the legal heirs of a deceased proprietor, as if the application had been submitted by the proprietor himself.

23. Revocation of cancellation of registration.—(1) A registered person, whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion, may submit an application for revocation of cancellation of registration, in Form GST REG-21, to such proper officer, within a period of thirty days from the date of the service of the order of cancellation of registration at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that no application for revocation shall be filed, if the registration has been cancelled for the failure of the registered person to furnish returns, unless such returns are furnished and any amount due as tax, in terms of such returns, has been paid along with any amount payable towards interest, penalty and late fee in respect of the said returns.

(2) (a) Where the proper officer is satisfied, for reasons to be recorded in writing, that there are sufficient grounds for revocation of cancellation of registration, he shall revoke the cancellation of registration by an order in Form GST REG-22 within a period of thirty days from the date of the receipt of the application and communicate the same to the applicant.

(b) The proper officer may, for reasons to be recorded in writing, under circumstances other than those specified in clause (a), by an order in Form GST REG-05, reject the application for revocation of cancellation of registration and communicate the same to the applicant.

(3) The proper officer shall, before passing the order referred to in clause (b) of sub-rule (2), issue a notice in Form GST REG-23 requiring the applicant to show cause as to why the application submitted for revocation under sub-rule (1) should not be rejected and the applicant shall furnish the reply within a period of seven working days from the date of the service of the notice in Form GST REG-24.

(4) Upon receipt of the information or clarification in Form GST REG-24, the proper officer shall proceed to dispose of the application in the manner specified in sub-rule (2) within a period of thirty days from the date of the receipt of such information or clarification from the applicant.

24. Migration of persons registered under the existing law.—(1) (a) Every person, other than a person deducting tax at source or an Input Service Distributor, registered under an existing law and having a Permanent Account Number issued under the provisions of the Income-tax Act, 1961 (Act 43 of 1961) shall enrol on the common portal by validating his e-mail address and mobile number, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(b) Upon enrolment under clause (a), the said person shall be granted registration on a provisional basis and a certificate of registration in Form GST REG-25, incorporating the Goods and Services Tax Identification Number therein, shall be made available to him on the common portal:

Provided that a taxable person who has been granted multiple registrations under the existing law on the basis of a single Permanent Account Number shall be granted only one provisional registration under the Act:

Provided further that a person having centralised registration under the provisions of Chapter V of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) shall be granted only one provisional registration in the State or Union territory in which he is registered under the existing law.

(2) (a) Every person who has been granted a provisional registration under sub-rule (1) shall submit an application electronically in Form GST REG-26, duly signed or verified through electronic verification code, along with the information and documents specified in the said application, on the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(b) The information asked for in clause (a) shall be furnished within a period of three months or within such further period as may be extended by the Commissioner in this behalf.

(c) If the information and the particulars furnished in the application are found, by the proper officer, to be correct and complete, a certificate of registration in Form GST REG-06 shall be made available to the registered person electronically on the common portal.

(3) Where the particulars or information specified in sub-rule (2) have either not been furnished or not found to be correct or complete, the proper officer shall, after serving a notice to show cause in Form GST REG-27 and after affording the person concerned a reasonable opportunity of being heard, cancel the provisional registration granted under sub-rule (1) and issue an order in Form GST REG-28:

Provided that the show cause notice issued in Form GST REG- 27 can be withdrawn by issuing an order in Form GST REG- 20, if it is found, after affording the person an opportunity of being heard, that no such cause exists for which the notice was issued.

(4) Every person registered under any of the existing laws, who is not liable to be registered under the Act may, within a period of thirty days from the appointed day, at his option, submit an application electronically in Form GST REG-29 at the common portal for the cancellation of registration granted to him and the proper officer shall, after conducting such enquiry as deemed fit, cancel the said registration.

25. Physical verification of business premises in certain cases.—Where the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of a registered person is required after the grant of registration, he may get such verification done and the verification report along with the other documents, including photographs, shall be uploaded in Form GST REG-30 on the common portal within a period of fifteen working days following the date of such verification.

26. Method of authentication.—(1) All applications, including reply, if any, to the notices, returns including the details of outward and inward supplies, appeals or any other document required to be submitted under the provisions of these rules shall be so submitted electronically with digital signature certificate or through e-signature as specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) or verified by any other mode of signature or verification as notified by the Board in this behalf:

Provided that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall furnish the documents or application verified through digital signature certificate.

(2) Each document including the return furnished online shall be signed or verified through electronic verification code-

(a) in the case of an individual, by the individual himself or where he is absent from India, by some other person duly authorised by him in this behalf, and where the individual is

- mentally incapacitated from attending to his affairs, by his guardian or by any other person competent to act on his behalf;
- (b) in the case of a Hindu Undivided Family, by a Karta and where the Karta is absent from India or is mentally incapacitated from attending to his affairs, by any other adult member of such family or by the authorised signatory of such Karta;
- (c) in the case of a company, by the chief executive officer or authorised signatory thereof;
- (d) in the case of a Government or any Governmental agency or local authority, by an officer authorised in this behalf;
- (e) in the case of a firm, by any partner thereof, not being a minor or authorised signatory thereof;
- (f) in the case of any other association, by any member of the association or persons or authorised signatory thereof;
- (g) in the case of a trust, by the trustee or any trustee or authorised signatory thereof; or
- (h) in the case of any other person, by some person competent to act on his behalf, or by a person authorised in accordance with the provisions of section 48.

(3) All notices, certificates and orders under the provisions of this Chapter shall be issued electronically by the proper officer or any other officer authorised to issue such notices or certificates or orders, through digital signature certificate specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

Form GST CMP -01

[See rule 3(1)]

Intimation to pay tax under section 10 (composition levy)

(Only for persons registered under the existing law migrating on the appointed day)

1. GSTIN / Provisional ID	
2. Legal name	
3. Trade name, if any	
4. Address of Principal Place of Business	
5. Category of Registered Person < Select from drop down>	
(i) Manufacturers, other than manufacturers of such goods as notified by the Government	<input type="checkbox"/>
(ii) Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II	<input type="checkbox"/>
(iii) Any other supplier eligible for composition levy.	<input type="checkbox"/>
6. Financial Year from which composition scheme is opted	
2017-18	
7. Jurisdiction	Centre State
8. Declaration –	

I hereby declare that the aforesaid business shall abide by the conditions and restrictions specified for payment of tax under section 10.	
9. Verification I _____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.	
Signature of Authorised Signatory	
Name	
Place	Designation / Status
Date	

Form GST CMP -02

[See rule 3(2)]

Intimation to pay tax under section 10 (composition levy)

(For persons registered under the Act)

1. GSTIN	
2. Legal name	
3. Trade name, if any	
4. Address of Principal Place of Business	
5. Category of Registered Person < Select from drop down>.	
(i) Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government	<input type="checkbox"/>
(ii) Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II	<input type="checkbox"/>
(iii) Any other supplier eligible for composition levy.	<input type="checkbox"/>
6. Financial Year from which composition scheme is opted	
7. Jurisdiction	Centre State
8. Declaration – I hereby declare that the aforesaid business shall abide by the conditions and restrictions specified for paying tax under section 10.	
9. Verification I _____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.	
Signature of Authorised Signatory	
Name	
Place	Designation / Status
Date	

Form GST –CMP-03

[See rule 3(4)]

Intimation of details of stock on date of opting for composition levy
(Only for persons registered under the existing law migrating on the appointed day)

1. GSTIN		
2. Legal name		
3. Trade name, if any		
4. Address of Principal Place of Business		
5. Details of application filed to pay tax under section 10	(i) Application reference number (ARN)	
	(ii) Date of filing	
6. Jurisdiction	Centre	State

7. Stock of purchases made from registered person under the existing law

Sr. No	GSTIN/TIN	Name of the supplier	Bill/ Invoice No.	Date	Value of Stock	VAT	Central Excise	Service Tax (if applicable)	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Total									

8. Stock of purchases made from unregistered person under the existing law

Sr. No	Name of the unregistered person	Addresses	Bill/ Invoice No	Date	Value of Stock	VAT	Central Excise	Service Tax (if applicable)	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
1									
2									
Total									

9. Details of tax paid	Description	Central Tax	State Tax
	Amount		
	Debit entry no.		

10. Verification

I _____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge

and belief and nothing has been concealed therefrom.		
Signature of Authorised Signatory		
Name		
Place		
Date		Designation / Status

Form GST – CMP-04

[See rule 6(2)]

Intimation/Application for Withdrawal from Composition Levy

1. GSTIN				
2. Legal name				
3. Trade name, if any				
4. Address of Principal Place of business				
5. Category of Registered Person				
(i) Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government				<input type="checkbox"/>
(ii) Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II				<input type="checkbox"/>
(iii) Any other supplier eligible for composition levy.				<input type="checkbox"/>
6. Nature of Business				
7. Date from which withdrawal from composition scheme is sought			DD	MM
			YYYY	
8. Jurisdiction		Centre		State
9. Reasons for withdrawal from composition scheme				
10. Verification				
I _____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.				
Signature of Authorised Signatory				
Name				
Place				
Date				
Designation / Status				

Note – Stock statement may be furnished separately for availing input tax credit on the stock available on the date preceding the date from which composition option is withdrawn in Form GST ITC -01.

Form GST CMP- 05*[See rule 6(4)]*

Reference No. << ... >>

<< Date >>

To

GSTIN

Name

Address

Notice for denial of option to pay tax under section 10

Whereas on the basis of information which has come to my notice, it appears that you have violated the conditions and restrictions necessary for availing of the composition scheme under section 10 of the Act. I therefore propose to deny the option to you to pay tax under the said section for the following reasons: -

1

2

3

....

You are hereby directed to furnish a reply to this notice within fifteen working days from the date of service of this notice.

You are hereby directed to appear before the undersigned on DD/MM/YYYY at HH/MM.

If you fail to furnish a reply within the stipulated date or fail to appear for personal hearing on the appointed date and time, the case will be decided ex parte on the basis of available records and on merits.

Signature

Name of Proper Officer

Designation

Jurisdiction

Place

Date

Form GST CMP - 06*[See rule 6(5)]***Reply to the notice to show cause**

1.	GSTIN	
2.	Details of the show cause notice	Reference no. Date
3.	Legal name	
4.	Trade name, if any	
5.	Address of the Principal Place of Business	
6.	Reply to the notice	

7.	List of documents uploaded	
8.	Verification	I _____ hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Signature of the Authorised Signatory Date Place

Note –

1. The reply should not be more than 500 characters. In case the same is more than 500 characters, then it should be uploaded separately.
2. Supporting documents, if any, may be uploaded in PDF format.

Form GST CMP-07*[See rule 6(6)]*

Reference No. << >>

Date–

To

GSTIN
Name
Address

Application Reference No. (ARN)

Date –

Order for acceptance / rejection of reply to show cause notice

This has reference to your reply dated ----- filed in response to the show cause notice issued vide reference No. ----- dated ----- . Your reply has been examined and the same has been found to be satisfactory and, therefore, your option to pay tax under composition scheme shall continue. The said show cause notice stands vacated.

or

This has reference to your reply dated ----- filed in response to the show cause notice issued vide reference no. ----- dated ----- . Your reply has been examined and the same has not been found to be satisfactory and, therefore, your option to pay tax under composition scheme is hereby denied with effect from << >>> for the following reasons:

<< text >>

or

- You have not filed any reply to the show cause notice; or
- You did not appear on the day fixed for hearing.

Therefore, your option to pay tax under composition scheme is hereby denied with effect from << date >> for the following reasons:

<< Text >>

Date

Signature
Name of Proper Officer Place
Designation
Jurisdiction

Form GST REG-01

[See rule 8(1)]

Application for Registration

(Other than a non-resident taxable person, a person required to deduct tax at source under section 51 and a person required to collect tax at source under section 52 and a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017)

Part –A

State /UT – ▾ District – ▾

(i)	Legal Name of the Business: (As mentioned in Permanent Account Number)		
(ii)	Permanent Account Number : (Enter Permanent Account Number of the Business; Permanent Account Number of Individual in case of Proprietorship concern)		
(iii)	Email Address :		
(iv)	Mobile Number :		
<i>Note - Information submitted above is subject to online verification before proceeding to fill up Part-B. Authorised signatory filing the application shall provide his mobile number and email address.</i>			
Part –B			
1.	Trade Name, if any		
2.	Constitution of Business (Please Select the Appropriate)		
(i) Proprietorship	<input type="checkbox"/>	(ii) Partnership	<input type="checkbox"/>
(iii) Hindu Undivided Family	<input type="checkbox"/>	(iv) Private Limited Company	<input type="checkbox"/>
(v) Public Limited Company	<input type="checkbox"/>	(vi) Society/Club/Trust/Association of Persons	<input type="checkbox"/>
(vii) Government Department	<input type="checkbox"/>	(viii) Public Sector Undertaking	<input type="checkbox"/>
(ix) Unlimited Company	<input type="checkbox"/>	(x) Limited Liability Partnership	<input type="checkbox"/>
(xi) Local Authority	<input type="checkbox"/>	(xii) Statutory Body	<input type="checkbox"/>
(xiii) Foreign Limited Liability Partnership	<input type="checkbox"/>	(xiv) Foreign Company Registered (in India)	<input type="checkbox"/>
(xv) Others (Please specify)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3.	Name of the State	District	
4.	Jurisdiction	State	Centre
		Sector, Circle, Ward, Unit, etc. others (specify)	

5.	Option for Composition	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
6.	Composition Declaration <input type="checkbox"/> I hereby declare that the aforesaid business shall abide by the conditions and restrictions specified in the Act or the rules for opting to pay tax under the composition scheme.		
6.1 Category of Registered Person < tick in check box >			
(i) Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government for which option is not available			
(ii) Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II			
(iii) Any other supplier eligible for composition levy.			
7.	Date of commencement of business	DD/MM/YYYY	
8.	Date on which liability to register arises	DD/MM/YYYY	
9.	Are you applying for registration as a casual taxable person?	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
10.	If selected 'Yes' in Sr. No. 9, period for which registration is required	From DD/MM/YY YY	To DD/MM/YYY Y
11.	If selected 'Yes' in Sr. No. 9, estimated supplies and estimated net tax liability during the period of registration		
Sr. No.	Type of Tax	Turnover (Rs.)	Net Tax Liability (Rs.)
(i)	Integrated Tax		
(ii)	Central Tax		
(iii)	State Tax		
(iv)	UT Tax		
(v)	Cess		
	Total		
	Payment Details		
	Challan Identification Number	Date	Amount
12.	Are you applying for registration as a SEZ Unit?	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
	(i) Select name of SEZ		▽
	(ii) Approval order number and date of order		
	(iii) Designation of approving authority		
13.	Are you applying for registration as a SEZ Developer?	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
	(i) Select name of SEZ Developer		▽

	(ii) Approval order number and date of order		
	(iii) Designation of approving authority		
14.	Reason to obtain registration:		
	(i) Crossing the threshold	(viii) Merger /amalgamation of two or more registered persons	
	(ii) Inter-State supply	(ix) Input Service Distributor	
	(iii) Liability to pay tax as recipient of goods or services u/s 9(3) or 9(4)	(x) Person liable to pay tax u/s 9(5)	
	(iv) Transfer of business which includes change in the ownership of business (if transferee is not a registered entity)	(xi) Taxable person supplying through e-Commerce portal	
	(v) Death of the proprietor (if the successor is not a registered entity)	(xii) Voluntary Basis	
	(vi) De-merger	(xiii) Persons supplying goods and/or services on behalf of other taxable person(s)	
	(vii) Change in constitution of business	(xiv) Others (Not covered above) – Specify	
15.	Indicate existing registrations wherever applicable		
	Registration number under Value Added Tax		
	Central Sales Tax Registration Number		
	Entry Tax Registration Number		
	Entertainment Tax Registration Number		
	Hotel and Luxury Tax Registration Number		
	Central Excise Registration Number		
	Service Tax Registration Number		
	Corporate Identify Number/Foreign Company Registration Number		
	Limited Liability Partnership Identification Number/Foreign Limited Liability Partnership Identification Number		
	Importer/Exporter Code Number		
	Registration number under Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act		
	Registration number under Shops and Establishment Act		
	Temporary ID, if any		
	Others (Please specify)		
16.	(a) Address of Principal Place of Business		
	Building No./Flat No.	Floor No.	
	Name of the Premises/Building	Road/Street	
	City/Town/Locality/Village	District	
	Taluka/Block		
	State	PIN Code	
	Latitude	Longitude	
	(b) Contact Information		
	Office Address	Email	Office Telephone number
	Mobile Number		Office Fax Number
			STD
			STD

(c) Nature of premises					
Own	Leased	Rented	Consent	Shared	Others (specify)
(d) Nature of business activity being carried out at above mentioned premises (Please tick applicable)					
Factory Manufacturing	/ <input type="checkbox"/>	Wholesale Business	<input type="checkbox"/>	Retail Business	<input type="checkbox"/>
Warehouse/Depot	<input type="checkbox"/>	Bonded Warehouse	<input type="checkbox"/>	Supplier of services	<input type="checkbox"/>
Office/Sale Office	<input type="checkbox"/>	Leasing Business	<input type="checkbox"/>	Recipient of goods or services	<input type="checkbox"/>
EOU/ STP/ EHTP	<input type="checkbox"/>	Works Contract	<input type="checkbox"/>	Export	<input type="checkbox"/>
Import	<input type="checkbox"/>	Others (Specify)	<input type="checkbox"/>		

Details of Bank Accounts (s)

Total number of Bank Accounts maintained by the applicant for conducting business (Upto 10 Bank Accounts to be reported)	
---	--

Details of Bank Account 1

Account Number														
Type of Account												IFSC		
Bank Name														
Branch Address	To be auto-populated (Edit mode)													

Note – Add more accounts -----

18. Details of the Goods supplied by the Business

Please specify top 5 Goods		
Sr. No.	Description of Goods	HSN Code (Four digit)
(i)		
(ii)		
...		
(v)		

19. Details of Services supplied by the Business.

Please specify top 5 Services		
Sr. No.	Description of Services	HSN Code (Four digit)
(i)		
(ii)		
...		
(v)		

20. Details of Additional Place(s) of Business

Number of additional places	
-----------------------------	--

Premises 1

(a) Details of Additional Place of Business

Building No/Flat No		Floor No	
Name of the Premises/Building		Road/Street	
City/Town/Locality/Village		District	
Block/Taluka			
State		PIN Code	
Latitude		Longitude	
(b) Contact Information			
Office Address		Office Telephone number	
Email		STD	
Mobile Number		Office Fax Number	
		STD	
(c) Nature of premises			
Own	Leased	Rented	Consent
			Shared
			Others (specify)
(d) Nature of business activity being carried out at above mentioned premises (Please tick applicable)			
Factory / Manufacturing	<input type="checkbox"/>	Wholesale Business	<input type="checkbox"/>
Warehouse/Depot	<input type="checkbox"/>	Bonded Warehouse	<input type="checkbox"/>
Office/Sale Office	<input type="checkbox"/>	Leasing Business	<input type="checkbox"/>
EOU/ STP/ EHTP	<input type="checkbox"/>	Works Contract	<input type="checkbox"/>
Import	<input type="checkbox"/>	Others (specify)	<input type="checkbox"/>

21. Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.

Particulars	First Name	Middle Name	Last Name
Name			
Photo			
Name of Father			
Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender	<Male, Female, Other>
Mobile Number		Email address	
Telephone No. with STD			
Designation /Status		Director Identification Number (if any)	
Permanent Account Number		Aadhaar Number	
Are you a citizen of India?	Yes / No	Passport No. (in case of foreigners)	
Residential Address			

Building No/Flat No		Floor No	
Name of the Premises/Building		Road/Street	
City/Town/Locality/Village		District	
Block/Taluka			
State		PIN Code	
Country (in case of foreigner only)		ZIP code	

22. Details of Authorised Signatory

Checkbox for Primary Authorised Signatory

Details of Signatory No. 1

Particulars	First Name	Middle Name	Last Name
Name			
Photo			
Name of Father			
Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender	<Male, Female, Other>
Mobile Number		Email address	
Telephone No. with STD			
Designation /Status		Director Identification Number (if any)	
Permanent Account Number		Aadhaar Number	
Are you a citizen of India?	Yes / No	Passport No. (in case of foreigners)	

Residential Address in India			
Building No/Flat No		Floor No	
Name of the Premises/Building		Road/Street	
Block/Taluka			
City/Town/Locality/Village		District	
State		PIN Code	

23. Details of Authorised Representative

Enrolment ID, if available	
Provide following details, if enrolment ID is not available	
Permanent Account Number	
Aadhaar, if Permanent Account Number is not available	

	First Name	Middle Name	Last Name
Name of Person			
Designation / Status			
Mobile Number			
Email address			
Telephone No. with STD		FAX No. with STD	

24. State Specific Information

Profession Tax Enrolment Code (EC) No.

Profession Tax Registration Certificate (RC) No.

State Excise License No. and the name of the person in whose name Excise License is held

a. Field 1

b. Field 2

c.

d.

e. Field n

25. Document Upload

A customized list of documents required to be uploaded (refer rule 8) as per the field values in the form.

26. Consent

I on behalf of the holder of Aadhaar number <pre-filled based on Aadhaar number provided in the form> give consent to "Goods and Services Tax Network" to obtain my details from UIDAI for the purpose of authentication. "Goods and Services Tax Network" has informed me that identity information would only be used for validating identity of the Aadhaar holder and will be shared with Central Identities Data Repository only for the purpose of authentication.

27. Verification (by authorised signatory)

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature

Place:

Name of Authorised Signatory

Date:

Designation/Status.....

List of documents to be uploaded:-

1.	Photographs (wherever specified in the Application Form) (a) Proprietary Concern – Proprietor (b) Partnership Firm / Limited Liability Partnership – Managing/ Authorised/ Designated Partners (personal details of all partners are to be submitted but photos of only ten partners including that of Managing Partner are to be submitted)
----	--

	<p>(c) Hindu Undivided Family – Karta (d) Company – Managing Director or the Authorised Person (e) Trust – Managing Trustee (f) Association of Persons or Body of Individuals –Members of Managing Committee (personal details of all members are to be submitted but photos of only ten members including that of Chairman are to be submitted) (g) Local Authority – Chief Executive Officer or his equivalent (h) Statutory Body – Chief Executive Officer or his equivalent (i) Others – Person in Charge</p>
2.	<p>Constitution of Business: Partnership Deed in case of Partnership Firm, Registration Certificate/Proof of Constitution in case of Society, Trust, Club, Government Department, Association of Persons or Body of Individuals, Local Authority, Statutory Body and Others etc.</p>
3.	<p>Proof of Principal Place of Business: (a) For Own premises – Any document in support of the ownership of the premises like latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. (b) For Rented or Leased premises – A copy of the valid Rent / Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. (c) For premises not covered in (a) and (b) above – A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded. (d) For rented/leased premises where the Rent/lease agreement is not available, an affidavit to that effect along with any document in support of the possession of the premises like copy of Electricity Bill. (e) If the principal place of business is located in a Special Economic Zone or the applicant is an Special Economic Zone developer, necessary documents/certificates issued by Government of India are required to be uploaded.</p>
4	<p>Bank Account Related Proof: Scanned copy of the first page of Bank passbook or the relevant page of Bank Statement or Scanned copy of a cancelled cheque containing name of the Proprietor or Business entity, Bank Account No., MICR, IFSC and Branch details including code.</p>
5	<p>Authorisation Form:- For each Authorised Signatory mentioned in the application form, Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format: Declaration for Authorised Signatory (Separate for each signatory) (Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.) I/We --- (name) being (Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.) of (name of registered person) hereby solemnly affirm and declare that <<name of the authorised signatory, (status/designation)>> is hereby authorised, vide resolution no... dated..... (copy submitted herewith), to act as an authorised signatory for the business << Goods and Services Tax Identification Number - Name of the Business>> for which application for registration is being filed under the Act. All his actions in relation to this business will be binding on me/ us.</p>

	Signature of the person competent to sign Name: Designation/Status: (Name of the proprietor/Business Entity)
	Acceptance as an authorised signatory I <<(Name of the authorised signatory)>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business.
	Signature of Authorised Signatory Place: (Name)
	Date: Designation/Status:

Instructions for submission of Application for Registration.

1. Enter name of person as recorded on Permanent Account Number of the Business. In case of Proprietorship concern, enter name of proprietor against Legal Name and mention Permanent Account Number of the proprietor. Permanent Account Number shall be verified with Income Tax database.

2. Provide E-mail Id and Mobile Number of authorised signatory for verification and future communication which will be verified through One Time Passwords to be sent separately, before filling up Part-B of the application.

3. Applicant need to upload scanned copy of the declaration signed by the Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc. in case the business declares a person as Authorised Signatory.

4. The following persons can digitally sign the application for new registration:—

Constitution of Business	Person who candigitally sign the application
Proprietorship	Proprietor
Partnership	Managing / Authorised Partners
Hindu Undivided Family	Karta
Private Limited Company	Managing / Whole-time Directors
Public Limited Company	Managing / Whole-time Directors
Society/ Club/ Trust/ AOP	Members of Managing Committee
Government Department	Person In-charge
Public Sector Undertaking	Managing / Whole-time Director
Unlimited Company	Managing/ Whole-time Director
Limited Liability Partnership	Designated Partners
Local Authority	Chief Executive Officer or Equivalent
Statutory Body	Chief Executive Officer or Equivalent
Foreign Company	Authorised Person in India
Foreign Limited Liability Partnership	Authorised Person in India

Others (specify)	Person In charge
------------------	------------------

5. Information in respect of authorised representative is optional. Please select your authorised representative from the list available on the common portal if the authorised representative is enrolled, otherwise provide details of such person.

6. State specific information are relevant for the concerned State only.

7. Application filed by undermentioned persons shall be signed digitally:-

Sr. No	Type of Applicant	Type of Signature required
1.	Private Limited Company Public Limited Company Public Sector Undertaking Unlimited Company Limited Liability Partnership Foreign Company Foreign Limited Liability Partnership	Digital Signature Certificate (DSC)- Class-2 and above.
2.	Other than above	Digital Signature Certificate class 2 and above e-Signature or any other mode as may be notified

8. All information related to Permanent Account Number, Aadhaar, Director Identification Number, Challan Identification Number shall be validated online by the system and Acknowledgment Receipt Number will be generated after successful validation of all the filled up information.

9. Status of the application filed online can be tracked on the common portal by entering Application Reference Number (ARN) indicated on the Acknowledgment.

10. No fee is payable for filing application for registration.

11. Authorised signatory shall not be a minor.

12. Any person having multiple business verticals within a State, requiring a separate registration for any of its business verticals shall need to apply separately in respect of each of the vertical.

13. After approval of application, registration certificate shall be made available on the common portal.

14. Temporary Reference Number (TRN) will be allotted after successfully furnishing preliminary details in PART –A of the application which can be used for filling up details in PART-B of the application. TRN will be available on the common portal for a period of 15 days.

15. Any person who applies for registration under rule 8 may give an option to pay tax under section 10 in Part B of FORM GST REG-01, which shall be considered as an intimation to pay tax under the said section.

If no response is received by the stipulated date, your application is liable for rejection. Please note that no further notice / reminder will be issued in this matter

Signature
Name of the Proper Officer:
Designation:
Jurisdiction:

** Not applicable for New Registration Application*

Form GST REG-04

[See rule 9(2)]

Clarification/additional information/document for <<Registration/Amendment/Cancellation>>

1.	Notice details	Reference No.		Date	
2.	Application details	Reference No		Date	
3.	GSTIN, if applicable				
4.	Name of Business (Legal)				
5.	Trade name, if any				
6.	Address				
7.	Whether any modification in the application for registration or fields is required.-	Yes <input type="checkbox"/>			No <input type="checkbox"/>
					(Tick one)
8.	Additional Information				
9.	List of Documents uploaded				
10.	Verification	I _____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.			
Place:		Signature of Authorised Signatory			
Date:		Name			
		Designation/Status:			

Note:-

- For new registration, *original registration application will be available in editable mode if option 'Yes' is selected in item 7.*
- For amendment of registration particulars, *the fields intended to be amended will be available in editable mode if option 'Yes' is selected in item 7.*

Form GST REG-05*[See rule 9(4)]*

Reference Number:

Date-

To
Name of the Applicant
Address -
GSTIN (if available)

Order of Rejection of Application for <Registration / Amendment / Cancellation>

This has reference to your reply filed vide ARN --- dated----. The reply has been examined and the same has not been found to be satisfactory for the following reasons:

- 1.
- 2.
- 3.

...

Therefore, your application is rejected in accordance with the provisions of the Act.

Or

You have not replied to the notice issued vide reference no. dated within the time specified therein. Therefore, your application is hereby rejected in accordance with the provisions of the Act.

Signature
Name

Designation
Jurisdiction

Form GST REG-06*[See rule 10(1)]***Registration Certificate**

Registration Number: <GSTIN/ UIN >

	Legal Name				
	Trade Name, if any				
	Constitution of Business				
	Address of Principal Place of Business				
	Date of Liability	DD/MM/ YYYY			
	Period of Validity (Applicable only in case of Non-Resident)	From	DD/MM/YYYY	To	DD/MM/YY YY

	<i>taxable person or Casual taxable person)</i>				
	Type of Registration				
	Particulars of Approving Authority				
Centre			State		
<i>Signature</i>					
Name					
Designation					
Office					
9.	Date of issue of Certificate				
Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.					

Annexure A

Details of Additional Places of Business

Goods and Services Tax Identification

Number

Legal Name

Trade Name, if any

Total Number of Additional Places of Business in the State

Sr. No. Address

1

2

3

...

Annexure B

Goods and Services Tax Identification

Number

Legal Name

Trade Name, if any

Details of <Proprietor / Partners / Karta / Managing Director and whole-time Directors / Members of the Managing Committee of Association of Persons / Board of Trustees etc.>

1.	<i>Photo</i>	Name Designation/Status Resident of State
2.	<i>Photo</i>	Name Designation/Status Resident of State
3.	<i>Photo</i>	Name Designation/Status Resident of State

4.	<i>Photo</i>	Name Designation/Status Resident of State
5.	<i>Photo</i>	Name Designation/Status Resident of State
6.	<i>Photo</i>	Name Designation/Status Resident of State
7.	<i>Photo</i>	Name Designation/Status Resident of State
8.	<i>Photo</i>	Name Designation/Status Resident of State
9.	<i>Photo</i>	Name Designation/Status Resident of State
10.	<i>Photo</i>	Name Designation/Status Resident of State

Form GST REG-07

[See rule 12(1)]

Application for Registration as Tax Deductor at source (u/s 51) or Tax Collector at source (u/s 52)

State /UT-

District -

Part -A

(i)	Legal Name of the Tax Deductor or Tax Collector(As mentioned in Permanent Account Number/ Tax Deduction and Collection Account Number)	
(ii)	Permanent Account Number (Enter Permanent Account Number of the Business; Permanent Account Number of Individual in case of Proprietorship concern)	
(iii)	Tax Deduction and Collection Account Number (Enter Tax Deduction and Collection Account Number, if Permanent Account Number is not available)	
(iv)	Email Address	
(v)	Mobile Number	

Note - Information submitted above is subject to online verification before proceeding to fill up Part-B.**Part -B**

1	Trade Name, if any	
2	Constitution of Business (Please Select the Appropriate)	
(i) Proprietorship	<input type="checkbox"/>	(ii) Partnership <input type="checkbox"/>

(iii) Hindu Undivided Family	<input type="checkbox"/>	(iv) Private Limited Company	<input type="checkbox"/>
(v) Public Limited Company	<input type="checkbox"/>	(vi) Society/Club/Trust/Association of Persons	<input type="checkbox"/>
(vii) Government Department	<input type="checkbox"/>	(viii) Public Sector Undertaking	<input type="checkbox"/>
(ix) Unlimited Company	<input type="checkbox"/>	(x) Limited Liability Partnership	<input type="checkbox"/>
(xi) Local Authority	<input type="checkbox"/>	(xii) Statutory Body	<input type="checkbox"/>
(xiii) Foreign Limited Liability Partnership	<input type="checkbox"/>	(xiv) Foreign Company Registered (in India)	<input type="checkbox"/>
(xv) Others (Please specify)	<input type="checkbox"/>		
3	Name of the State	District	
4.	Jurisdiction -	State	Centre
		Sector /Circle/ Ward /Charge/Unit etc.	
5.	Type of registration	Tax Deductor <input type="radio"/>	Tax Collector <input type="radio"/>
6.	Government (Centre / State/Union Territory)	Center <input type="radio"/>	State/UT <input type="radio"/>
7.	Date of liability to deduct/collect tax	DD/MM/YYYY	
8.	(a) Address of principal place of business		
	Building No./Flat No.	Floor No.	
	Name of the Premises/Building	Road/Street	
	City/Town/Locality/Village	District	
	Block/Taluka		
	Latitude	Longitude	
	State	PIN Code	
	(b) Contact Information		
	Office Email Address	Office Telephone number	
	Mobile Number	Office Fax Number	
	(c) Nature of possession of premises		
	Own	Leased	Rented
			Consent
			Shared
			Others(specify)
9.	Have you obtained any other registrations under Goods and Services Tax in the same State?	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
10.	If Yes, mention Goods and Services Tax Identification Number		
11.	IEC (Importer Exporter Code), if applicable		
12.	Details of DDO (Drawing and Disbursing Officer) / Person responsible for deducting tax/collecting tax		
Particulars			
Name		First Name	Middle Name
Father's Name		Last Name	
Photo			
Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender	<Male, Female, Other>

Mobile Number		Email address	
Telephone No. with STD			
Designation /Status		Director Identification Number (if any)	
Permanent Account Number		Aadhaar Number	
Are you a citizen of India?	Yes / No	Passport No. (in case of Foreigners)	
Residential Address			
Building No/Flat No		Floor No	
Name of the Premises/Building		Locality/Village	
State		PIN Code	
2 13. Details of Authorised Signatory			
Checkbox for Primary Authorised Signatory <input type="checkbox"/>			
Details of Signatory No. 1			
Particulars	First Name	Middle Name	Last Name
Name			
Photo			
Name of Father			
Date of Birth	DD/MM/YY YY	Gender	<Male, Female, Other>
Mobile Number		Email address	
Telephone No. with STD			
Designation /Status		Director Identification Number (if any)	
Permanent Account Number		Aadhaar Number	
Are you a citizen of India?	Yes / No	Passport No. (in case of foreigners)	
Residential Address (Within the Country)			
Building No/Flat No		Floor No	
Name of the Premises/Building		Road/Street	
City/Town/Locality/Village		District	
State		PIN Code	
Block/Taluka			
Note – Add more ...			

14.	<p>Consent</p> <p><i>I on behalf of the holder of Aadhar number <pre-filled based on Aadhar number provided in the form> give consent to “Goods and Services Tax Network” to obtain my details from UIDAI for the purpose of authentication. “Goods and Services Tax Network” has informed me that identity information would only be used for validating identity of the Aadhar holder and will be shared with Central Identities Data Repository only for the purpose of authentication.</i></p>
15.	<p style="text-align: center;">Verification</p> <p><i>I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom</i></p> <p style="text-align: right;">(Signature)</p> <p style="text-align: center;">Name of DDO/ Person responsible for deducting tax/collecting tax/ Authorised Signatory</p> <p>Date: _____ Designation _____</p>

List of documents to be uploaded (not applicable to a department or establishment of the Central Government or State Government or Local Authority or Governmental agencies):-

<p>Proof of Principal Place of Business:</p> <p>(a) For Own premises – Any document in support of the ownership of the premises like latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.</p> <p>(b) For Rented or Leased premises – A copy of the valid Rent / Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.</p> <p>(c) For premises not covered in (a) and (b) above – A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded.</p> <p>(d) For rented/leased premises where the Rent/lease agreement is not available, an affidavit to that effect along with any document in support of the possession of the premises like copy of Electricity Bill.</p> <p>(e) If the principal place of business is located in an Special Economic Zone or the applicant is an Special Economic Zone developer, necessary documents/certificates issued by Government of India are required to be uploaded.</p>
--

Instructions for submission of application for registration as Tax Deductor/ Tax Collector.

1. Enter name of Tax Deductor /Tax Collector as recorded on Tax Deduction and Collection Account Number/ Permanent Account Number of the Business. Tax Deduction and Collection Account Number/Permanent Account Number shall be verified with Income Tax database.
2. Provide Email Id and Mobile Number of DDO (Drawing and Disbursing Officer) / Person responsible for deducting tax/collecting tax for verification and future communication which will be verified through One Time Passwords to be sent separately, before filling up of the application.

3. Person who is acting as DDO/ Person deducting/collecting tax can sign the application.
4. The application filed by undermentioned persons shall be signed digitally.

Sr. No	Type of Applicant	Digital Signature required
1.	Private Limited Company Public Limited Company Public Sector Undertaking Unlimited Company Limited Liability Partnership Foreign Company Foreign Limited Liability Partnership	Digital Signature Certificate(DSC) class 2 and above
2.	Other than above	Digital Signature Certificate class 2 and above, e-Signature or any other mode as specified or as may be notified.

5. All information relating to Permanent Account Number, Aadhaar, Director Identification Number, Challan Identification Number shall be validated online by the system and Acknowledgment Receipt Number will be generated after successful validation of all the filled information.

6. Status of the application filed online can be tracked on the Common portal.
7. No fee is payable for filing application for registration.
8. Authorised shall not be a minor.

Form GST REG-08

[See rule 12(3)]

Reference No

Date:

To

Name:

Address:

Application Reference No. (ARN) (Reply)

Date:

Order of Cancellation of Registration as Tax Deductor at source or Tax Collector at source

This has reference to the show-cause notice issued vide Reference Number dated for cancellation of registration under the Act.

- Whereas no reply to show cause notice has been filed; or
- Whereas on the day fixed for hearing you did not appear; or
- Whereas your reply to the notice to show cause and submissions made at the time of hearing have been examined. The undersigned is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s).

1.

2.

The effective date of cancellation of registration is <<DD/MM/YYYY >>.

You are directed to pay the amounts mentioned below on or before ----- (date) failing which the amount will be recovered in accordance with the provisions of the Act and rules made thereunder. (This order is also available on your dashboard).

Head	Integrated tax	Central tax	State tax	UT Tax	Cess
Tax					
Interest					
Penalty					
Others					
Total					

Signature
Name
Designation
Jurisdiction

Form GST REG-09

[See rule 13(1)]

Application for Registration of Non Resident Taxable Person

Part -A

State /UT –

District -

(i)	Legal Name of the Non-Resident Taxable Person	
(ii)	Permanent Account Number of the Non-Resident Taxable person, if any	
(iii)	Passport number, if Permanent Account Number is not available	
(iv)	Tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the Government of that country	
(v)	Name of the Authorised Signatory (as per Permanent Account Number)	
(vi)	Permanent Account Number of the Authorised Signatory	
(vii)	Email Address of the Authorised Signatory	
(viii)	Mobile Number of the Authorised Signatory (+91)	

Note - Relevant information submitted above is subject to online verification, where practicable, before proceeding to fill up Part-B.

Part -B

1.	Details of Authorised Signatory (should be a resident of India)								
	First Name		Middle Name		Last Name				
	Photo								
	Gender			Male / Female / Others					
	Designation								
	Date of Birth		DD/MM/YYYY						
	Father's Name								
	Nationality								
	Aadhaar								
Address of the Authorised signatory.				Address line 1					
				Address Line 2					
				Address line 3					
2.	Period for which registration is required		From		To				
			DD/MM/YYYY		DD/MM/YYYY				
3.	Turnover Details		Estimated Turnover (Rs.)		Estimated Tax Liability (Net) (Rs.)				
			Intra-State	Inter -State	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
4.	Address of Non-Resident taxable person in the Country of Origin (In case of business entity - Address of the Office)								
	Address Line 1								
	Address Line 2								
	Address Line 3								
	Country (Drop Down)								
	Zip Code								
	E mail Address								
	Telephone Number								
5.	Address of Principal Place of Business in India								
	Building No./Flat No.			Floor No.					
	Name of the Premises/Building			Road/Street					
	City/Town/Village/Locality			District					
	Block/Taluka								
	Latitude			Longitude					
	State			PIN Code					
	Mobile Number			Telephone Number					
	E mail Address			Fax Number with STD					
6.	Details of Bank Account in India								
	Account		Type of account						

	Number				
	Bank Name	Branch Address			IFSC
7.	Documents Uploaded <i>A customized list of documents required to be uploaded (refer Instruction) as per the field values in the form</i>				
8.	Declaration <i>I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.</i>				
			Signature		
	Place:	Name of Authorised Signatory			
	Date:	Designation:			

Note: Non-Resident taxable person is required to upload declaration (as per under mentioned format) along with scanned copy of the passport and photograph.

List of documents to be uploaded as evidence are as follows:-

1.	Proof of Principal Place of Business: (a) For own premises – Any document in support of the ownership of the premises like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. (b) For Rented or Leased premises – A copy of the valid Rent / Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. (c) For premises not covered in (a) and (b) above – A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded.
2.	Proof of Non-resident taxable person: Scanned copy of the passport of the Non -resident taxable person with VISA details. In case of a business entity incorporated or established outside India, the application for registration shall be submitted along with its tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the Government of that country or it's Permanent Account Number, if available.
3	Bank Account related proof: Scanned copy of the first page of Bank passbook or the relevant page of Bank Statement or Scanned copy of a cancelled cheque containing name of the Proprietor or Business entity, Bank Account No., MICR, IFSC and Branch details including code.
4	Authorisation Form:- For each Authorised Signatory mentioned in the application form, Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format:Declaration for Authorised Signatory (Separate for each signatory) (Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.)I/We --- (name) being (Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.) of (name of registered person) hereby solemnly affirm and declare that <<name of the authorised signatory, (status/designation)>> is hereby authorised, vide resolution

	<p>no... dated..... (Copy submitted herewith), to act as an authorised signatory for the business << Goods and Services Tax Identification Number - Name of the Business>> for which application for registration is being filed under the Act. All his actions in relation to this business will be binding on me/ us. Signature of the person competent to sign</p> <p style="text-align: center;">Designation/Status: (Name of the proprietor/Business Entity)</p> <p style="text-align: center;">Acceptance as an authorised signatory Acceptance as an authorised signatory</p>
	<p>I <<(Name of the authorised signatory)>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business.</p> <p style="text-align: center;">Signature of Authorised Signatory</p> <p>Place: _____ Date: _____</p> <p style="text-align: center;">Designation/Status: _____</p>

Instructions for submission of application for registration as Non-Resident Taxable Person.

1. Enter Name of the applicant Non-Resident taxable person as recorded on Passport.
2. The applicant shall apply at least **Five** days prior to commencement of the business at the common portal.
3. The applicant needs to provide Email Id and Mobile Number for verification and future communication which will be verified through One Time Passwords to be sent separately, before filling up Part-B of the application.
4. The applicant needs to upload the scanned copy of the declaration signed by the Proprietor/all Partners/ Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc. in case the business declares a person as Authorised Signatory.
5. The application filed by the under-mentioned persons shall be signed digitally:—

Sr. No	Type of Applicant	Digital Signature required
1.	Private Limited Company Public Limited Company Public Sector Undertaking Unlimited Company Limited Liability Partnership Foreign Company Foreign Limited Liability	Digital Signature Certificate(DSC) class 2 and above

Sr. No	Type of Applicant	Digital Signature required
	Partnership	
2.	Other than above	Digital Signature Certificate class 2 and above e-Signature or as may be notified

6. All information related to Permanent Account Number, Aadhaar, shall be online validated by the system and Acknowledgment Receipt Number will be generated after successful validation of all filled up information.

7. Status of the application filed online can be tracked on the common portal.

8. No fee is payable for filing application for registration

9. Authorised signatory shall be an Indian national and shall not be a minor.

Form GST REG-10

[See rule 14(1)]

Application for registration of person supplying online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person.

Part -A

State /UT –

District -

(i)	Legal Name of the person	
(ii)	Permanent Account Number of the person, if any	
(iii)	Tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the Government of that country	
(iv)	Name of the Authorised Signatory	
(v)	Permanent Account Number of the Authorised Signatory	
(vi)	Email Address of the Authorised Signatory	
(vii)	Mobile Number of the Authorised Signatory (+91)	

Note - Relevant information submitted above is subject to online verification, where practicable, before proceeding to fill up Part-B.

Part -B

Note: Applicant will require to upload declaration (as per under mentioned format) alongwith scanned copy of the passport and photograph.

1.	Details of Authorised Signatory (shall be resident of India)					
	First Name	Middle Name	Last Name			
	Photo					
	Gender			Male / Female / Others		
	Designation					
	Date of Birth			DD/MM/YYYY		
	Father's Name					
	Nationality					
	Aadhaar, if any					
	Address of the Authorised Signatory			Address line 1		
				Address line 2		
				Address line 3		
2.	Date of commencement of the online service in India.			DD/MM/YYYY		
3.	Uniform Resource Locators (URLs) of the website through which taxable services are provided: 1. 2. 3...					
4.	Jurisdiction		Center			
5.	Details of Bank Account					
	Account Number		Type of account			
	Bank Name	Branch Address		IFSC		
6.	Documents Uploaded <i>A customized list of documents required to be uploaded (refer Instruction) as per the field values in the form</i>					
7.	<p>Declaration</p> <p><i>I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.</i></p> <p><i>I, _____ hereby declare that I am authorised to sign on behalf of the Registrant. I would charge and collect tax liable from the non-assesse online recipient located in taxable territory and deposit the same with Government of India.</i></p> <p style="text-align: right;">Signature</p> <p>Place: Name of Authorised Signatory:</p> <p>Date: Designation:</p>					

List of documents to be uploaded as evidence are as follows:-

<p>1.</p>	<p>Proof of Place of Business in India: (a) For Own premises – Any document in support of the ownership of the premises like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. (b) For Rented or Leased premises – A copy of the valid Rent / Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. (c) For premises not covered in (a) and (b) above – A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded.</p>								
<p>2.</p>	<p>Proof of : Scanned copy of the passport of the Non -resident tax payer with VISA details. In case of Company/Society/LLP/FCNR/ etc. person who is holding power of attorney with authorisation letter. Scanned copy of Certificate of Incorporation if the Company is registered outside India or in India Scanned copy of License is issued by origin country Scanned copy of Clearance certificate issued by Government of India</p>								
<p>3.</p>	<p>Bank Account Related Proof: Scanned copy of the first page of Bank passbook / one page of Bank Statement Opening page of the Bank Passbook held in the name of the Proprietor / Business Concern – containing the Account No., Name of the Account Holder, MICR and IFSC and Branch details.</p>								
<p>4.</p>	<p>Authorisation Form:- For Authorised Signatory mentioned in the application form, Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format: Declaration for Authorised Signatory (Separate for each signatory) I(Managing Director/Whole Time Director/CEO or Power of Attorney holder) hereby solemnly affirm and declare that <<name of the authorised signatory>> to act as an authorised signatory for the business << Name of the Business>> for which application for registration is being filed/ is registered under the Goods and Service Tax Act, 20__ . All his actions in relation to this business will be binding on me/ us. Signatures of the persons who is in charge. <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Full Name</td> <td style="width: 30%;">Designation/Status</td> <td style="width: 40%;">Signature</td> </tr> </table> 1. Acceptance as an authorised signatory <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">I <<(Name of authorised signatory)>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">Signature of Authorised Signatory</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Place</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Date: (Name)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Designation/Status</td> </tr> </table> </p>	Full Name	Designation/Status	Signature	I <<(Name of authorised signatory)>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business.	Signature of Authorised Signatory	Place	Date: (Name)	Designation/Status
Full Name	Designation/Status	Signature							
I <<(Name of authorised signatory)>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business.									
Signature of Authorised Signatory									
Place									
Date: (Name)									
Designation/Status									

Form GST REG-11

[See rule 15(1)]

Application for extension of registration period by casual / non-resident taxable person

1.	GSTIN								
2.	Name (Legal)								
3.	Trade Name, if any								
4.	Address								
5.	Period of Validity (original)		From		To				
			DD/MM/YYYY		DD/MM/YYYY				
6.	Period for which extension is requested.		From		To				
			DD/MM/YYYY		DD/MM/YYYY				
7.	Turnover Details for the extended period (Rs.)		Estimated Tax Liability (Net) for the extended period (Rs.)						
			Inter- State	Intra-State	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrat ed Tax	Cess
8.	Payment details								
	Date	CIN	BRN		Amount				
9.	Declaration - <i>I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.</i>								
Place:			Signature						
Date:			Name of Authorised Signatory:						
			Designation / Status:						

Instructions for submission of application for extension of validity

1. The application can be filed online before the expiry of the period of validity.
2. The application can only be filed when advance payment is made.
3. After successful filing, Application Reference Number will be generated which can be used to track the status of the application.

Form GST REG-12

[See rule 16(1)]

Reference Number -

Date:

To

(Name):

(Address):

Temporary Registration Number

Order of Grant of Temporary Registration/ Suo Moto Registration

Whereas the undersigned has sufficient reason to believe that you are liable for registration under the Act, and therefore, you are hereby registered on a temporary basis. The particulars of the business as ascertained from the business premises are given as under:

Details of person to whom temporary registration granted		
1.	Name and Legal Name, if applicable	
2.	Gender	Male/Female/Other
3.	Father's Name	
4.	Date of Birth	DD/MM/YYYY
5.	Address of the Person	Building No./ Flat No.
		Floor No.
		Name of Premises/ Building
		Road/ Street
		Town/City/Locality/ Village
		Block / Taluka
		District
		State
	PIN Code	
6.	Permanent Account Number of the person, if available	
7.	Mobile No.	
8.	Email Address	
9.	Other ID, if any (Voter ID No./ Passport No./Driving License No./ Aadhaar No./ Other)	
10.	Reasons for temporary registration	
11.	Effective date of registration / temporary ID	
12.	Registration No. / Temporary ID	
(Upload of Seizure Memo / Detention Memo / Any other supporting documents) <<You are hereby directed to file application for proper registration within 30 days of the issue of this order>>		
Place		Signature
Date:		<< Name of the Officer>>:
		Designation/ Jurisdiction:
Note: A copy of the order will be sent to the corresponding Central/ State Jurisdictional Authority.		

Form GST REG-13

[See rule 17(1)]

**Application/Form for grant of Unique Identity Number to UN Bodies /
Embassies / others**

State /Union Territory–

District –

PART A

(i)	Name of the Entity	
(ii)	Permanent Account Number of entity, if any (applicable in case of any other person notified)	
(iii)	Name of the Authorised Signatory	
(iv)	Permanent Account Number of Authorised Signatory	
(v)	Email Address of the Authorised Signatory	
(vi)	Mobile Number of the Authorised Signatory (+91)	

PART B

1.	Type of Entity (Choose one)	UN Body <input type="radio"/> Embassy <input type="radio"/> Other Person <input type="radio"/>		
2.	Country			
3.	Notification Details	Notification No.	Date	
4.	Address of the entity in State			
	Building No./Flat No.	Floor No.		
	Name of the Premises/Building	Road/Street		
	City/Town/Village	District		
	Block/Taluka			
	Latitude	Longitude		
	State	PIN Code		
	Contact Information			
	Email Address		Telephone number	
	Fax Number		Mobile Number	
5.	Details of Authorised Signatory, if applicable			
	Particulars	First Name	Middle Name	Last name
	Name			
	Photo			
	Name of Father			
	Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender	<Male, Female, Other>
	Mobile Number		Email address	
	Telephone No.			
	Designation /Status		Director Identification Number (if any)	
	Permanent Account Number		Aadhaar Number	
	Are you a citizen of India?	Yes / No	Passport No. (in case of foreigners)	

	Residential Address			
	Building No/Flat No		Floor No	
	Name of the Premises/Building		Road/Street	
	Town/City/Village		District	
	Block/Taluka			
	State		PIN Code	
6.	Bank Account Details (add more if required)			
	Account Number		Type of Account	
	IFSC		Bank Name	
	Branch Address			
7.	Documents Uploaded			
	<p><i>The authorised person who is in possession of the documentary evidence (other than UN Body/ Embassy etc.) shall upload the scanned copy of such documents including the copy of resolution / power of attorney, authorising the applicant to represent the entity.</i></p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p><i>The proper officer who has collected the documentary evidence from the applicant (UN Body/ Embassy etc.) shall upload the scanned copy of such documents including the copy of resolution / power of attorney, authorising the applicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and link it along with the Unique Identity Number generated and allotted to respective UN Body/ Embassy etc.</i></p>			
8.	Verification			
	<i>I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.</i>			

Place:

(Signature)

Date:

Name of Authorised Person:

Or

(Signature)

Place:

Name of Proper Officer:

Date:

Designation:

Jurisdiction:

Instructions for submission of application for registration for UN Bodies/ Embassies/others notified by the Government.

1. Every person required to obtain a unique identity number shall submit the application electronically.
2. Application shall be filed through common portal or registration can be granted suo-moto by proper officer.
3. The application filed on the common portal is required to be signed electronically or through any other mode as specified by the Government.
4. The details of the person authorised by the concerned entity to sign the refund application or otherwise, should be filled up against the "Authorised Signatory details" in the application.

Form GST REG-14

[See rule 19(1)]

**Application for Amendment in Registration Particulars
(For all types of registered persons)**

1. GSTIN/UIN			
2. Name of Business			
3. Type of registration			
4. Amendment summary			
Sr. No	Field Name	Effective Date (DD/MM/YYYY)	Reasons(s)
5. List of documents uploaded (a) (b) (c) ...			
6. Declaration <i>I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom</i>			
Place:			Signature
Date:			Name of Authorised Signatory Designation / Status:

Instructions for submission of application for amendment

1. Application for amendment shall be submitted online.
2. Changes relating to - Name of Business, Principal Place of Business, additional place(s) of business and details of partners or directors, karta, Managing Committee, Board of Trustees, Chief Executive Officer or equivalent, responsible for day to day affairs of the business which does not warrant cancellation of registration, are core fields which shall be approved by the Proper Officer after due verification.
3. For amendment in Non-Core fields, approval of the Proper Officer is not required.
4. Where a change in the constitution of any business results in change of the Permanent Account Number of a registered person, the said person shall be required to apply for fresh registration.
5. Any change in the mobile number or the e-mail address of authorised signatory as amended from time to time, shall be carried out only after online verification through the common portal.
6. All information related to Permanent Account Number, Aadhaar, Director Identification Number, Challan Identification Number shall be validated online by the system and Application Reference Number (ARN) will be generated after successful validation of necessary field.

7. Status of the application can be tracked on the common portal.
8. No fee is payable for submitting application for amendment.
9. Authorised signatory shall not be a minor.

Form GST REG-15

[See rule 19(1)]

Reference Number - << >>

Date – DD/MM/YYYY

To

(Name)

(Address)

Registration Number (GSTIN / UIN)

Application Reference No. (ARN)

Dated – DD/MM/YYYY

Order of Amendment

This has reference to your application number----- dated ---- regarding amendment in registration particulars. Your application has been examined and the same has been found to be in order. The amended certificate of registration is available on your dashboard for download.

Signature
Name
Designation
Jurisdiction

Date
Place

Form GST REG-16

[See rule 20]

Application for Cancellation of Registration

1	GSTIN				
2	Legal name				
3	Trade name, if any				
4	Address of Principal Place of Business				
5	Address for future correspondence (including email, mobile telephone, fax)	Building No./ Flat No.		Floor No.	
		Name of Premises/ Building		Road/ Street	

		City/Town/ Village		District	
		Block/Taluka			
		Latitude		Longitude	
		State		PIN Code	
		Mobile (with country code)		Telephone	
		email		Fax Number	
6.	Reasons for Cancellation (Select one)	Discontinuance /Closure of business Ceased to be liable to pay tax Transfer of business on account of amalgamation, merger/ demerger, sale, lease or otherwise disposed of etc. Change in constitution of business leading to change in Permanent Account Number Death of Sole Proprietor Others (specify)			
7.	In case of transfer, merger of business, particulars of registration of entity in which merged, amalgamated, transferred, etc.				
(i)	Goods and Services Tax Identification Number				
(ii)	1. Name (Legal)				
	Trade name, if any				
(iii)	Address of Principal Place of Business	Building No./ Flat No.		Floor No.	
		Name of Premises/ Building		Road/ Street	
		City/Town/ Village		District	
		Block/Taluka			
		Latitude		Longitude	
		State		PIN Code	
		Mobile (with country code)		Telephone	
	email		Fax Number		
8.	Date from which registration is to be cancelled.	<DD/MM/YYYY>			
9.	Particulars of last Return Filed				
	(i) Tax period				
	(ii) Application Reference Number				
	(iii) Date				

10.	Amount of tax payable in respect of inputs/capital goods held in stock on the effective date of cancellation of registration.						
	Description	Value of Stock (Rs.)	Input Tax Credit/ Tax Payable (whichever is higher) (Rs.)				
			Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
	Inputs						
	Inputs contained in semi-finished goods						
	Inputs contained in finished goods						
	Capital Goods/Plant and machinery						
	Total						
11.	<u>Details of tax paid, if any</u>						
	Payment from Cash Ledger						
	Sr. No.	Debit Entry No.	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1.						
	2.						
		Sub-Total					
	Payment from ITC Ledger						
	Sr. No.	Debit Entry No.	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1.						
	2.						
		Sub-Total					
	Total Amount of Tax Paid						
12.	Documents uploaded						
13.	Verification						
	I/We <> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.						
	Signature of Authorised Signatory						
	Place			Name of the Authorised Signatory			
	Date			Designation / Status			

Instructions for filing of Application for Cancellation

- (i) A registered person seeking cancellation of his registration shall electronically submit an application including details of closing stock and liability thereon along with relevant documents, on common portal.
- (ii) The following persons shall digitally sign application for cancellation, as applicable:

Constitution of Business	Person who can digitally sign the application
Proprietorship	Proprietor
Partnership	Managing / Authorised Partners
Hindu Undivided Family	Karta
Private Limited Company	Managing / Whole-time Directors/ Chief Executive Officer
Public Limited Company	Managing / Whole-time Directors/ Chief Executive Officer
Society/ Club/ Trust/ AOP	Members of Managing Committee
Government Department	Person In charge
Public Sector Undertaking	Managing / Whole-time Directors/ Chief Executive Officer
Unlimited Company	Managing / Whole-time Directors/ Chief Executive Officer
Limited Liability Partnership	Designated Partners
Local Authority	Chief Executive Officer or Equivalent
Statutory Body	Chief Executive Officer or Equivalent
Foreign Company	Authorised Person in India
Foreign Limited Liability Partnership	Authorised Person in India
Others	Person In charge

In case of death of sole proprietor, application shall be made by the legal heir / successor manually before the concerned tax authorities. The new entity in which the applicant proposes to amalgamate itself shall register with the tax authority before submission of the application for cancellation. This application shall be made only after that the new entity is registered.

Before applying for cancellation, please file your tax return due for the tax period in which the effective date of surrender of registration falls.

- (iii) Status of the Application may be tracked on the common portal.
- (iv) No fee is payable for filing application for cancellation.
- (v) After submission of application for cancellation of registration, the registered person shall make payment, if not made at the time of this application, and shall furnish final return as provided in the Act.
- (vi) The registered person may also update his contact address and update his mobile number and e mail address.

Form GST REG -17

[See rule 22(1)]

Reference No. -

<< Date >>

To

Registration Number (GSTIN/UIN)

(Name)
(Address)

Show Cause Notice for Cancellation of Registration

Whereas on the basis of information which has come to my notice, it appears that your registration is liable to be cancelled for the following reasons: -

1

2

3

....

You are hereby directed to furnish a reply to this notice within seven working days from the date of service of this notice .

You are hereby directed to appear before the undersigned on DD/MM/YYYY at HH/MM

If you fail to furnish a reply within the stipulated date or fail to appear for personal hearing on the appointed date and time, the case will be decided ex parte on the basis of available records and on merits.

Place:

Date:

Signature

< Name of the Officer >

Designation

Jurisdiction

Form GST REG- 18

[See rule 22(2)]

Reply to the Show Cause Notice issued for cancellation for registration

1.	Reference No. of Notice		Date of issue	
2.	GSTIN / UIN			
3.	Name of business (Legal)			
4.	Trade name, if any			
5.	Reply to the notice			
6.	List of documents uploaded			
7.	<p>Verification</p> <p>I _____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.</p> <p style="text-align: right;">Signature of Authorised Signatory</p> <p>Place _____ Date _____</p> <p style="text-align: right;">Name _____ Designation/Status _____</p>			

Form GST REG-19*[See rule 22(3)]*

Reference No. -
To
Name
Address
GSTIN / UIN

Date

Application Reference No. (ARN)

Date

Order for Cancellation of Registration

This has reference to your reply dated ---- in response to the notice to show cause dated -----.

- Whereas no reply to notice to show cause has been submitted; or
- Whereas on the day fixed for hearing you did not appear; or
- Whereas the undersigned has examined your reply and submissions made at the time of hearing, and is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for following reason(s).

1.

2.

The effective date of cancellation of your registration is <<DD/MM/YYYY >>.

Determination of amount payable pursuant to cancellation:

Accordingly, the amount payable by you and the computation and basis thereof is as follows:
The amounts determined as being payable above are without prejudice to any amount that may be found to be payable by you on submission of final return furnished by you.

You are required to pay the following amounts on or before ----- (date) failing which the amount will be recovered in accordance with the provisions of the Act and rules made thereunder.

Head	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
Tax					
Interest					
Penalty					
Others					
Total					

Place:

Date:

Signature
< Name of the Officer >
Designation
Jurisdiction

Form GST REG-20
[See rule 22(4)]

Reference No. - _____ Date _____
To _____
Name _____
Address _____
GSTIN/UID _____

Show Cause Notice No. _____ Date _____

Order for dropping the proceedings for cancellation of registration

This has reference to your reply dated ----- in response to the notice to show cause notice dated DD/MM/YYYY. Upon consideration of your reply and/or submissions made during hearing, the proceedings initiated for cancellation of registration stands vacated due to the following reasons:

<< text >>

Signature
< Name of the Officer >
Designation
Jurisdiction

Place:
Date:

Form GST REG-21
[See rule 23(1)]

Application for Revocation of Cancellation of Registration

1.	GSTIN (cancelled)				
2.	Legal Name				
3.	Trade Name, if any				
4.	Address (Principal place of business)				
5.	Cancellation Order No.		Date –		
6.	Reason for cancellation				
7.	Details of last return filed				
	Period of Return		Application Reference Number	Date of filing	DD/MM/YY YY
8.	Reasons for revocation of cancellation	Reasons in brief. (Detailed reasoning can be filed as an attachment)			
9.	Upload Documents				
10.	Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.				

	Signature of Authorised Signatory Full Name (first name, middle, surname) Designation/Status
Place	
Date	

Instructions for submission of application for revocation of cancellation of registration

1. A person, whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion, may apply for revocation of cancellation of registration, within thirty days from the date of service of the order of cancellation of registration at the common portal. No application for revocation shall be submitted if the registration has been cancelled for the failure to furnish returns unless such returns are furnished and any amount due as tax in terms of such returns has been paid along with any amount payable towards interest, penalty and late fee payable in respect of the said returns.

2. Any change in the mobile number or the e-mail address of authorised signatory submitted as amended from time to time, shall be carried out only after online verification through the common portal in the manner provided

3. Status of the application can be tracked on the common portal.

4. No fee is payable for filing application for revocation of cancellation.

Form GST REG-22

[See rule 23(2)]

Reference No. -

Date

To
GSTIN / UIN
(Name of Taxpayer)
(Address)

Application Reference No. (ARN)

Date

Order for revocation of cancellation of registration

This has reference to your application dated DD/MM/YYYY for revocation of cancellation of registration. Your application has been examined and the same has been found to be in order. Accordingly, your registration is restored.

Signature
Name of Proper officer
(Designation)
Jurisdiction –

Date
Place

Form GST REG-23*[See rule 23(3)]*

Reference Number :

Date

To

Name of the Applicant/ Taxpayer

Address of the Applicant/Taxpayer

GSTIN

Application Reference No. (ARN):

Dated

Show Cause Notice for rejection of application for revocation of cancellation of registration

This has reference to your application dated DD/MM/YYYY regarding revocation of cancellation of registration. Your application has been examined and the same is liable to be rejected for the following reasons:

- 1.
- 2.
- 3.

...

You are hereby directed to furnish a reply to this notice within seven working days from the date of service of this notice.

You are hereby directed to appear before the undersigned on DD/MM/YYYY at HH/MM.

If you fail to furnish a reply within the stipulated day or you fail to appear for personal hearing on the appointed date and time, the case will be decided ex parte on the basis of available records and on merits.

Signature
Name of the Proper Officer
Designation
Jurisdiction

Form GST REG-24*[See rule 23(3)]***Reply to the notice for rejection of application for revocation of cancellation of registration**

1.	Reference No. of Notice		Date	
2.	Application Reference No. (ARN)		Date	
3.	GSTIN, if applicable			
4.	Information/reasons			
5.	List of documents filed			
6.	Verification I _____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. <div style="text-align: right;">Signature of Authorised Signatory Name</div> <div style="text-align: right;">Place Date</div> <div style="text-align: right;">Designation/Status</div>			

Form GST REG-25*[See rule 24(1)]***Certificate of Provisional Registration**

1.	Provisional ID	
2.	Permanent Account Number	
3.	Legal Name	
4.	Trade Name	
5.	Registration Details under Existing Law	
	Act	Registration Number
(a)		
(b)		
(c)		
Date	<Date of creation of Certificate>	Place <State>

This is a Certificate of Provisional Registration issued under the provisions of the Act.

Form GST REG-26*[See rule 24(2)]*

Application for Enrolment of Existing Taxpayer			
Taxpayer Details			
1.	Provisional ID		
2.	Legal Name (As per Permanent Account Number)		
3.	Legal Name (As per State/Center)		
4.	Trade Name, if any		
5.	Permanent Account Number of the Business		
6.	Constitution		
7.	State		
7A.	Sector, Circle, Ward, etc. as applicable		
7B.	Center Jurisdiction		
	Reason of liability to obtain Registration	Registration under earlier law	
9. Existing Registrations			
Sr. No.	Type of Registration	Registration Number	Date of Registration
1.	TIN Under Value Added Tax		
2.	Central Sales Tax Registration Number		
3.	Entry Tax Registration Number		

4	Entertainment Tax Registration Number		
5.	Hotel And Luxury Tax Registration Number		
6.	Central Excise Registration Number		
7.	Service Tax Registration Number		
8.	Corporate Identify Number/Foreign Company Registration		
9.	Limited Liability Partnership Identification Number/Foreign Limited Liability Partnership Identification Number		
10.	Import/Exporter Code Number		
11.	Registration Under Duty Of Excise On Medicinal And Toiletry Act		
12.	Others (Please specify)		
10. Details of Principal Place of Business			
Building No. /Flat No.		Floor No	
Name of the Premises/Building		Road/Street	
Locality/Village		District	
State		PIN Code	
Latitude		Longitude	
Contact Information			
Office Email Address		Office—Telephone Number	
Mobile Number		Office Fax No	
10A. Nature of Possession of Premises		(Own; Leased; Rented; Consent; Shared)	
10B. Nature of Business Activities being carried out			
Factory / Manufacturing <input type="radio"/>	Wholesale Business <input type="radio"/>	Retail Business <input type="radio"/>	Warehouse/Depot <input type="radio"/>
Bonded Warehouse <input type="radio"/>	Service Provision <input type="radio"/>	Office/Sale Office <input type="radio"/>	Leasing Business <input type="radio"/>
Service Recipient <input type="radio"/>	EOU/ STP/ EHTP <input type="radio"/>	SEZ <input type="radio"/>	Input Service Distributor (ISD) <input type="radio"/>
Works Contract <input type="radio"/>	Others (Specify) <input type="radio"/>		
11. Details of Additional Places of Business			
Building No/Flat No		Floor No	
Name of the Premises/ Building		Road/Street	
Locality/Village		District	
State		PIN Code	
Latitude (Optional)		Longitude(Optional)	
Contact Information			
Office Email Address		Office Telephone Number	

Mobile Number		Office Fax No			
11A. Nature of Possession of Premises		(Own; Leased; Rented; Consent; Shared)			
11B. Nature of Business Activities being carried out					
Factory / Manufacturing <input type="radio"/>	Wholesale Business <input type="radio"/>	Retail Business <input type="radio"/>	Warehouse/Depot <input type="radio"/>		
Bonded Warehouse <input type="radio"/>	Service Provision <input type="radio"/>	Office/Sale Office <input type="radio"/>	Leasing Business <input type="radio"/>		
Service Recipient <input type="radio"/>	EOU/ STP/ EHTP <input type="radio"/>	SEZ <input type="radio"/>	Input Service Distributor (ISD) <input type="radio"/>		
Works Contract <input type="radio"/>	Others (Specify) <input type="radio"/>				
Add More -----					
12. Details of Goods/ Services supplied by the Business					
Sr. No.	Description of Goods	HSN Code			
Sr. No.	Description of Services	HSN Code			
13. Total Bank Accounts maintained by you for conducting Business					
Sr. No.	Account Number	Type of Account	IFSC	Bank Name	Branch Address
14. Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.					
Name		<First Name>	<Middle Name>	<Last Name>	<Photo>
Name of Father/Husband		<First Name>	<Middle Name>	<Last Name>	
Date of Birth	DD/ MM/ YYYY	Gender		<Male, Female, Other>	
Mobile Number		Email Address			
Telephone Number					
Identity Information					
Designation		Director Identification Number			
Permanent Account Number		Aadhaar Number			
Are you a citizen of India?		<Yes/No>	Passport Number		
Residential Address					
Building No/Flat No		Floor No			
Name of the Premises/Building		Road/Street			
Locality/Village		District			
State		PIN Code			

15. Details of Primary Authorised Signatory				
Name	<First Name>	<Middle Name>	<Last Name>	<Photo>
Name of Father/Husband	<First Name>	<Middle Name>	<Last Name>	
Date of Birth	DD / MM / YYYY	Gender	<Male, Female, Other>	
Mobile Number		Email Address		
Telephone Number				
Identity Information				
Designation		Director Identification Number		
Permanent Account Number		Aadhaar Number		
Are you a citizen of India?	<Yes/No>	Passport Number		
Residential Address				
Building No/Flat No		Floor No		
Name of the Premises/Building		Road/Street		
Locality/Village		District		
State		PIN Code		
Add More ---				
List of Documents Uploaded				
<i>A customized list of documents required to be uploaded as per the field values in the form should be auto-populated with provision to upload relevant document against each entry in the list. (Refer instruction)</i>				
16. Aadhaar Verification				
I on behalf of the holders of Aadhaar numbers provided in the form, give consent to “Goods and Services Tax Network” to obtain details from UIDAI for the purpose of authentication. “Goods and Services Tax Network” has informed me that identity information would only be used for validating identity of the Aadhaar holder and will be shared with Central Identities Data Repository only for the purpose of authentication.				
17. Declaration				
I, hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.				
Digital Signature/E-Sign				
Name of the Authorised Signatory		Place		
Designation of Authorised Signatory		Date		

Instructions for filing of Application for enrolment

(1) Every person, other than a person deducting tax at source or an Input Service Distributor, registered under an existing law and having a Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 (Act 43 of 1961) shall enroll on the common portal by validating his e-mail address and mobile number.

(2) Upon enrolment under clause (a), the said person shall be granted registration on a provisional basis and a certificate of registration in Form GST REG-25, incorporating the Goods and Services Tax Identification Number therein, shall be made available to him on the common portal:

(3) Authorisation Form:-

For each Authorised Signatory mentioned in the application form, Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format:
Declaration for Authorised Signatory (Separate for each signatory)

I(Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.)

1. << Name of the Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc>>

2.

3.

hereby solemnly affirm and declare that <<name of the authorised signatory>> to act as an authorised signatory for the business << Goods and Services Tax Identification Number - Name of the Business>> for which application for registration is being filed/ is registered under the Central Goods and Service Tax Act, 2017.

All his actions in relation to this business will be binding on me/ us.
Signatures of the persons who are Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.

S. No.	Full Name	Designation/Status	Signature
1.			
2.			
Acceptance as an authorised signatory			

I <<(Name of the authorised signatory)>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business.

Date	Signature of Authorised Signatory
Place	Designation/Status

Instructions for filing online form

Enter your Provisional ID and password as provided by the State/Commercial Tax/Central Excise/Service Tax Department for login on the GST Portal.

Correct Email address and Mobile number of the Primary Authorised Signatory are to be provided. The Email address and Mobile Number would be filled as contact information of the Primary Authorised Signatory.

E mail and Mobile number to be verified by separate One Time Passwords. Taxpayer shall change his user id and password after first login.

Taxpayer shall require to fill the information required in the application form related details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees, Principal Place of Business and details in respect of Authorised signatories.

Information related to additional place of business, Bank account, commodity in respect of goods and services dealt in (top five) are also required to be filled.

Applicant need to upload scanned copy of the declaration signed by the Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc. in case he/she declares a person as Authorised Signatory as per Annexure specified. Documents required to be uploaded as evidence are as follows:-

1.	Photographs wherever specified in the Application Form (maximum 10) Proprietary Concern – Proprietor Partnership Firm / Limited Liability Partnership – Managing/ Authorised Partners (personal details of all partners is to be submitted but photos of only ten partners including that of Managing Partner is to be submitted) Hindu Undivided Family – Karta Company – Managing Director or the Authorised Person Trust – Managing Trustee Association of Person or Body of Individual –Members of Managing Committee (personal details of all members is to be submitted but photos of only ten members including that of Chairman is to be submitted) Local Body – Chief Executive Officer or his equivalent Statutory Body – Chief Executive Officer or his equivalent Others – Person in Charge
2.	Constitution of business: Partnership Deed in case of Partnership Firm, Registration Certificate/Proof of Constitution in case of Society, Trust, Club, Government Department, Association of Person or Body of Individual, Local Authority, Statutory Body and Others etc.
3.	Proof of Principal/Additional Place of Business: (a) For Own premises – Any document in support of the ownership of the premises like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. (b) For Rented or Leased premises – A copy of the valid Rent / Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. (c) For premises not covered in (a) and (b) above – A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded.
4.	Bank Account Related Proof: Scanned copy of the first page of Bank passbook / one page of Bank Statement Opening page of the Bank Passbook held in the name of the Proprietor / Business Concern – containing the Account No., Name of the Account Holder, MICR and IFSC and Branch details.
5.	For each Authorised Signatory: Letter of Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to that effect as specified.

(a) After submitting information electronic signature shall be required. Following person can electronically sign application for enrolment:-

Constitution of Business	Person who can digitally sign the application
Proprietorship	Proprietor
Partnership	Managing / Authorised Partners

Hindu Undivided Family	Karta
Private Limited Company	Managing / Whole-time Directors and Managing Director/Whole Time Director/ Chief Executive Officer
Public Limited Company	Managing / Whole-time Directors and Managing Director/Whole Time Director/ Chief Executive Officer
Society/ Club/ Trust/ AOP	Members of Managing Committee
Government Department	Person In charge
Public Sector Undertaking	Managing / Whole-time Director and Managing Director/Whole Time Director/ Chief Executive Officer
Unlimited Company	Managing/ Whole-time Director and Managing Director/Whole Time Director/ Chief Executive Officer
Limited Liability Partnership	Designated Partners
Local Authority	Chief Executive Officer or Equivalent
Statutory Body	Chief Executive Officer or Equivalent
Foreign Company	Authorised Person in India
Foreign Limited Liability Partnership	Authorised Person in India
Others	Person In charge

(b) Application is required to be mandatorily digitally signed as per following :-

Sl. No	Type of Applicant	Digital Signature required
1.	Private Limited Company Public Limited Company Public Sector Undertaking Unlimited Company Limited Liability Partnership Foreign Company Foreign Limited Liability Partnership	Digital Signature Certificate (DSC) Class 2 and above
2.	Other than above	Digital Signature Certificate class 2 and above e-Signature

Note :- 1. Applicant shall require to register their DSC on common portal.

2. e-Signature facility will be available on the common portal for Aadhar holders.

All information related to Permanent Account Number, Aadhaar, Director Identification Number, Challan Identification Number, Limited Liability Partnership Identification Number shall be online validated by the system and Acknowledgment Reference Number will be generated after successful validation of all the filled up information.

Status of the online filed Application can be tracked on the common portal.

- (i) Authorised signatory should not be minor.
- (ii) No fee is applicable for filing application for enrolment.

Acknowledgement

Enrolment Application - Form GST- has been filed against Application Reference Number (ARN) <.....>.

Form Number : <.....>
 Form Description : <Application for Enrolment of Existing Taxpayers>
 Date of Filing : <DD/MM/YYYY>
 Taxpayer Trade Name: <Trade Name>
 Taxpayer Legal Name : <Legal Name as shared by State/Center>
 Provisional ID Number : <Provisional ID Number>

It is a system generated acknowledgement and does not require any signature

Form GST REG-27

[See rule – 24(3)]

Reference No. <<Date-DD/MM/YYYY>>
 To
 Provisional ID
 Name
 Address

Application Reference Number (ARN) < > Dated <DD/MM/YYYY>

Show Cause Notice for cancellation of provisional registration

This has reference to your application dated -----. The application has been examined and the same has not been found to be satisfactory for the following reasons:-

1
 2
 ...

You are hereby directed to show cause as to why the provisional registration granted to you shall not be cancelled.

Signature

Date

Place

Name of the Proper Officer

Designation

Jurisdiction

Form GST REG-28

[See rule 24(3)]

Reference No. - << Date-DD/MM/YYYY>>

To

Name

Address

GSTIN / Provisional ID

Application Reference No. (ARN)

Dated – DD/MM/YYYY

Order for cancellation of provisional registration

This has reference to your reply dated ---- in response to the notice to show cause dated -----.

- Whereas no reply to notice to show cause has been submitted; or

- Whereas on the day fixed for hearing you did not appear; or

- Whereas the undersigned has examined your reply and submissions made at the time of hearing, and is of the opinion that your provisional registration is liable to be cancelled for following reason(s).

- 1.
- 2.

Determination of amount payable pursuant to cancellation of provisional registration:

Accordingly, the amount payable by you and the computation and basis thereof is as follows:
You are required to pay the following amounts on or before ----- (date) failing which the amount will be recovered in accordance with the provisions of the Act and rules made thereunder.

Head	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
Tax					
Interest					
Penalty					
Others					
Total					

Place:	Signature < Name of the Officer > Designation Jurisdiction
Date:	

Form GST REG-29

[See rule 24(4)]

Application for cancellation of provisional registration**Part A**

(i) Provisional ID	
(ii) Email ID	
(iii) Mobile Number	
Part B	
Legal Name (As per Permanent Account Number)	
2. Address for correspondence	

Building No./ Flat No.		Floor No.	
Name of Premises/ Building		Road/ Street	
City/Town/ Village/Locality		District	
Block/Taluka			
State		PIN	
3. Reason for Cancellation			
4. Have you issued any tax invoice during GST regime? <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO			
<p>Declaration</p> <p>I <Name of the Proprietor/Karta/Authorised Signatory>, being <Designation> of <Legal Name ()> do hereby declare that I am not liable to registration under the provisions of the Act.</p> <p>6. Verification</p> <p>I < > hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.</p>			
Aadhaar Number		Permanent Account Number	
Signature of Authorised Signatory			
Full Name			
Designation / Status			
Place			
Date		DD/MM/YYYY	

Form GST REG-30*[See rule 25]***Form for Field Visit Report**

Center Jurisdiction (Ward/Circle/Zone)

Name of the Officer:- << to be prefilled>>		
Date of Submission of Report:-		
Name of the taxable person		
GSTIN/UIN –		
Task Assigned by:- < Name of the Authority- to be prefilled>		
Date and Time of Assignment of task:- < System date and time>		
Sr. No.	Particulars	Input
1.	Date of Visit	
2.	Time of Visit	
3.	Location details :	
	Latitude	Longitude
	North – Bounded By	South – Bounded By
	West – Bounded By	East – Bounded By

4.	Whether address is same as mentioned in application.	Y / N
5.	Particulars of the person available at the time of visit	
(i)	Name	
(ii)	Father's Name	
(iii)	Residential Address	
(iv)	Mobile Number	
(v)	Designation / Status	
(vi)	Relationship with taxable person, if applicable.	
	Functioning status of the business	Functioning - Y / N
6.	Details of the premises	
7.	Open Space Area (in sq m.) - (approx.)	
	Covered Space Area (in sq m.) - (approx.)	
	Floor on which business premises located	
8.	Documents verified	Yes/No
9.	Upload photograph of the place with the person who is present at the place where site verification is conducted.	
10.	Comments (not more than < 1000 characters>	
	Place: Date:	Signature Name of the Officer: Designation: Jurisdiction:

By order,
ONKAR SHARMA
Principal Secretary(E&T).

उद्योग विभाग (भौमिकीय शाखा) शिमला-171001

निविदा-एवं-नीलामी सूचना

शिमला-171001, 27 जून, 2017

उद्योग-भू(खनि-4)लघु-515/98-3383 to 89.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा जिला मण्डी में पड़ने वाली 7 लघु खनिज खानों/खड्डों से रेत, पत्थर व बजरी उठाने हेतु अधिक पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से निविदाएं-एवं-नीलामी (Tender-cum-Auction) की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में उक्त खानों/खड्डों की निविदाएं आमन्त्रित की जा रही है, तदोपरान्त द्वितीय चरण में उक्त खानों/खड्डों की खूली नीलामी की जायेगी तथा इन दोनों प्रक्रिया में जो भी उच्चतम राशि बोलीदाता/निविदा दाता द्वारा प्रस्तावित की जायेगी उसको खान/खड्ड का सफल बोलीदाता/निविदा दाता घोषित किया जायेगा। निविदा दाता को यह अधिकार होगा कि वह खुली नीलामी में भी भाग ले सकता है तथा अपनी निविदा में दर्शाई गई राशि से अधिक राशि पर बोली दे सकता है।

निविदाएं खनि अधिकारी मण्डी जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में आमंत्रित की जा रही है। निविदा दिनांक 01-08-2017 को शाम 4:00 बजे तक खनि अधिकारी मण्डी जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में मोहर बन्द लिफाफों में खनि अधिकारी कार्यालय में रखी गई निविदा पेटी में डाली जाएं व उसकी प्रविष्टि (Entry) खनि अधिकारी द्वारा कार्यालय रजिस्टर में की जायेगी जिसकी पावती भी खनि अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। उक्त खानों/खड्डों की निविदाएं प्राप्त होने पर दिनांक 02-08-2017 को प्रातः 11:00 बजे उक्त खानों/खड्डों की खुली नीलामी कमेटी द्वारा रेशम अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी के सभा भवन में की जाएगी। जिसमें जिन व्यक्तियों ने निविदाएं दी हैं, के साथ-साथ अन्य कोई भी इच्छुक व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। इच्छुक व्यक्ति लघु खनिज खानों/खड्डों की जानकारी तथा निविदा व नीलामी की प्रक्रिया व शर्तों के लिए राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी, मण्डी जिला मण्डी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निविदा व नीलामी हेतु खानों/खड्डों की जानकारी विभागीय web site himachal.nic.in/industry से भी प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न होने पर प्राप्त हुई निविदाएं उसी दिन खोली जायेंगी। उपरोक्त दोनों में से उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गई बोली की राशि अथवा उच्चतम निविदा दाता द्वारा दी गई निविदा राशि, जो भी राशि अधिक होगी, उस सम्बन्धित बोलीदाता/निविदा दाता को कुल उच्चतम राशि का 25 प्रतिशत उसी समय जमा करवाना होगा जोकि जमानत ठेके की राशि के रूप में होगी।

कोई भी व्यक्ति जो निविदा देने अथवा नीलामी में भाग लेने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है :-

- 1-पैनकार्ड।
- 2-खनन सम्बन्धित बकाया न होने का शपथ पत्र। (No Mining Dues)
- 3-अनुमोदन प्रमाण पत्रा (CA) जोकि खनि अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- 4-निविदा दाता को उक्त दस्तावेज मुवलिंग 50000/- रुपये (पच्चास हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा फार्म पूर्ण रूप में भरे हुये के साथ स्वयं या डाक द्वारा निर्धारित तिथि से पहले खनि अधिकारी कार्यालय मण्डी में धरोहर राशि के लिए बैंक में जमा करवाने होंगे।
- 5-कोई भी व्यक्ति जो नीलामी देने का इच्छुक हो, उसको उक्त दस्तावेज एवं मुवलिंग 50,000/-रुपये धरोहर राशि, बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित बोली से पहले सम्बन्धित खनि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। नीलामी सभागार में निविदा दाता या बोलीदाता प्रवेश करने से पूर्व खनि अधिकारी, मण्डी से प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे। एक प्रवेश पत्रा पर दो व्यक्तियों को सभागार में जाने की अनुमति होगी।
- 6-बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित खनि अधिकारी, मण्डी हिमाचल प्रदेश के नाम देय होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोली दाता/निविदा दाता का नाम, पता व पैन नम्बर लिखा होना चाहिए। असफल बोलीदाता/निविदा दाता को जमा ड्राफ्ट, नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त वापिस कर दिया जाएगा।
- 7-निविदा राशि अथवा बोली प्रति वर्ष के आधार पर ली जायेगी।
- 8-निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरा हों व उपरोक्त वर्णित दस्तावेज निविदा फार्म के साथ संलग्न होने चाहिए अन्यथा अधूरे निविदा फार्म स्वीकृत नहीं किए जायेंगे।
- 9-निविदा खोलने के दौरान आवेदक/प्रतिनिधि का कमेटी के समक्ष होना अनिवार्य होगा।
- 10-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से भी यह आशा की जाती है कि वह निविदा प्रक्रिया द्वारा ही नीलामी में भाग लें।

आवेदक निविदा के लिए निविदा फार्म राज्य भू विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी मण्डी के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है जिसका मुल्य 5,000/- रू0 प्रति फार्म होगा। आवेदक को पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म मोहर बन्द लिफाफे में खनि अधिकारी, मण्डी के कार्यालय में उक्त दर्शाई गई तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों में निविदा फार्म व आवेदित खान का नाम लिखा होना आवश्यक है व लिफाफे के बाईं ओर आवेदक का नाम व पता भी स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
निदेशक,
उद्योग विभाग।

**DETAIL OF QUARRIES OF DISTRICT MANDI PROPOSED FOR
TENDER-CUM-AUCTION**

Sr. No.	Name of Minor Mineral Quarry River/Khad Bed	Khasra No	Area	Mauza/Mohal	Name of Mineral	Reserve Price (Amount in Rupees)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Beas 1	632	116-15-07 Bighas (09-44-98 Hects.)	Lad-Bharol/Chull	Sand, Stone & Bajri	9.50 Lakhs
2.	Beas 2	1103	89-11-8 Bighas (07-24-87 Hects.)	Lad-Bharol/Kothi	-do-	7.00 Lakhs
3.	Beas 3	828	102-00-18 Bighas (08-25-83 Hects.)	Lad-Bharol/Kothi	-do-	8.00 Lakhs
4.	Beas 4	223/1	81-03-00 Bighas (06-56-73 Hects.)	Lad-Bharol/Kothi	-do-	6.50 Lakhs
5.	Binu Khad	4	82-10-15 Bighas (6-68 Hects.)	Lad-Bharol/Tain	-do-	4.00 Lakhs
6.	Beas 5	236	87-11-08 Bighas (07-08-69 Hects.)	Lad-Bharol/Makan-Khurd	-do-	7.00 Lakhs
7.	Beas 6	6324/1	41-05-08 Bighas (03-33-99 Hects.)	Lad-Bharol/Sanda	-do-	3.00 Lakhs

नोट:—उक्त सभी खानें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों को आकर्षित करती है जिसके लिए Forest Clearance लेना अनिवार्य है।

निविदा—एवं—नीलामी शर्तें

1—विभाग द्वारा जिला मण्डी में खाली पड़ी लघु खनिज की खानों को हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 के

अन्तर्गत खनन हेतु निविदा व खुली नीलामी द्वारा आबंटित किया जायेगा। खनन हेतु रायल्टी राशि के एवज में विभाग द्वारा प्रतिवर्ष के आधार पर निविदा/नीलामी राशि वसूल की जायेगी तथा निविदा/नीलामी उच्चतम निविदा/नीलामी देने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्रदान की जायेगी।

- 2-निविदा/नीलामी राशि प्रतिवर्ष के आधार पर ली जाएगी तथा राशि उसी दर पर दो वर्ष तक वसूल की जाएगी, उसके उपरान्त ठेके की शेष अवधि के दौरान निविदा/नीलामी राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढौतरी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी।
- 3-निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति किसी भी जिला में खनन से सम्बन्धित देय राशि का बकायादार नहीं होना चाहिए। यदि कोई निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को निविदा/नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान निविदा/नीलामी पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित कर दी जाएगी तथा खान का ठेका रद्द करके खानों की पुनः नीलामी आमंत्रित की जाएगी।
- 4-सफल निविदा दाता/बोलीदाता एक वर्ष के लिए दी गई बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि निविदा/नीलामी खुलने के समय प्रस्तुत करेगा जो कि जमानत राशि होगी। इसके अतिरिक्त निविदा/नीलामी राशि के आधार पर आयकर, पंचायत टैक्स, District Mineral Foundation Fund व अन्य टैक्स/राशि समय-समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को जमा करवाने होंगे। प्रथम वर्ष की निविदा/नीलामी राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Upfront Premium के रूप में जमा करवानी होगी जो कि देय त्रैमासिक किस्त में समायोजित की जाएगी। यह Upfront Premium राशि उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Letter of Intent जारी किए जाने की तिथी से एक महीने की अवधि के भीतर जमा करवानी होगी अन्यथा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करके खान को पुनः नीलाम किया जायेगा।
- 5-नीलामी के समय दी जाने वाली बोली यदि 10 लाख रुपये की सीमा से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में बोलीदाताओं द्वारा अगली बोली 50 हजार रुपये प्रति बोली के आधार पर ही देनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर यह सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में अगली बोली एक लाख रुपये प्रति बोली के हिसाब से देनी होगी।
- 6-बोली के दौरान यदि कमेटी को यह आभास होता है कि दी जाने वाली बोली पूलिंग (Pooling) आदि की वजह से सदेयस्पद है या आशानुरूप कम आ रही है तो उस अवस्था में कमेटी को उक्त किसी खान की नीलामी प्रक्रिया को निलम्बित करने का अधिकार होगा।
- 7-यदि कोई निविदा दाता/बोलीदाता किसी लघु खनिज खान के खनिज अधिकारों की बोली देता है, परन्तु जमानत राशि निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के समय जमा नहीं करवाता है या निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और भविष्य में कम से कम 5 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति निविदा/नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकेगा तथा उक्त खानों/खड्डों की पुनः निविदा/नीलामी आमंत्रित की जायेगी।
- 8-जिन खानों/खड्डों के खनिज अधिकारों को निविदा/नीलामी हेतु अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं० या फिर भोगौलिक सीमा/स्थाई चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति सम्बन्धित खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है व क्षेत्र का निरीक्षण भी अपने स्तर पर कर सकता है, ताकि क्षेत्र के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। निविदा/नीलामी केवल उसी क्षेत्र की होगी, जो कि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए हैं जिसका पूर्ण विवरण सम्बन्धित खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

- 9-08 हैक्टेयर तक के क्षेत्र हिमाचल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निविदा दाता/बोलीदाता को निविदा/नीलामी से पूर्व खनन अधिकारी के समक्ष, अपना हिमाचली निवासी होने का प्रमाण पत्र (Bonafide Certificate) जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि 8 हैक्टेयर व उससे कम क्षेत्र वाली खड्डों हेतु कोई भी हिमाचली निविदा दाता/बोलीदाता बोली नहीं देता है तो उस अवस्था में कोई भी गैर हिमाचली उक्त खड्डों की बोली दे सकता है।
- 10-अगर पीठासीन अधिकारी को लगे कि निविदा/नीलामी द्वारा प्राप्त राशि किसी खान की अपेक्षित राशि के अनुरूप कम है तो उस स्थिति में समिति निविदा/नीलामी द्वारा खान को आबंटित न करने के लिए सिफारिश कर सकती है। खानों के न्यूनतम आरक्षित मूल्य खनि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।
- 11-खनिजों के दोहन हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA Clearance) तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत (अगर अनिवार्य हो तो) स्वीकृतियां ठेकेदार/सफल निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा अपने स्तर पर व अपने खर्च व जोखिम पर सक्षम। Authority Is Letter of Intent जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्राप्त करनी होंगी। यदि उच्चतम बोलीदाता इस अवधि में Environment Clearance या वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Environment clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने बारे की गई प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त Letter of Intent की अवधि को आगामी एक वर्ष तक समय बढ़ाती बरे निदेशक उद्योग द्वारा निर्णय लिया जायेगा तथा इस बढ़ाये हुए एक वर्ष की अवधि तक भी अगर उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता यह स्वीकृतियां प्राप्त नहीं करता है तो Letter of Intent की अवधि के आगामी समय बढ़ाती बरे केवल सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा। तदोपरान्त यदि सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता Environment Clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस अवस्था में Letter of Intent रद्द करके उसके द्वारा दी गई जमानत राशि व अन्य जमा करवाई गई राशियां जब्त कर ली जायेगी। EIA प्राप्त करने के उपरान्त ही सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को जिस क्षेत्र के लिए उसने निविदा/नीलामी दी थी उस क्षेत्र में खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। Environment Clearance व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत की गई प्रगति के बारे में ठेकेदार समय-समय पर विभाग को अवगत करवायेगा।
- 12-रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 10 वर्ष सरकारी भूमि के लिए व वन विभाग से सम्बन्धित 15 वर्ष होगी तथा उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को खान में कार्य करने से पूर्व अपने स्तर पर पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार से खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति (EIA Clearance) व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति (अगर अनिवार्य हो तो) व Registered Qualified Person से Mining Plan बनवाना अनिवार्य है। उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा सरकार से स्वीकृति के पश्चात् निविदा/नीलामी खुलने के एक महीने के उपरान्त Letter of Intent जारी किया जाएगा ताकि उच्चतम बोलीदाता खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति सक्षम Authority से तय सीमा जो कि 2 वर्ष की है के भीतर प्राप्त कर सकें। Letter of Intent में दर्शाई गई शर्तों की अनुपालना के उपरान्त उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता के पक्ष में नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे ताकि शर्तनामा निष्पादन किया जा सके। शर्तनामा निष्पादन करने से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा सम्बन्धित कर आदि के रूप में राशि खनि अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा व शेष वर्षों में भी 25 प्रतिशत त्रैमासिक किश्त के आधार पर बकाया राशि समय समय पर खनि अधिकारी के कार्यालय में शर्त न0-2 के अनुसार अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी।
- 13-निविदा/नीलामी केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी, यदि निविदा/नीलामी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो।

- 14—शर्तनामा निष्पादन करने के उपरान्त उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से पांच वर्ष के लिए अनुमोदित Mining Plan के अनुरूप कार्य करेगा। Mining Plan में आंकलित खनिज से अधिक मात्रा में खनिज निकालने पर ठेका रद्द किया जा सकता है। पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार को Mining Plan फिर से अनुमोदित करवाना होगा जिसके लिए वह नियमानुसार Mining Plan की अवधि के समाप्त होने से कम से कम 120 दिन पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करेगा।
- 15—नीलामी कमेटी को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हैं जो कि सभी इच्छुक व्यक्ति को मान्य होगी। इसके अतिरिक्त खनन सम्बन्धी जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे। नीलामी कमेटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी निविदा/नीलामी क्षेत्र को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकती है। निविदा/नीलामी के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुर्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे निविदा/नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है तथा इस बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जायेगी।
- 16—निविदा/नीलामी पर लिए गये क्षेत्र से उठाए गये खनिज को किसी स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग करने हेतू अनुमति नहीं होगी परन्तु यदि कोई निविदा दाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी पर लिए गये खनिजों को अपने पहले से ही स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग में लाना चाहता है या नया स्टोन क्रशर स्थापित करना चाहता है तो उक्त क्रशर स्थल की दूरी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से नियमों के अन्तर्गत दर्शाए गई दूरी के अनुसार होनी चाहिए परन्तु इस स्थिति में उसे बोल्टर की खुली ब्रिकी करने की अनुमति नहीं होगी। नया स्टोन क्रशर लगाने हेतु सरकार द्वारा जारी किए गये नियमों/अधिसूचनाओं के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी खान के लिए यदि निविदा दाता/बोलीदाता एक से अधिक व्यक्ति हों तो उस स्थिति में उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को नीलामी क्षेत्र से उठाये गए खनिजों को अपने पक्ष में पहले से स्थापित केवल एक ही स्टोन क्रशर में प्रयोग करने की अनुमति होगी।
- 17—जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी निविदा/नीलामी में ली गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्ण रूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्र कम करने की अवस्था में ठेका राशि भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।
- 18—खनन हेतू मशीन उपकरण Mechanical/Hydraulic Excavator/जैसे जे0सीबी0 इत्यादि के प्रयोग की स्वीकृति हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत व एवं Environment Clearance में दर्शाई गई शर्तों के अनुरूप ही दी जाएगी तथा सक्षम अधिकारी से स्थल निरीक्षण के उपरान्त इस बारे स्वीकृति लेना आवश्यक है।
- 19—खान/नदी/खड्ड में पहुंचने के लिए मार्ग बनाने व प्रयोग करने हेतू ठेकेदार सम्बन्धित पक्षों/विभागों से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करेगा। खान तक पहुंचने के मार्ग के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
- 20—नीलामी के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में यदि कोई निजि भूमि पड़ती है या किसी अन्य/व्यक्तियों के भू-स्वामित्व अधिकार हों तो इस अवस्था में ठेकेदार सम्बन्धित भू-स्वामियों से अपने स्तर पर अनुमति प्राप्त करेगा व इस सम्बन्ध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 21—बोल्टर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 22—अवैध खनन को रोकने हेतु लघु खनिजों का परिवहन रात आठ बजे से प्रातः छः बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा।

- 23—टेका धारी को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मज़दूर, नदी/खड्ड में मछलियों का शिकार न करें।
- 24—खनन कार्य नदी के धरातल से एक मीटर से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा।
- 25—खनिजों के एकत्रीकरण से भू स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्ताक्षेप नहीं होना चाहिए।
- 26—यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार की क्षति विभाग के ध्यान में लाई जाती है, तो इस बारे नियमानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जायेगी।
- 27—टेकेदार टेके पर स्वीकृत क्षेत्र से निकाले गये खनिजों की मात्रा का मासिक व्यौरा विभाग को देगा।
- 28—खनन कार्य हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों, सरकार द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, पर्यावरण प्रभाव आकलन/वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, माननीय न्यायालयों के आदेशों के अनुरूप किया जाएगा। उपरोक्त नियमों/अधिसूचना/आदेशों की प्रति, खनि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- 29—टेके की स्वीकृति व खनन कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित SLP (C) No. 13393/2008 जो कि माननीय उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश द्वारा याचिका संख्या CWP No. 1077/2006 खतरी राम व अन्य के मामले में पारित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है के अन्तिम निर्णय के अनुरूप ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस बारे पारित आदेश भी मान्य होंगे।
- 30—टेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र की आड़ में यदि कही अवैध खनन में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायगी। यदि टेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी या वाहन अगर बार-बार अवैध खनन व बिना “W” फार्म से ढुलान में सम्मिलित पाया जाता है तो सरकार उसका टेका रद्द भी कर सकती है।
- 31—टेका धारी सरकार को तृतीय पक्ष की क्षति पूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा अतः वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 32—सरकार को अधिकार है कि वे उच्चतम बोली को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार कर सकती है।
- 33—सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-33 में दर्शायी गई शर्तों, के अतिरिक्त अन्य शर्तों टेका शर्तनामा निष्पादन के दौरान लगा सकती है।
- 34—सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-33 में दर्शायी गई शर्तों, तथ्यों व नियमों की अवहेलना की अवस्था में टेका रद्द भी किया जा सकता है तथा इस स्थिति में टेकेदार द्वारा जमा राशि, जमानत राशि, Upfront Premium व त्रैमासिक किस्त जब्त कर ली जाएगी।

ADMINISTRATIVE REFORMS ORGANIZATION

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th June, 2017

No. Per (AR) F (7)2/98-Vol-III-Loose.—In exercise of the powers conferred under sub-section(3) of Section 15 of the Right to Information Act, 2005, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri Narinder Chauhan, as State Chief Information Commissioner, Himachal Pradesh.

The appointment of Shri Narinder Chauhan as State Chief Information Commissioner shall be for a term of five years from the date on which he enters upon his office or the date on which he attains the age of 65 (sixty five) years whichever is earlier.

By order,
V.C. PHARKA ,
Chief Secretary.

ADMINISTRATIVE REFORMS ORGANIZATION

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th June, 2017

No. Per (AR) B (2)1/2017.—In exercise of the powers conferred under sub-section(3) of Section 15 of the Right to Information Act, 2005, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri Sushil Chandra Srivastava as State Information Commissioner, Himachal Pradesh.

The appointment of Shri Sushil Chandra Srivastava as State Information Commissioner shall be for a term of five years from the date on which he enters upon his office or the date on which he attains the age of 65 (sixty five) years whichever is earlier.

By order,
V. C. PHARKA,
Chief Secretary.

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 28th June, 2017

No. EXN-B(1)-1/2014.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to establish 24x7 Help Desk and Central Registration Unit (CRU) and Tax Audit Unit along with creation of following posts of various categories in the Department of Excise and Taxation:—

Sr. No.	Name of Post(s)	No. of Post(s)	Remarks
1.	Joint Excise and Taxation Commissioner	01 (One)	For Tax Audit Unit
2.	Assistant Excise & Taxation Commissioner	01 (One)	For Tax Audit Unit
3.	Excise and Taxation Officer	08 (Eight)	06 posts of ETO for 24x7 Help Desk and Central Registration Unit (CRU). and 02 posts of ETO for Tax Audit Unit.
4.	Excise and Taxation Inspector	08 (Eight)	06 posts of ETI for 24x7 Help Desk and Central Registration Unit (CRU). and 02 posts of ETI for Tax Audit Unit.
5.	Computer Operator	06 (Six)	For 24x7 Help Desk and Central Registration Unit (CRU)
6.	Jr. Scale Stenographer	01 (One)	For Tax Audit Unit
7.	Steno-Typist	01 (One)	For Tax Audit Unit
8.	Junior Office Assistant (IT)	02 (Two)	For Tax Audit Unit
9.	Peon	07 (Seven)	03 posts of Peon for 24x7 Help Desk and Central Registration Unit (CRU). and 04 posts of Peon for Tax Audit Unit.

This issue with prior concurrence of the Finance Department obtained vide their U.O. No. 54006782-Fin-E/2017 dated 22.6. 2017.

By order
ONKAR SHARMA,
Principal Secretary (E&T).

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 28th June, 2017

No. EXN-B(1)-5/2017.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the opening of 05 (Five) new ETO Circles at places *i.e.* 1. Ambota at Parwanoo, District Solan, 2. Barotiwala, Revenue District BBN Baddi, 3. Sataun at Paonta Sahib, District Sirmour, 4. Gagret, District Una and 5. Bhoranj, District Hamirpur and setting up of Large Tax-Payer Unit (LTPU) along with creation of following posts of various categories in the Department of Excise and Taxation:—

Sr. No.	Name of Post(s)	No. of Post(s)	Remarks
1.	Deputy Excise and Taxation Commissioner	01 (One)	For Large Tax- Payer Unit (LTPU)
2.	Assistant Excise & Taxation Commissioner	01 (One)	For Large Tax- Payer Unit (LTPU)
3.	Excise and Taxation Officer	05 (five)	One post of ETO for each ETO Circle as mentioned above.
4.	Excise and Taxation Inspector	09 (Nine)	05 (One post of ETI for each ETO Circle as mentioned above) And 04 posts of ETI for Large Tax- Payer Unit (LTPU).
5.	Steno-Typist	07 (Seven)	05 (One post of Steno-Typist for each ETO Circle as mentioned above) And 02 posts of Steno-Typist for Large Tax- Payer Unit (LTPU).
6.	I.T. Assistant	07 (Seven)	05 (One post of I.T. Assistant for each ETO Circle as mentioned above) And 02 posts of I.T. Assistant for Large Tax- Payer Unit (LTPU)
7.	Peon	10 (Ten)	Two posts of Peon for each ETO Circle as mentioned above.

This issue with prior concurrence of the Finance Department obtained vide their U.O. No. 54006782-Fin-E/2017 dated 22.6. 2017.

By order,
ONKAR SHARMA,
Principal Secretary (E&T).

